अष्टम माला, खंड 7, अंक 7

बुधवार, 31 जुलाई, 1985
9 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 54
Date 28/2/86

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 7, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 7, बुधवार, 31 जुलाई 1985/9 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—7
* तारांकित प्रश्न संख्या : 121, 122 और 123	
सदस्य पर हमले के बारे में वक्तव्य	7—8
(श्री ललित माकन पर हमला)	
श्री एस० बी० चव्हाण	8
प्रश्नों के लिखित उत्तर	9—165
तारांकित प्रश्न संख्या : 124 से 140	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1243 से 1316 और 1318 से 1399	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	165—170
(श्री ललित माकन का निधन)	

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

बुधवार, 31 जुलाई, 1985/9 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्यक्रम

*121. श्री अजित कुमार साहा
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों को उनकी कतिपय प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कार्यक्रम में संशोधन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रमुख परियोजनाओं को समय पर किस प्रकार पूरा किया जाएगा, और चल रही परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि मंत्रालय केवल ऐसे मामलों में जहां 1985-86 के लिए बजट आबंटन उनकी आवश्यकताओं से काफी कम है तथा 100 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में अपनी परियोजना अनुसूचियों में संशोधन कर सकते हैं।

(ख) योजना आयोग के सुझाव के अनुसरण में, 100 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली 82 प्रमुख केन्द्रीय परियोजनाओं में से केवल तीन के मामले में परियोजना शुरू करने की तारीख बदली गई हैं।

(ग) प्रमुख परियोजनाओं में से बहुत कम ऐसी हैं जिनमें परियोजना शुरू करने की तारीखों में तबदीली की गई है। इनके मामले में भी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए

जायेंगे कि स्थगन कम से कम हो ।

श्री अजित कुमार साहा : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि 82 केन्द्रीय परियोजनाओं में से ऐसी कौन-सी तीन परियोजनायें हैं जिनमें विलम्ब हुआ है तथा उनके कारण क्या हैं ?

श्री के० आर० नारायणन : तीन परियोजनायें हैं :

(1) कछार कागज परियोजना

(2) कैंपरोलैक्टम अलूमीनियम सल्फेट परियोजना (एफ० ए० सी० टी०); और

(3) कोरापुट रायगढ़ रेलवे लाइन

इसका कारण है धन का अभाव । इन परियोजनाओं के लिए मूलत: आवंटित धन उपलब्ध नहीं था अत: योजना आयोग ने सुझाव दिया कि उनकी क्रियान्विति सूची में संशोधन किया जाये ।

श्री अमल दत्त : इस संशोधन का क्या अभिप्राय है ?

श्री के० आर० नारायणन : संशोधन का अभिप्राय है......

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । आप ऐसा नहीं कर सकते । श्री साहा ने प्रश्न पूछा है श्री अमल दत्त ने नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप अवैध प्रश्नकर्त्ता हैं ।

श्री अमल दत्त : यह एक स्पष्टीकरण था, प्रश्न नहीं । क्योंकि संशोधन के कई अर्थ हैं ।

श्री अजित कुमार साहा : क्या यह सच है कि परियोजना की क्रियान्विति तक विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के मामले में इस्पात की लागत आयातित इस्पात से दुगुनी हो जायेगी ?

श्री के० आर० नारायणन : यह तो सामान्य बात है कि लागत बढ़ना सामान्य बात है । परन्तु यदि आपको इस्पात संयंत्र के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न पूछना है तो मैं सम्बद्ध मंत्री को भेज दूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह स्वाभाविक कैसे है ? क्या इसका अर्थ है कि इसकी लागत आयातित इस्पात से अधिक हो जाये । योजना आयोग की राय है कि मूल्य वृद्धि के कारण यह स्वाभाविक है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे अधिक विशद जानकारी क्या दी जा सकती है ? यह वाद-विवाद नहीं हैं । और क्या उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री के० आर० नारायणन : नि:सन्देह प्राक्कलन तैयार किये गये थे । सबसे पहले तो मैं

कहना चाहता हूं कि संयंत्र के वास्तविक कार्य-निष्पादन का संबंध प्रशासनिक मन्त्रालय से है जो कि इसका प्रभारी है। माननीय सदस्य ने विशाखापत्तनम संयंत्र का पूरे विवरण मांगे है। योजना आयोग की ओर से ये नहीं दिये जा सकेंगे। आम तौर पर हमारे हिसाब से लागत वृद्धि को यथा संभव ध्यान में रखा जाता है, परन्तु सभी परिवर्तनों का हम पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी परियोजना का सम्बन्ध बिहार से भी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने वृद्धि को नहीं देखा। मैंने वहां जाकर देखा है।

श्री के० आर० नारायणन : कोरापुट रायगढ़ रेलवे परियोजना विलम्बित परियोजनाओं में से एक है। सभी अन्य परियोजनाओं में उतना ही विलम्ब हुआ है जितना कि पहले से अनुमान लगाया गया था। अर्थात कछार कागज परियोजना में लगभग आठ महीने का विलम्ब होगा तथा एफ० ए० सी० टी० में दो महीने का। कोरापुट रायगढ़ रेलवे परियोजना में कितना विलम्ब होगा इसका कोई संकेत नहीं दिया गया था। परन्तु विलम्ब को दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : प्रधान मंत्री ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि बहुत अधिक संख्या में नई परियोजनाएं शुरू करने के स्थान पर पहले शुरू की गई कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे संसाधन बहुत कम न रह जायें, तथा लागत का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इस पृष्ठभूमि में क्या योजना आयोग देश की परियोजनाओं को 3 अथवा चार वर्गों में वर्गीकृत करने पर विचार करेगा। प्रथम, सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं जिनमें संसाधन बाधा नहीं बनेंगे। दूसरी "ऐम्बर चैनल" की तरह हैं जिनमें मंजूरी दी जाती है तथा यथा संभव संसाधन जुटाए जायेंगे और तीसरा वर्ग उन परियोजनाओं का है जिनमें बेशक मंजूरी दी जाती है परन्तु तब तक कोई पूंजी नहीं लगायी जायेगी जब तक परियोजना को पहले बताये किसी वर्गीकरण में वर्गीकृत नहीं किया जाता। इससे लोगों को अनावश्यक उम्मीदें नहीं दिखाई जायेंगी। जिनके कारण जन प्रतिनिधियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मुझे अभी एक आवश्यक संदेश प्राप्त हुआ है। सदस्यों की तथा आपकी अनुमति से मुझे सदन से लगभग 10 मिनट के लिए जाने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जाइए।

कुछ माननीय सदस्य : अनुमति दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत उदार हैं।

श्री के० आर० नारायणन : उन्होंने जो वर्गीकरण किये जाने की बात कही है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी 82 परियोजनाएं जिन्हें हमने मंजूरी दी है तथा जो क्रियान्विति के स्तर पर

हैं वास्तव में प्राथमिकता वाली परियोजनायें हैं। बेशक इस वर्ष कुछ धन का अभाव रहा परन्तु वह इतना अधिक नहीं था। हमें विश्वास है कि पुनर्व्यवस्था तथा समायोजन से कमियां दूर की जा सकती हैं तथा इन परियोजनाओं में विलम्ब दूर किया जा सकता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि उन्हें किसी प्रकार से प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परन्तु जब आप संस्थागत समय बद्धता और प्राथमिकताओं के कड़ाई से पालन की बात करते है तो यह संसाधनों की स्थिति पर निर्भर होगी।

एयर इंडिया में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों के वेतन मान

*122. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया में काम कर रहे विदेशी राष्ट्रिकों के वेतनमान और सेवा शर्तें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं;

(ख) विश्व के विभिन्न देशों में एयर इंडिया में कितने विदेशी राष्ट्रिक कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या एयर इंडिया में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तें कुछ देशों तथा वर्गों के मामले में भेदभाव पूर्ण हैं; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयर इण्डिया के विदेश में स्थित स्टेशनों में नियुक्त विदेशी राष्ट्रिकों के वेतनमानों तथा सेवा शर्तों को निश्चित करने के बारे में इस समय एयर इंडिया द्वारा अपनाई जा रही कार्यविधि में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है—

(1) मजूरी का उद्योग स्तर;

(2) सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन;

(3) एयरलाइन मजूरी करार;

(4) स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिकरणों अथवा स्थानीय सरकार द्वारा घोषित मजूरी समझौते;

(5) स्थानीय परिपाटियां;

(6) राष्ट्रीय वाहकों द्वारा स्वीकृत वृद्धियां;

(7) उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए न्यूनतम वेतन स्तर।

(ख) विदेशों में स्थित एयर इन्डिया के कार्यालयों में 1080 विदेशी राष्ट्रिक काय कर रहे हैं।

(ग) एयर इन्डिया के विदेशी कार्यालयों में स्थानीय रूप से नियुक्त किए जाने वाले भारतीय तथा विदेशी राष्ट्रिकों के वेतनमान तथा सेवा शर्तें एक समान होती हैं। विदेशों में तैनात भारत में नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों के वेतनमान तथा सेवा शर्तें पूर्ण रूप से अलग-अलग मानदण्डों द्वारा शासित होती हैं।

श्री बृज मोहन महन्ती : 1080 विदेशी राष्ट्रिकों में से वे कौन से वर्ग में है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या एयर इन्डिया द्वारा उनकी नियुक्ति तथा सेवा शर्तों पर आंतरिक रूप से विचार किया गया था तथा कौन से ऐसे वर्ग हैं जिनमें सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा पुष्टि की आवश्यकता है तथा कौन से ऐसे हैं जिनमें मंत्रालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उनका कहना है भारत स्थित कर्मचारियों के वेतनमान तथा सेवा की शर्तों की कसौटी भिन्न है... (**व्यवधान**) मेरे प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया, तथा यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

[**हिन्दी**]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर अभी हमारे पार्लमेंटरी सेक्रेटरी ने दिया है, उसमें 1080 नहीं है, 1139 हैं जो करेक्ट कर दिया गया है। लोकल-बेस्ड लोग जो लगे हुए हैं 1139 उनके बारे में बताया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा था कि किस-किस कैटेगरी के लोग हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि उसमें ट्रैफिक स्टाफ भी है, रसेप्शनिस्ट भी हैं, क्लैरिकल स्टाफ भी है, टेलीफोन आपरेटर्स भी हैं, रेजर्वेशन स्टाफ के लोग हैं और सेल्स आफिसर वगैरह-वगैरह हैं। इस प्रकार की कैटेगरीज के लोग लगे हुए हैं और जो उनकी सेवा शर्तें हैं वह अलग-अलग देशों पर निर्भर करती हैं। वहां पर जो हमारा कई जगह पर ज्यादा स्टाफ लगा हुआ है वहां कारपोरेशन की यूनियन बनी हुई है उस यूनियन के साथ एग्रीमेंट होता है। और कई कन्ट्रीज में जो वहां के नेशनल्स लगे हुए हैं तो उनकी सेवा शर्तों को देखते हुए सारी शर्तें निर्धारित की जाती हैं। अलग-अलग कन्ट्रीज में जो सेवा शर्तें हैं उनकी जानकारी, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम दे सकेंगे।

इंडिया-बेस्ड जो लोग हैं उनके सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि हमारे जो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एकाउन्ट्स मैनेजर, स्टेशन इंजीनियर्स और टेक्निकल लोग अधिकांश देशों में जो लगे हुए हैं वह चार कैटेगरीज के हैं। उनके अलावा भी कुछ स्टेशंस पर एअरपोर्ट मैनेजर्स, रिजर्वेशन मैनेजर्स और सेल्स मैनेजर भी लगे हुए हैं।

[**अनुवाद**]

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, प्रश्न के उस भाग का कि नियुक्तियों के बारे में कौन-सी ऐजेन्सी है, उत्तर, नहीं दिया गया है। 1981 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एयर इन्डिया सेवा की शर्तों के मामले में संवैधानिक उल्लंघन करने और पुरुषों को तरजीह देने का दोषी है।

क्या मैं जान सकता हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर एयर इन्डिया ने क्या कार्य-

वाही की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही वर्गीकरण जारी है अथवा उसमें कोई परिवर्तन हुआ है । एक बीस वर्ष के अनुभव वाली परिचायिका को केवल 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले पुरुष कर्मचारी के अधीन काम करना पड़ता है । दूसरे क्या आप उन्हें पूरी प्रसूति अवधि का वेतन देने जा रहे हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वे तीन बार गर्भ धारण कर सकती हैं । अतः मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि 1981 के बाद सेवा की शर्तों में संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार सुधार लाने के लिए आपने क्या प्रयास किया है ।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलौत : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में जानकारी नहीं है । माननीय सदस्य ने जो बाकी का प्रश्न पूछा है, वह इससे संबंधित नहीं है ।

सातवीं योजना अवधि में राजस्थान में केन्द्रीय उपक्रमों की स्थापना

*123. **श्री शांति धारीवाल**
श्री विष्णु मोदी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सभी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में राज्य के विकास के लिए बहुत कम केन्द्रीय उपक्रम स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में कौन-कौन से केन्द्रीय उपक्रम स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के 31 उपक्रम चल रहे हैं जिनमें से 6 उपक्रमों के पंजीकृत मुख्यालय राजस्थान में हैं । शेष में से, 12 उपक्रमों में से प्रत्येक का राजस्थान राज्य में 1 करोड़ रु० से अधिक का निवेश है । इन 18 उपक्रमों की सूची का विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) और (ग) केन्द्र द्वारा योजना निवेश में विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचनात्मक और समाज कल्याण सेवाओं तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और इकाइयों दोनों ही के लिए निवेश शामिल है ; पहले के संबंध में निर्णय राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है । जबकि पिछले के संबंध में निर्णय मुख्य रूप से तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाता है । इसलिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजस्थान में भविष्य में स्थापित किए जाने

वाले केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की संभावित अवस्थिति के बारे में बताना संभव नहीं है।

विवरण

राजस्थान में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की सूची

(क) राजस्थान में पंजीकृत मुख्यालय

1. हिन्दुस्तान जिंक लि०
2. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०
3. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
4. सांभर साल्ट्स लि०
5. राजस्थान औषध और भेषज लि०
6. राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रूमैंट्स लि०

(ख) अन्य

1. हिन्दुस्तान कॉपर लि०
2. पाइराइट, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०
3. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०
4. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०
5. भारतीय तेल निगम लि०
6. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
7. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
8. भारतीय राज्य फार्म निगम लि०
9. भारतीय खाद्य निगम
10. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०
11. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डी० पी० आर०)
12. भारतीय डेरी निगम

सदस्य पर हमले के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : आज प्रातः 10.30 पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में सूचना प्राप्त हुई कि श्रीमती एवं श्री ललित माकन तथा एक अन्य व्यक्ति पर, जो श्री माकन के आवास एल०-106, कीर्ति नगर, नई दिल्ली पर उपस्थित था, गोलियां चलाई गई हैं। यह बताया गया है कि गोली चलाने की घटना में दो लड़के शामिल थे, जो अपराध करने के बाद दो पहिए वाले स्कूटर डी०ई०एच०-8546 पर भाग गये। पुलिस नियंत्रण कक्ष की गाड़ी जानकारी मिलने पर तुरन्त मौके पर पहुंची। श्री माकन उनकी पत्नी तथा तीसरे व्यक्ति को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गये। अधिक विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : उनका स्वास्थ्य कैसा है, महोदय।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उनकी हालत कैसी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उनकी पूरी तरह देखभाल की जा रही है। परन्तु उनकी हालत के बारे में अब डाक्टर ही बता सकते हैं। उनके स्वास्थ्य संबंधी हाल का हर मिनट पता लगाया जा रहा है। उसकी जांच केवल डाक्टर ही कर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को पता लगाने के लिए भेज रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : वह इस समय कहां पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इस समय डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय, क्या आप किसी को उनके हाल का पता लगाने भेजेंगे ?

श्री एस०बी० चव्हाण : मैंने पहले ही पुलिस आयुक्त को पहले ही पूरे मामले का पता लगाने तथा उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने को कह दिया है।

श्री जी०बी० स्वैल : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, क्या गृह मंत्री दुबारा आकर उनकी सेहत के बारे में हमें जानकारी देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पूरे तथ्यों का पता लगने पर आपको बता दिया जायेगा।

डा० वी० वेंकटेश : महोदय, शरीर के किस भाग पर चोट लगी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यथासंभव शीघ्र आपको पता दूंगा, इस बीच हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तथा इस जघन्य अपराध की निन्दा कर सकते हैं। मैं नहीं जानता लोग कैसा आचरण कर रहे हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 123 —जारी

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में नेशनल रिक्वायर्रमेंट की बात कही है। राजस्थान के विषय में भौगोलिक और आर्थिक कठिनाइयां विद्यमान होते हुए भी योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में उसके लिए धनराशि का जो आकार रखा है वह बहुत कम है। राजस्थान को प्रति व्यक्ति जो आबंटन हुआ है वह 875 रुपये का हुआ है, जबकि हरियाणा को 2248 रु०, मध्य प्रदेश को 1341 रु०, महाराष्ट्र को 1672 रु० रखे गये हैं। इस तरह से क्षेत्रीय असन्तुलन कम होने के बजाय बढ़ेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं—क्या मंत्री महोदय जानते हैं···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, आज सभा को कुछ समय के लिए स्थगित क्यों नहीं कर देते ?

श्री प्रताप भानु शर्मा : महोदय, सभा में इस घटना पर बहुत उत्तेजना है। आप अब प्रश्न काल को स्थगित क्यों नहीं कर देते। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं सभा अब आगे का कार्य नहीं लेना चाहती और हम काफी उत्तेजित हैं तथा मेरे विचार से सभा को 12 बजे तक स्थगित किया जाये।

11.20 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामऊ का नाम श्रीमती गांधी के नाम पर रखा जाना

***124. श्री राम भगत पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामऊ (बिहार) का नाम बदलकर स्वर्गीय प्रधान मंत्री के नाम पर रखने का है क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व पलामऊ का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) और (ख) बेतला को वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया गया है । अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए धनराशि का आबंटन

*125. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए आबंटित धनराशि में कोई कमी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) चूंकि योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) और वर्ष (1985-86) के लिए विशेष कम्पोनेंट योजना और जन-जाति उपयोजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं, इसलिए वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए आबंटित धनराशि में कोई कमी करने का प्रश्न नहीं हो सकता। परन्तु यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1984-85 के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 140.00 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी । इसको वर्ष 1985-86 के दौरान बढ़ाकर 165.00 करोड़ रुपए कर दिया गया । इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये 1984-85 के दौरान 126.62 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई थी । इसे 1985-86 के दौरान बढ़ाकर 140.00 करोड़ रुपये कर दिया गया । इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन में कोई कमी नहीं की गई है ।

पश्चिमी जर्मनी के साथ आर्थिक संबंध

*126. **डा०बी० वेंकटेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके तथा पश्चिम जर्मनी के विदेश मंत्री, जो अभी हाल में भारत आये थे, के बीच हुई वार्ता का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिमी जर्मनी से आये शिष्टमण्डल ने पश्चिम जर्मनी से प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण को बढ़ाने के साथ आगामी वर्षों में भारत के साथ आर्थिक संबंधों में और सुधार करने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; तथा वार्ता के दौरान आपसी सहयोग के लिये किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मंत्री ने भारतीय नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में द्विपक्षीय आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों पर विचार किया था। उन्होंने भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच दुहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार में संशोधन करने के लिये एक पूरक प्रोतोकोल पर भी हस्ताक्षर किये।

भारतीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत में जर्मन सघीय गणराज्य के विदेश मंत्री ने बल-पूर्वक यह बात कही कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य इस बात पर विचार-विमर्श करना है कि भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के द्विपक्षीय संबंधों को नया और महत्वपूर्ण प्रोत्साहन कैसे दिया जा सकता है।

जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मंत्री ने कृषि, संचार, सूचना, जीन-इंजीनियरी, नौवहन तथा जहाजरानी के क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण में और न सिर्फ बड़े उद्योगों के क्षेत्र में बल्कि मझौले और लघु उद्यमों के क्षेत्र में भी संयुक्त उद्योगों की स्थापना में अपनी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि जर्मन संघीय गणराज्य ने कुशल श्रमिकों के लिये उद्योगों में सेवा कालीन प्रशिक्षण की विधियां विकसित कर ली है जिन्हें वे भारत को हस्तांतरित करने के लिये तत्पर हैं।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक

***127. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की थिम्पू में हुई मंत्री स्तर की तृतीय बैठक में क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कुछ उल्लेखनीय प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या क्षेत्रीय हित के मामलों का समाधान खोजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) थिम्पू की बैठक के समक्ष दो मुख्य काम थे—एक तो दक्षिण एशियाई सहयोग के कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना और दूसरे इसके शिखर सम्मेलन की तैयारी करना। थिम्पू की बैठक में इन दोनों कामों में कुछ प्रगति हुई है। शिखर सम्मेलन के सिलसिले में यह निश्चय किया गया कि इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के नाम से एक सर्वांगपूर्ण संगठन का श्रीगणेश किया जायेगा। इस सिलसिले में एक चार्टर का प्रारूप भी तैयार किया गया जो आगामी शिखर सम्मेलन में पारित किया जायेगा।

जहां तक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों की समीक्षा का प्रश्न है, थिम्पू की बैठक में मुख्य रूप से इसकी बैठकों और गतिविधियों के इस कदर बढ़ जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श करना था कि अधिकांश सरकारें इन्हें संभालने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं। हम स्थाई समिति की पिछली बैठकों में इस बात पर जोर देते आये हैं कि गतिविधियों का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिसे ज्यादा सुचारू ढंग से चलाया जा सकता हो। हमारी इस बात को व्यापक समर्थन मिला और तदनुसार इसकी गतिविधियों का 1985 की शेष अवधि के लिये एक कार्यक्रम तय करके इसकी बैठकों/सेमिनारों की संख्या भी सीमित की गई। पहले तकनीकी समितियों ने साठ बैठकें/सेमिनार आदि करने की बात सोच रखी थी लेकिन अब इनकी संख्या घटाकर सिर्फ इक्कीस कर दी गई है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की सभी बैठकों में इस क्षेत्र की सामूहिक आत्म-निर्भरता से संबद्ध मामलों पर विचार किया जाता है। लेकिन इसकी बैठकों में द्विपक्षीय विवादास्पद विषयों पर विचार-विमर्श नहीं किया जाता। विश्व की आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए इस बैठक में यह कहा गया कि आई०डी०ए०-7 के लिए पूरक वित्त नियोजन, आई०एफ०ए०डी०, ए०डी०एफ० और यू०एन०डी०पी० के लिये पर्याप्त संसाधन, विश्व बैंक की पूंजी में वृद्धि आई०एम०एफ० के कोटा में पर्याप्त वृद्धि और नये एस०डी०आर० का आबंटन आदि जैसे उपाय बरतकर विकासशील देशों को रियायती संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने के लिये तत्काल उपाय किये जाने चाहिएं। इस बैठक में विकासशील देशों के निर्यात के खिलाफ संरक्षणवादी बाधाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। इस बारे में सहमति हुई कि दक्षिण एशियाई देशों को परस्पर निकट रूप से परामर्श करना चाहिये और सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर-सरकारी और क्षेत्रीय मंचों पर आर्थिक मामलों के सम्बन्ध में सम्मिलित रूप से प्रयास करने चाहिएं।

मणिपुर-नागालैंड सीमा पर तनाव

*128. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मणिपुर-नागालैंड सीमा पर व्याप्त तनाव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तनाव को कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मणिपुर-नागालैंड सीमा पर इस प्रकार का कोई तनाव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांस्कृतिक संग्रहालय

*129. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कुछ सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार का कोई सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उड़ीसा में ऐसा एक सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित करने का है; और

(घ) इस संबंध में कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) दिल्ली में एक सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आग्नेयास्त्रों के निर्माण के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया

*130. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्दूक, पिस्तौल आदि जैसे छोटे आग्नेयास्त्रों के निर्माण के लिए कारखाने खोलने अथवा कोटे में वृद्धि करने के लिए कोई प्रक्रिया अथवा दिशानिर्देश निर्धारित किये हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों में नए कारखाने खोलने अथवा कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोधों को स्वीकार तथा अस्वीकार करने के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-कानूनी कारखानों का सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) छोटे आग्नेयास्त्रों के निर्माण के लिए कारखाने खोलने के लिये नये लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। विद्यमान निर्माताओं द्वारा निर्माण कोटे में वृद्धि करने के लिये अनुरोध पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है।

(ख) दो मामलों में कोटे में वृद्धि करने के लिए अनुरोधों को मान लिया गया है। इस अवधि के दौरान छोटे आग्नेयास्त्रों के कोटे में वृद्धि करने के लिए कोई अनुरोध नामंजूर नहीं किया गया है।

(ग) तथा (घ) शस्त्र अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है और उनसे समय-समय पर यह अनुरोध किया गया है कि वे अनधिकृत हथियारों का निर्माण करने वाले कार-

स्थानों का पता लगाने के लिये अपने प्रयास तेज करें। शस्त्र अधिनियम, 1959 में 1983 में संशोधन किया गया है और 1985 में फिर संशोधन किया गया ताकि आग्नेयास्त्रों के अवैध निर्माण से संबंधित उपबंधों को और अधिक कड़ा किया जाए।

दिल्ली में हत्या और डकैती की घटनाओं में वृद्धि

*131. **श्री कमल नाथ**
श्री यशवंत राव गडाख पाटिल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वर्ष 1984-85 के दौरान हत्या और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से कितने मामलों का पता लगाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 के दौरान हत्या और डकैती से संबंधित मामलों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है।

(ख) जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण कुछ ऐसे सहायक तथ्य हैं जिनके कारण दिल्ली में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ग) सूचित किये गये मामलों में से पुलिस द्वारा हत्या के 306 मामलों और डकैती के 32 मामलों का पता लगा लिया गया है।

(घ) दिल्ली में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. पुलिस निगरानी बढ़ाना।

2. वाकी-टाकी सैटों और वायरलैस युक्त मोटर साइकिलों के साथ सशस्त्र गश्त सहित पैदल तथा चलती फिरती गश्त गहन करना।

3. समाज-विरोधी तत्वों, संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए होटलों गैस्ट हाउसों तथा छिपने के अन्य संभावित स्थानों की नियमित जांच करना।

4. सिनेमा घरों तथा मनोरंजन के अन्य स्थानों में थैले, हाथ के थैले इत्यादि ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए गए।

5. समाज-विरोधी तत्वों और अपराधियों को पकड़ने के लिए पड़ोसी राज्यों से आने वाली बसों और कारों की जांच करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थलों तथा सीमाओं पर पुलिस टुकड़ियां तैनात की गईं।

6. बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अधीन कार्रवाई।

7. आसूचना इकट्ठी करके डकैतों, लुटेरों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिये जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान।

8. अपराध करने में ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की अचानक जांच।

9. ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी करना।

10. स्थानीय निवासियों और निजी चौकीदारों द्वारा पुलिस की गश्तीं टुकड़ियों के समन्वय से ठिकरी पहरा और गश्त का आयोजन।

11. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन कार्रवाईयां और कार्रवाई तेज करना।

12. पड़ौसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर-जिला बैठक।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

*132. **श्री एस०जी० घोलप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन के संबंध में क्या सूचनायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में क्या सुधार हुआ है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) पांच राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में अठारह नामजद न्यायालय गठित किए गए हैं। तीन राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन बारह मामले दर्ज किए गये है।

(ख) कोई मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी क्योंकि अधिनियम को लागू हुए बहुत कम समय हुआ है।

सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन

*133. श्री जी० एस० बसवराजू
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स, में "प्लानर्स वान्ट एक्सेन्ट ऑन मास कन्जम्पशन आईटम्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धि और बढ़िया किस्म की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण हेतु योजना आयोग का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या योजना आयोग ने बड़े उद्योगपतियों से इसके सम्बन्ध में बात-चीत की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) जी, हां

सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन नीतियों और कार्यक्रमों पर बल दिया जायेगा जिनसे खाद्यान्न और सार्वजनिक उपभोग की अन्य वस्तुओं के उत्पादन की गति तेज होगी ताकि अच्छी किस्म की ये वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध हो सकें। कृषि और उद्योग क्षेत्र के कार्यक्रमों से इन लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया जायेगा। बढ़ती हुई इस प्रकार की मांगों की पूर्ति करने के लिए जिनकी घरेलू रूप में पूर्ति न की जा सकती हो, जहां आवश्यक होगा, आयात किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए संबंधित प्रशासनिक अभिकरणों द्वारा अपेक्षित विशिष्ट उपायों पर विचार किया जायेगा और इन्हें कार्यान्वित किया जायेगा।

योजना आयोग ने योजना में अपनाई जाने वाली नीति तथा प्राथमिकताओं और संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन और वितरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को सामान्य रूप से स्वीकार्य किया गया।

कम्प्यूटरों का आयात

*134. श्री चिन्तामणि जेना
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्प्यूटरों का आयात किया जा रहा है और यदि हां, तो प्रति वर्ष औसतन कितने कम्प्यूटर आयात किये जा रहे हैं, और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) क्या सरकार ने कम्प्यूटरों का आयात, जो देश के कम्प्यूटर उद्योग के लिए खतरा है, सीमित करने हेतु आयात-निर्यात नीति में कोई संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 250 प्रतिशत आयात शुल्क देने के बाद भी आयातित कम्प्यूटर देश में बने कम्प्यूटरों से सस्ते पड़ते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे क्या उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि देश में बने कम्प्यूटर सरलता से तथा आयातित कम्प्यूटरों से कम दामों पर उपलब्ध हों ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। यह सच है कि कम्प्यूटरों का आयात किया जाता है। पिछले दो वर्षों में कम्प्यूटरों के आयात के लिए दी गई अनुमति के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

	1983-84	1984-85
कम्प्यूटर प्रणालियों की कुल संख्या जिनके आयात की अनुमति इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा दी गई है	206	318
कुल-मूल्य	1827 लाख रु०	8031 लाख रु०

(ख) जी, हां। सरकार ने ऐसे कम्प्यूटरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आयात नीति में संशोधन किया है, जिनके कारण घरेलू कम्प्यूटर उद्योग के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

(ग) अप्रैल, 1985 से लागू की गई वर्तमान नीति में 10 लाख रु० से कम कीमत वाले कम्प्यूटरों का खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात करने का प्रावधान किया गया है। पहले निर्धारित किये गये उपस्कर सम्बन्धी न्यूनतम संविरचना में संशोधन किया गया है ताकि ऐसे आयातों पर प्रतिबंध लगाया जा सके और स्वदेशी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

(घ) जी, हां। यह सच है कि कुछ श्रेणी के आयातित कम्प्यूटर 200 प्रतिशत के आयात शुल्क (160% मूलभूत तथा 40% सहायक) की अदायगी के बाद भी स्वदेशी कम्प्यूटरों से सस्ते पड़ते हैं।

(ङ) स्वदेशी कम्प्यूटर आसानी से और सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनेक उपायों की घोषणा की है। संशोधित कम्प्यूटर नीति के [एक भाग के रूप में कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर से सम्बन्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए उदार नीति की घोषणा 19 नवम्बर, 1984 को की गई थी। इस नीति के अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु (माइक्रो/मिनी) कम्प्यूटरों, जिनमें वैयक्तिक कम्प्यूटर भी शामिल हैं, का विनिर्माण किसी भी ऐसे भारतीय कम्पनी द्वारा किया जा सकता है जो या तो पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय कम्पनी है अथवा निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में जिसकी साम्यापूंजी 40% से अधिक नहीं है। कम लागत वाली प्रणालियों (3 लाख रु० से कम मूल्य) के मामले में विनिर्माण की क्षमता पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिसे पहले संगठित क्षेत्र की इकाइयों के मामले में लागू किया गया था। संशोधित नीति में स्वदेश में ही उत्पादित कम्प्यूटरों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी/डिजाइन तथा रेखाचित्र (ड्राइंग) के उदार आयात की अनुमति दी गई है। इन वस्तुओं के उत्पादन के लिए एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम्प्यूटरों पर से उत्पादन शुल्क हटा लिया गया है, जिसमें केन्द्रीय संसाधन एकक (सी० पी० यू०) और उपान्त-उपस्कर (पेरीफरल) शामिल हैं। कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटरों के उपान्त-उपस्करों के लिए कच्ची सामग्रियों संघटक-पुर्जों और उप-प्रणालियों पर लगने वाले आयात शुल्क को घटाकर काफी कम कर दिया गया है। इन उपायों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि मूल्य घटेंगे और मांग बढ़ेगी।

कर्नाटक में बाघ परियोजना के अन्तर्गत लगाए गए वन

*135. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बाघ परियोजना के अन्तर्गत कौन से वनों को शामिल किया गया है;

(ख) उक्त परियोजना के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी धनराशि मन्जूर की गई थी;

(ग) परियोजना शुरू होने के बाद से अब तक बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या उक्त परियोजना के क्रियान्वयन में कुछ कमियों का पता लगा है; और

(ङ) क्या बाघ परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया/शामिल किये गये वनों में बाघों का अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ही केवल मात्र वन क्षेत्र है, जो बाघ परियोजना के तहत शामिल किया गया है।

(ख) कर्नाटक में उपरोक्त परियोजना बाघ स्कीम के लिए 1984-85 के दौरान मन्जूर की गई धनराशि 21 लाख रुपये थी।

(ग) बांदीपुर बाघ आरक्षण क्षेत्र में 1972 में की गई प्रथम बाघ गणना के अनुसार बाघों

की संख्या 10 थी, जो 1984 में की गई पिछली गणना के समय, 53 हो गई, जबकि बांदी बाघ परियोजना को 1973 में शुरू किया गया था।

(घ) कोई बड़ी खामियां ध्यान में नहीं आई हैं।

(ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

मुनबा और खोकरोपार के बीच रेलमार्ग खोलना

*136. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1985 के प्रथम सप्ताह में हुई भारत-पाक संयुक्त आयोग के उप-आयोग की बैठक में मुनबा (भारत) और खोकरोपार (पाकिस्तान) के बीच रेल मार्ग आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत ने 1974 के वीसा करार की शर्तों के अन्तर्गत खोकरापार-मुनाबाओ चेकपोस्टों को दोबारा खोलने के अपने पहले के प्रस्ताव को पुन: दोहराया। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।

सातवीं योजना में पहाड़ी जिलों के लिए

*137. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु अपने पहाड़ी जिलों के लिए कुल कितनी धनराशि के प्रावधान का सुझाव दिया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग को इस बात की जानकारी है कि निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार आबंटित धनराशि का पहले उपयोग न होने के कारण राज्य के इस भाग में कुछ अन्तर-क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है और केवल एक या दो जिलों का विकास हुआ है तथा अन्य अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस असन्तुलन को रोकने तथा दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश

सरकार ने उप-योजना के अन्तर्गत अपने पहाड़ी जिलों के लिए 1075 करोड़ रु० के परिव्यय का सुझाव दिया था। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र उप-योजना राज्य सरकार से अभी प्राप्त होनी है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की उप-योजना में 8 पहाड़ी जिले एक क्षेत्र के रूप में शामिल हैं। परिव्ययों के अन्तर जिला वितरण के लिए योजना आयोग द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, धन-राशियों के उपयोग न किये जाने के कारण असंतुलन उत्पन्न नहीं हुए हैं। जिला-क्षेत्र योजना के अन्तर्गत पहाड़ी जिलों के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करने के लिए विकेन्द्रित योजना प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रभावी उपाय किये गये हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विकेन्द्रित योजना के मानकों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्र उप-योजना के कुल योजना परिव्यय का लगभग 52 प्रतिशत पहाड़ी जिलों के लिए अलग से आबंटित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र की शेष 48 प्रतिशत धन-राशि से भी जिलों को लाभ मिलता है। धन-राशियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने और वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिला/प्रभाग और राज्य स्तर पर प्रगति की आवधिक समीक्षा और मानीटरिंग किया जाता है। इस प्रकार, अन्तर जिला असंतुलन कुछ जिलों के आरम्भ से ही पिछड़ेपन और उनके लगातार पिछड़ा हुआ रहने से संबद्ध प्रतीत होता है।

[अनुवाद]

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोक्ताओं को प्रोत्साहन

*138. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोक्ताओं को दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विदेशी पर्यटक

*139. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 1983-84 और 1984-85 में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में औसतन कितने विदेशी पर्यटक आये;

(ख) क्या भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में प्रति वर्ष काफी वृद्धि हो रही है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, बिहार में नालन्दा, असम में काजीरंगा वन तथा उड़ीसा

में कोणार्क जाने वाले पर्यटकों के लिए अब क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1983-84 और 1984-85 के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या, पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़ कर, इस प्रकार है :—

	1983-84	1984-85
दिल्ली	313,856	285,192
बम्बई	347,823	314,592
कलकत्ता	38,523	35,375
मद्रास	77,916	69,519

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या, पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर, प्रतिशतता-अन्तर सहित इस प्रकार है :—

वर्ष	पर्यटकों की संख्या	%अन्तर
1980	800,150	4·6
1981	853,148	6.6
1982	860,178	0.8
1983	884,731	2.9
1984	852,503	—3.6

उपर्युक्त से यह पता लगता है कि 1984 को छोड़कर शेष सभी वर्षों के दौरान संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(ग) माननीय सदस्य ने पर्यटकों द्वारा यात्रा करने के लिए जिन स्थानों का उल्लेख किया है वहां जो सुख.सुविधाएं अब उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) **दार्जिलिंग** : दार्जिलिंग जाने के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे तक वायु-सेवा द्वारा पहुंचा जा सकता है और वहां से पर्यटक-कोच, पर्यटक-टैक्सियां, प्राइवेट टैक्सियां मिलती हैं।

न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए छोटी लाइन की रेलगाड़ी मिलती है जो पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है।

दार्जिलिंग सड़क मार्ग द्वारा सिलिगुड़ी और बागडोगरा से भली-भांति जुड़ा हुआ है और

दार्जिलिंग, सिलिगुड़ी और बागडोगरा के बीच राज्य सड़क परिवहन की बसें चलती हैं।

दार्जिलिंग और इसके आस-पास के स्थानों के स्थानीय दृश्यावलोक हेतु प्राइवेट टैक्सियां, जीपें और लेण्डरोवर्स उपलब्ध हैं।

दार्जिलिंग में जो आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें स्टार श्रेणी के कुछ होटल, अन्य होटल, राज्य सरकार पर्यटक गृह और यूथ होस्टल शामिल हैं।

(2) **नालन्दा** : बिहार की राजधानी पटना से नालन्दा लगभग 103 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से नालन्दा जाने के लिए टैक्सियां तथा बसें उपलब्ध हैं। आई० टी० डी० सी० ट्रांसपोर्ट यूनिट, पटना से कारें और कोच भी किराये पर लिए जा सकते हैं। खास नालन्दा में एक पी० डब्ल्यू० डी० निरीक्षण बंगले को छोड़कर कोई आवासीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, नालन्दा के निकट एक प्रमुख नगर राजगीर में भारतीय होटल निगम और होक्के क्लब आफ जापान के बीच एक संयुक्त सेक्टर होटल और राज्य सरकार का एक पर्यटक गृह है।

(3) **काजीरंगा** : काजीरंगा वन ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है और इस विहार-स्थल पर पहुंचने के लिए जोरहाट अथवा गोलाघाट से किराये पर टैक्सी ली जा सकती है। काजीरंगा पहुंचने के लिए विभागीय जीपें और मिनी बसें भी किराये पर ली जा सकती हैं। काजीरंगा में जो आवासी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें स्टार श्रेणी का एक होटल, वन गृह, पर्यटक बंगले और निरीक्षण बंगले शामिल हैं।

(4) **कोणार्क** : कोणार्क भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है और इन दोनों स्थानों के बीच नियमित बस सेवा उपलब्ध है कोणार्क पुरी से भी नियमित बस सेवाओं द्वारा जुड़ा है कोणार्क में जो आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें राज्य सरकार का यात्री गृह, पर्यटक बंगला और निरीक्षण बंगला शामिल है।

[**हिन्दी**]

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन पर होने वाला व्यय

*140. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को जून, 1985 से प्रतिमाह 500 रुपया स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन मिलनी शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां तो इस पर प्रति वर्ष कितना खर्च होने का अनुमान है;

(ग) राज्य-वार कुल कितने स्वतन्त्रता सैनानियों को पेंशन मिल रही है;

(घ) प्रत्येक राज्य में स्वतन्त्रता सैनानियों के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं; और

(ङ) उक्त आवेदन पत्रों के शीघ्र निबटान को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) यह निर्णय किया गया है कि स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 जून, 1985 से मासिक पेंशन की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाये। पेंशन की बढ़ी हुई दर दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के लिए भी लागू होंगी। इस सम्बन्ध में औपचारिक निर्देश शीघ्र ही जारी किये जाने की आशा है।

(ख) पेंशन की दर में वृद्धि के कारण 24 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार संख्या, जिन्हें पेंशन मन्जूर की गई है तथा जिनके मामले (30-6-1985 को) लम्बित हैं, उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ङ) केन्द्रीय/राज्य स्तर पर मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) गृह मंत्रालय के अनुरोध पर अधिकांश राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों ने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रार्थनापत्रों पर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अलग से विशेष सैल स्थापित किये हैं। उन्हें लम्बित पड़े सभी मामलों को निपटाने के लिए अभियान शुरू करने की सलाह दी गई है।

(2) सरकार ने सम्मान पेंशन के उद्देश्य से क्षेत्रीय आन्दोलनों/विद्रोहों को मान्यता देने जैसे महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषयों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर गैर सरकारी सलाहकार समिति का भी गठन किया है।

(3) गृह मंत्रालय की सलाह पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने राज्य/जिला स्तर की समितियां बनायी हैं जिनमें वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के यातनाओं के दावों के सत्यापन तथा वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पहचानने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शामिल किया गया है।

(4) जिन राज्यों में अपेक्षाकृत लम्बित मामलों की संख्या अधिक थी उन राज्यों के स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के मामलों से संबंधित अधिकारियों की एक बैठक राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 13-6-1985 को की गयी थी तथा उस समय ही लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के बारे में विभिन्न सुझाव दिये गये थे।

(5) दिनांक 8-7-1985 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों से लम्बित प्रार्थना पत्रों के बारे में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है।

विवरण

पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रत्येक राज्य में लम्बित प्रार्थनापत्रों की संख्या की राज्यवार स्थिति का विवरण

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या	लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	6128	4676
असम	4064	6707
बिहार	21167	23466
गुजरात	3370	—
हरियाणा	1305	258
हिमाचल प्रदेश	432	10
जम्मू व कश्मीर	1545	557
केरल	2207	7960
कर्नाटक	8949	3211
मध्य प्रदेश	3076	—
महाराष्ट्र	12599	8695
मणिपुर	59	19
मेघालय	72	—
नागालैण्ड	3	10
उड़ीसा	3755	2918
पंजाब	5789	1378
राजस्थान	676	53
सिक्किम	—	—
तमिलनाडु	3821	503

1	2	3
त्रिपुरा	689	225
उत्तर प्रदेश	16920	2001
पश्चिम बंगाल	15592	29844
संघ शासित क्षेत्र		
अण्डमान व निकोबार	38	—
चण्डीगढ़	81	18
दिल्ली	1828	—
दादरा व नगर हवेली	—	—
गोवा	674	303
लक्ष्य द्वीप प्रशासन	—	—
पांडिचेरी	276	24
मिजोरम	3	—
अरुणाचल प्रदेश	2	4
आजाद हिन्द फौज के मामले	18523	3367
कुल	133733	96,207

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशन लाभ

1243. **श्री चिन्ता मोहन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई पुराने पेंशन भोगियों (1954 से पूर्व) को सरकारी अधिसूचना में दोष के कारण अभी तक कोई नए पेंशन लाभ नहीं प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार स्थिति को स्पष्ट करने और सभी पेंशन भोगियों को एक समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिनांक

1.4.1979 से लागू उदारीकृत पेंशन फार्मूले को लागू करने वाले वित्त मंत्रालय के दिनांक 22 अक्तूबर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा० 1(3)-ई V/83 द्वारा जारी किए गए आदेश पुराने पेंशनभोगियों (1954 से पहले के) सहित सभी पेंशनभोगियों पर लागू होते हैं। किन्तु इस मंत्रालय के दिनांक 21 जून, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/5/84 पेंशन यूनिट के अधीन जारी किए गए आदेश केवल उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो 31 मार्च, 1985 को अथवा उसके पश्चात सेवा से निवृत्त हो गए थे/हो रहे हैं।

रोजगार गारन्टी योजना के लिए महाराष्ट्र को सहायता

1244. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार गारन्टी योजना के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या इसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

टेलीफोन उपकरणों का निर्माण

1245. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोन उपकरणों/उपस्करों की वार्षिक निर्माण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या देश में टेलीफोन उपकरणों की निर्माण क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय देश में टेली-

फोन उपकरणों के विनिर्माण के लिए समूची लाइसेंस शुदा क्षमता इस प्रकार है :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र (10 इकाइयां)	प्रतिवर्ष 47.5 लाख
(ii) निजी क्षेत्र (36 इकाइयां)	प्रतिवर्ष 46.15 लाख
कुल योग	प्रतिवर्ष 93.65 लाख

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तरिक्ष अनुसंधान की उपलब्धिया

1246. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष अनुसंधान में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों तथा वाणिज्य और उद्योग जगत पर उनके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) अन्तरिक्ष अनुसंधान के सम्बन्ध में सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं; और

(ग) अन्तरिक्ष अनुसंधान रक्षा सेनाओं के लिए कहां तक लाभकारी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1. --उपग्रह शैक्षणिक दूरदर्शन परीक्षण (साइट), उपग्रह दूरसंचार परीक्षण परियोजना (स्टेप) के पूरा होने के साथ ही सुदूर संवेदन संबंधी सर्वेक्षणों और उपयोगों के क्षेत्र में की गई प्रगति, आयभट और भास्कर-I के प्रमोचन तथा एस० एल० वी०-3 द्वारा रोहिणी के सफल प्रमोचन से अन्तरिक्ष प्रोफाइल 1970-80 में निर्दिष्ट सभी उद्देश्य काफी हद तक पूरे हो गए और कुछ क्षेत्रों में तो ये आगे भी बढ़ गये।

2—छठी योजना अवधि के दौरान भास्कर-II और एप्पल कार्यक्रम के सफलतापूर्वक निष्पादन से संचार और सुदूर संवेदन के लिए प्रचालनात्मक उपग्रहों के निर्माण की क्षमता अब विद्यमान है।

3—इन उपग्रहों के विकास के समानान्तर, इनके उपयोग के लिए एक कार्यक्रम का भी योजना बनाई गई थी; इस प्रकार उपयोग और उपग्रह प्रौद्योगिकी के धागों को जोड़ा गया। भास्कर-I और II का उपयोग कम पैमाने पर पूर्ण विस्तृत उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के प्रबन्ध में अनुभव प्राप्त करने के लिए किया गया। इस संबंध में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ है,

जिसका उपयोग आई० आर० एस० कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। भारत के प्रथम भू-स्थायी संचार उपग्रह एप्पल ने संचार एवं उन्नत अन्तरिक्षयान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया है। एप्पल उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ववर्ती 'स्टेप" परियोजना संबंधी कई परीक्षणों का विस्तार किया गया। यह अनुभव, न केवल इन्सैट-II अन्तरिक्ष खण्ड के विकास के लिए मूल्यवान होगा, अपितु इन्सैट अन्तरिक्षयान के इष्टतम उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण होगा।

4—एस०एल०वी०-3 डी-2 द्वारा अप्रैल, 1983 में रोहिणी आर० एस० डी-2 के सफल प्रमोचन से प्रौद्योगिकी विकास के एक महत्वपूर्ण अवयव की सिद्धि हुई है। क्षमताओं में सन्तुलित होने के बावजूद, एस० एल० वी०-3 राकेट संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट परियोजनाओं, जो अब प्रगति में है, का एक निर्णायक अग्रदूत था।

5—अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनेक राकेट, बेलून आधारित तथा भू-आधारित परीक्षण आयोजित किए गए और कास्मिक-किरण सम्बन्धी परीक्षण (अनुराधा) नीतभार को "स्पेस-लेब" में भेजा गया। भारतीभ मध्य वायुमण्डलीय कार्यक्रम, जिसे कई राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से आयोजित किया गया और जिसमें एम० एस० टी० राडार जैसा उपस्कर शामिल है, की सुदृढ़ नींव डाली गयी है।

6—भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली ने देश में दूरसंचार, दूरदर्शन और रेडियो आवरण और मौसम विज्ञानीय आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदान की है।

7—वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों, उपयुक्त प्रशासकीय तथा अन्य आनुपातिक सहायता सहित तकनीशियनों की एक बृहद और सक्षम टीम का सृजन किया गया है।

8—भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन औद्योगिक दोहन के लिए अपनी प्रौद्योगिकीयों का अन्तरण करता है और अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक आधार का भी उपयोग करता है। भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की प्रौद्योगिकीय चुनौतियों और प्रचक्रणों (स्पिन-ऑफ) ने पहले ही विशेष द्रव्यों और रसायनों, परिशुद्ध संविरचन प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और विश्वसनीय इंजीनियरी इत्यादि के क्षेत्र में उद्योग को लाभ पहुंचाया है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की परियोजनाओं और कार्यक्रमों के साथ विविध सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग सम्बद्ध हैं। विविध उद्योगों के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों/इन्जीनियरों द्वारा परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं।

(ख) 1—अभी तक जो प्रगति प्राप्त की गई है, उससे भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम, राष्ट्रीय विकास के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के आत्मनिर्भर उपयोग के लक्ष्य की दिशा में निर्देशित है, तथा इसमें (1) विविध राष्ट्रीय उपयोगों के लिए उपग्रह संचार; (2) संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध, पर्यावरणीय मानीटरन तथा मौसम विज्ञानीय सेवाओं के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन; और (3) इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्वदेशी उपग्रहों और प्रमोचक राकेटों का विकास और प्रचालनीकरण पर मुख्य बल प्रदान किया गया है।

2—जबकि उपर्युक्त प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में प्रभावी रहेंगे, सातवीं योजना 1985-90 में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के सीधे और परोक्ष उपयोगों की नींव रखी जाएगी। मुख्य जोर निम्न पर होगा :—

(1) अन्तरिक्ष कार्यक्रम के संक्रमण को, क्षमता निर्माण, उपयोगी प्रदर्शनों तथा प्रायोगिक मिशनों से संचार और सुदूर संवेदन उपग्रहों पर आधारित अर्ध प्रचालनात्मक तथा प्रचालनात्मक प्रणालियों की दिशा में यथा शीघ्र तीव्र करना।

(2) अन्तरिक्ष यानों और प्रमोचक राकेटों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना; प्रमोचक राकेट, उपग्रह, उपयोगों, विकास तथा उपयोग कार्यक्रमों के बीच आंतरिक-सम्बन्धों को पूरा करने की दिशा में प्रगति करना; और प्राप्त प्रमोचकों के लिए विकल्पों को बन्द करना।

(3) विस्तृत निर्देशित अध्ययनों और अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से भावी उन्नत अन्तरिक्ष प्रणालियों के विकास की नींव रखना।

3—भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का ब्यौरा, इसके उद्देश्य, उपलब्धियां इत्यादि 1980-90 के स्वीकृत अन्तरिक्ष प्रोफाइल में दिया गया है, जिसकी प्रतियां 19-8-1981 को लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत की गई थी। अन्तरिक्ष विभाग का कार्य निष्पादन और कार्यक्रम का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्टों में भी दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) अन्तरिक्ष विभाग की परियोजनाओं और कार्यक्रमों का उद्देश्य बाह्य अन्तरिक्ष का शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग करना रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कोई भी विकास रक्षा सेनाओं सहित अन्य एजेन्सियों के लिए भी उपयोगी होगा।

पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु ट्रेवल एजेन्ट्स एसोसिएशन का ज्ञापन

1247. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैवल एजेन्ट्स एसोसिएशन आफ इण्डिया ने कुछ विशिष्ट नीति सम्बन्धी सिफारिशें करते हुए सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिनसे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मुख्य सिफारिशों में से कुछ सिफारिशें तथा सरकार की प्रतिक्रिया नीचे दी गई हैं—

सिफारिशें	सरकार की प्रतिक्रिया
स्वदेशी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए :	विभाग स्वदेशी पर्यटन की संभाव्यता से पूरी तरह से अवगत है तथा इस उद्देश्य के लिए बहुत सी योजनाएं पहले ही प्रारम्भ कर दी गई हैं।
बाजार विकास कोष की स्थापना :	सरकार ने 1 अप्रैल 1986 से कोष स्थापित करने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ कर दी है।
आरक्षण तथा अन्य पर्यटक सेवाओं को स्वचालित करने की आवश्यकता :	प्रथम चरण के रूप में एयर इन्डिया तथा इंडियन एयरलाइन्स ने कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन प्रारम्भ किया है।
उपभोक्ता विज्ञापन प्रारम्भ करने की आवश्यकता :	पर्यटन विभाग में इस दिशा में अपनी नीति का पहले ही पुर्नाभिमुखीकरण कर दिया है और यह चालू वित्त वर्ष के दौरान विश्व के विभिन्न भागों में उपभोक्ता विज्ञापन देना प्रारम्भ कर देगा।

दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण

1248. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जाने वाले क्षेत्रों में वायु और जल प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) क्या यमुना पार की कालोनियों जैसे नोएडा आदि में जल का एक अलग ही स्वाद होता है और वह भी प्राय: कीचड़ के साथ मिला हुआ आता है; और

(ग) यदि हां, तो विशेषकर राजधानी और यमुना पार की कालोनियों में गैर प्रदूषित वायु और जल की सुनिश्चितता के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) राजधानी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु तथा जल प्रदूषण में वृद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

1249. **श्री रेणुपद दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि को देखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति की रकम में वृद्धि करने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई दरें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को इसके सभी सम्बन्धित पहलुओं, रहन-सहन की लागत पर विचार करके इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा और वृद्धि करती रही है। अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की वर्तमान दरों को, जो छात्रों द्वारा अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त है, जुलाई, 1981 से संशोधित कर दिया गया है। दरों में आगे संशोधन यथा समय पर किया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दरों का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दरों का विवरण

(जुलाई 1981 से संशोधित)

छात्रवृत्ति की कीमत

छात्रवृत्ति की राशि में रख-रखाव प्रभार, शुल्क और अनुमोदित अध्ययन दौरों और थिसिस के टाइपिंग/प्रिंटिंग पर व्यय सम्मिलित हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) **रख-रखाव भत्ता**

अध्ययन पाठ्यक्रम	अध्ययन पाठ्यक्रम का वर्ष	रख रखाव भत्ते की दरें			
		छात्रावासी		दिन में पढ़ने वाले छात्र	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
		रुपए प्रति माह			
1	2	3	4	5	6
ग्रुप "क"					
1. मेडिकल/इन्जिनियरिंग	प्रथम वर्ष में	185	195	100	110

1	2	3	4	5	6
	द्वितीय वर्ष और उसके बाद	185	200	100	115
2. बी० एस० सी० (कृषि)/बी० वी० एस० सी०					
3. कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर और स्नातक पाठ्यक्रम जैसे उच्च तकनीकि और व्यवसायिक अध्ययन					
ग्रुप "ख"					
भारतीय औषध में डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम, कला स्नातक, एम० एण्ड एस० और आयुर्वेदिक, यूनानी/तिबिया और होम्योपैथिक औषध प्रणाली में समतुल्य पाठ्यक्रम।	प्रथम वर्ष में	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष और उसके बाद	130	145	105	120
डिप्लोमा और इन्जिनियरिंग, टैक्नोलोजी, भवन निर्माण, औषध में समतुल्य पाठ्यक्रम और मुद्रण तकनीक और समुद्र पारीय, ड्राफ्टमैन के लिए पाठ्यक्रम, सर्वेयर के स्तर के पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा।					
कोमरसियल पायलेट लाइसेंस, होटल प्रबन्ध, खानपान तकनीक और अपलाईड न्यूट्रेशन में उच्च पाठ्यक्रम।					
नर्सिंग और भेषज विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम					

1	2	3	4	5	6
वायरलैस और टेलिविजन ओपरेटर, साऊंड रिकोर्डिंग और साऊंड इन्जीनियरिंग मोशन पिक्चर, फोटोग्राफी, फिल्म डायरैक्शन, फिल्म एडिटिंग, फिल्म एक्टींग, स्क्रीन प्ले राइटिंग ।					
बिजनिस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टेड और कोस्ट/वर्क एकाउंटेंसी में स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।					
विज्ञान में विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ।					
ग्रुप "ग"					
इन्जीनियरिंग तकनीकी, भवन निर्माण और औषध में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष में	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष और उसके बाद	130	145	105	115
कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, भारतीय मछली उद्योग, डेरी डिवलपमैंट, सफाई और जन स्वास्थ्य, सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम, ग्रामीण सेवाओं में पाठ्यक्रम, सहकारिता और सामुदायिक विकास में डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज नागपुर में उप अधिकारियों क. पाठ्यक्रम ।					
अध्यापन प्रशिक्षण, पुस्तकालय विज्ञान और शारीरिक शिक्षा संगीत ललित कला और कानून में स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा	*पर्यटन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एथोरिटी लिट० सं० बी० सी०-11017/20/83-पी० सी० आर० सैल, दिनांक				

1	2	3	4	5	6
और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, होटल प्रबन्ध, खानपान तकनीक और अपलाईड न्यूट्रीएशन में वास्तुकला प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ।	दिनांक 19.10.83) एम० फिल/पी० एच०डी० (एथोरिटी पत्र संख्या बी० सी० 11017/12/82-पी० सी० आर० सैल दिनांक 7.10.83)				
कला और वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ।*	म्यूसिओलोजी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एथोरिटी पत्र संख्या बी० सी० 11017/6/83-पी० सी० आर० दिनांक 19.10.83)				
ग्रुप "घ"					
स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष और आगे)	द्वितीय वर्ष और आगे	115	130	170	85
ग्रुप "ङ"					
10+2 प्रणाली में XI और XII कक्षाएं इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम और स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष ।	प्रथम वर्ष में	75	85	50	60
	द्वितीय वर्ष में सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष	80	95	55	70

दृष्टिहीन छात्रों को प्रथम वर्ष में 25/रु० प्रतिमाह और द्वितीय वर्ष और उसके बाद के वर्षों में 35/रुपये प्रतिमाह की दर से "पढ़ाने वाले" के प्रभार के रूप में अतिरिक्त राशि दी जाएगी ।

शुल्क

छात्रों को भर्ती/पंजीकरण, ट्यूशन, खेल यूनियन, पुस्तकालय, मैगजीन मैडिकल जांच और छात्र द्वारा संस्थान या विश्व विद्यालय/बोर्ड

को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले शुल्क दिए जाएंगे। तथापि अग्रिम धन सुरक्षा जमा राशि जैसी वापिस दी जाने वाली राशि को छोड़ दिया जाएगा।

अध्ययन दौरा :

व्यवसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम में पढ़ रहे छात्रों को छात्र द्वारा रेल/बस किराया, तांगा प्रभार आदि पर किए गए वास्तविक व्यय के लिए 100/रुपये प्रति वर्ष की दर से अध्ययन दौरा प्रभार दिया जाएगा बशर्ते कि संस्थान का प्रमुख यह प्रमाणित करे कि छात्र के अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दौरा आवश्यक था।

थिसिस टाईपिंग/मुद्रण प्रभार :

संस्थान के प्रमुख की सिफारिश पर अनुसंधान छात्रों को अधिकतम 100/रु० की दर से थिसिस टाईपिंग/प्रिंटिंग प्रभार भी दिया जाएगा।

(1) जो छात्र मुफ्त बोर्डिंग और लोजिंग के हकदार हैं उन्हें छात्रावासियों की दरों के एक तिहाई की दर से रख रखाव भत्ता दिया जाएगा (अथोरिटी : 11017/4/77-एस० सी० टी०-IV दिनांक 5.9.1978)।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में 5 दिन का सप्ताह

1250. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में पांच दिन का सप्ताह वाला फार्मूला कार्यान्वित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिन स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध भगौड़ा होने के मामले वापस ले लिए गए थे उन्हें पेन्शन देना

1251. **श्री पूर्ण चन्द मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन व्यक्तियों के विरुद्ध भगौड़े होने के मामले वापस ले लिए गए थे, उन्हें स्वतंत्रता सैनानी पेन्शन देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(ख) उन स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध भगौड़े होने के मामले वापस ले लिए गए थे; और

(ग) उपरोक्त मामलों पर निर्णय करने में सरकार कितना समय लेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) वे व्यक्ति जो 6 महीने या इससे अधिक की अवधि के लिए भूमिगत रहे हैं और जिनके विरुद्ध अभियोग बाद में वापस ले लिए गए थे या समाप्त कर दिए गए थे, उन्हें पेंशन देने के मामले पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि नियम के अनुसार इन व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए। यह भी निर्णय किया गया था कि गृह मंत्री पात्र मामलों में अपवाद के रूप में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन प्रदान करने का प्रश्न सरकार के पुनः विचाराधीन है और जैसे ही इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा, इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले मामलों को यथा समय निपटा दिया जाएगा। इस प्रकार के मामलों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा गया है।

[हिन्दी]

कनिष्क विमान के यात्रियों की सूची

1252. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्घटनाग्रस्त "कनिष्क" विमान के यात्रियों की दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर उपलब्ध कराई गई सूची में केवल उपनाम जैसे चोपड़ा, गुप्ता, बेदी आदि ही दिए गए थे और इसमें आयु, लिंग आदि जैसी अन्य अपेक्षित सूचनाएं नहीं थीं; और

(ख) यदि हां, तो एयर इन्डिया में यात्रियों की इस प्रकार की सूची बनाने की प्रणाली कब से चल रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, हां। विमान दुर्घटना की सूचना के तुरन्त बाद जारी की गई यात्रियों की सूची में कुछ स्थानों पर यात्रियों के पूरे विवरण नहीं दिए गए थे क्योंकि ये सूचियां एयर इन्डिया के विभिन्न स्टेशनों से प्राप्त टेलेक्स संदेशों के आधार पर तैयार की गई थीं। यात्रियों की आयु लिखने की परिपाटी नहीं है। तथापि, बाद में दूसरी सूची जारी की गई थी जिसमें यात्रियों के पूरे विवरण दिये गये थे।

एयर इंडिया की बुकिंगों में अपने यात्रियों के आद्याक्षर और उप-नाम देने की परिपाटी है।

हवाई अड्डों पर पक्षियों का टकराना

[अनुवाद]

1253. श्री आर० एम० भोये : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षियों के विमानों से टकराने के कारण हवाई पट्टी पर विशेषकर "वर्ष 1984 के दौरान और 31 मई, 1985" तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने पक्षियों के टकराने की घटनाओं से प्रभावकारी तरीके से निपटने के लिए उसमें सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए विशेष समिति नियुक्त की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1.1.84 से 31.12.84 और 1.1.85 से 31.5.85 की अवधि के दौरान धावन-पथों पर भारतीय

विमानों से पक्षियों के टकराने की घटनाओं की संख्या क्रमश: 65 और 28 थी।

(ख) और (ग) जी, हां। पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पक्षियों के विमानों से टकराने सम्बन्धी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समिति में नागर विमानन महानिदेशालय, वायुसेना मुख्यालय, इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति अनेक अन्य समितियों और देश में विभिन्न हवाई अड्डों के प्रभारी अधिकारियों का भी मार्ग-दर्शन करती है।

ट्रांस वर्ल्ड एयर लाइन्स, अमरीका द्वारा भारत में उड़ान आरम्भ करना

1254. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स ने भारत में अपनी उड़ानें आरम्भ कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से, किन-किन मार्गों पर और सप्ताह में कितनी बार; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत):(क) से (ग) जी, हां। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन्स ने 29 अप्रैल, 1985 से न्यूयार्क/काहिरा/कुवैत/बम्बई और वापसी मार्गों पर सप्ताह में तीन सेवाओं का प्रचालन आरम्भ कर दिया है।

गंगा को शुद्ध करने के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि

1255. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा को शुद्ध करने के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : योजना आयोग ने चालू वर्ष 1985-86 के लिए 10 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं तथा सातवीं योजना अवधि के लिए 80 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय निर्दिष्ट किया है। राज्य-वार ब्यौरा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि तीन राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल से प्राप्त योजनायें अभी परीक्षण के अन्तर्गत हैं।

क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के लिए जोनल केन्द्रों की स्थापना

1256. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के लिए चार जोनल केन्द्र स्था-

पित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन जोनल केन्द्रों के प्रबन्ध और कार्यकरण के स्वरूप की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या यह जोनल केन्द्र कलाओं, भाषाओं, साहित्य और संस्कृति के विकास के लिये सम्बन्धित क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी एजेंसियों को सम्बद्ध करेंगे;

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में स्वयंसेवी एजेंसियों को सम्बद्ध करने के स्वरूप की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना और 1985-86 की वार्षिक योजना में इन जोनल केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार ने देश में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है।

(ख) क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त संगठनों के रूप में करने का विचार है। भाग लेने वाले राज्यों के परामर्श से इनके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। ये केन्द्र न केवल भाग लेने वाले राज्यों की संस्कृति के रूपों तथा पद्धतियों की अद्वीयता को दर्शाएंगे बल्कि उनके सांस्कृतिक सम्बन्धों को भी दर्शाएंगे, जो क्षेत्रीय सीमाओं से बन्धे हुए नहीं हैं।

(ग) और (घ) ये केन्द्र व्यक्तियों के भाग लेने पर विशेष दबाव डालेंगे जिसमें स्वैच्छिक एजेन्सियों का भाग लेना भी शामिल होगा।

(ङ) इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए केन्द्रीय सरकार की सातवीं योजना में अस्थायी रूप से 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है क्योंकि यह नई योजना है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें

1257. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या गृह मंत्री अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने के बारे में 20 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयोग के पांचवें प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या टिप्पणी/प्रतिक्रिया है?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) :

(क) और (ख) रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

एयर फ्रांस द्वारा बीजिंग के लिए बरास्ता दिल्ली एक नई उड़ान आरम्भ करना

1258. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर फ्रांस ने अपनी विस्तार योजना के भाग के रूप में बीजिंग के लिए बरास्ता दिल्ली एक नई उड़ान आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इसका रूट क्या है और क्या यह कलकत्ता से होकर जाएगी;

(ग) क्या एयर फ्रांस ने दिल्ली और पेरिस के बीच चार उड़ानें आरम्भ करके अपनी क्षमता में भी वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो इस रूट पर एयर इंडिया की यातायात क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या कुछ क्षेत्रों में अपनी उड़ानों में वृद्धि करते समय विदेशी विमान सेवाओं और एयर इण्डिया के बीच कोई पारस्परिकता भी होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयर इंडिया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े; और

(च) यदि हां, तो इसे किस प्रकार लागू किया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीय विमान सेवा के वायु यातायात अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, हां। एयर फ्रांस ने 28.6.1985 से पेरिस-दिल्ली-बीजिंग और वहां से वापस मार्ग पर दिल्ली से होकर पेरिस और बीजिंग के बीच नई उड़ान का प्रचालन शुरू कर दिया है। यह उड़ान कलकत्ता से होकर नहीं गुजरती है।

(ग) और (घ) जी, हां। तथापि, एयर इंडिया की यातायात क्षमता पर इसके प्रभाव को मापना संभव नहीं होगा।

(ङ) और (च) विदेशी एयरलाइनों के भारत को/भारत से होकर और एयर इंडिया के अन्य देशों को/अन्य देशों से होकर किये जाने वाले प्रचालन भारत तथा इन देशों के बीच हुए विमान सेवा करार के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होते हैं। द्विपक्षीय सेवा करारों पर पारस्परिक और आपसी हितों के आधार पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। पारस्परिक करारों में की गई व्यवस्था के अनुसार इन करारों के उपबंधों की समय-समय पर समीक्षा या पुनरीक्षा की जाती है।

विद्यालयों में योग की शिक्षा

1259 **श्री एम० रामचन्द्रन : क्या युवा कार्य और खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के "कलारी पयजू" जैसी पारस्परिक शौर्य कलाओं को ग्रामीण खेलों के विकास के एक भाग के रूप मे प्रोत्साहित किया जाएगा; और

(ख) क्या योगाभ्यास के वैज्ञानिक रूप मे सिद्ध मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लाभों की दृष्टि से सरकार का विचार हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को अनिवार्य रूप से शामिल करने का है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खेल-प्राधिकरण ने देश में प्रादेशिक देशी खेलों का पता लगाना शुरू किया है ताकि उनको बढ़ावा दिया जा सके।

(ख) उक्त स्कूलों के लिए पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए मामले पर निर्णय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, प्रयोगात्मक आधार पर एक विषय के रूप में योग का अध्ययन दिल्ली के कुछ स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालयों में पहले ही शुरू किया गया है।

बेहतर पर्यावरण के लिए उद्योगों का स्थानान्तरण

1260. **श्री नटवर सिंह सोलंकी :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह प्रयास है कि बेहतर पर्यावरण तथा स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए बड़े नगरों के रिहायशी क्षेत्रों से अधिक से अधिक उद्योगों/गोदामों को स्थानान्तरित किया जाए;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्यों को दिशा निर्देश भेजे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को कुछ परिसरों को "रिहायशी" से "औद्योगिक" में बदलने के लिए लिखा है जबकि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की उक्त नीति का पालन कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले शहरों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए यथा प्रदूषण में कमी लाने के लिए उपाय स्वरूप एवं शहरी क्षेत्रों से उद्योगों के स्थानान्तरण को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवसाय के लिए उपयोग की जा रही भूमि अथवा भवनों के स्थानान्तरण से प्राप्त पूंजी पर कर

में छुट दी जाती, यदि इसका उपयोग नई जगह पर व्यवसाय हेतु भवन बनाने या जमीन के लिए किया जाता है, 1983-84 के वित्तीय वर्ष से मशीनरी एव संयत्र के स्थानान्तरण से प्राप्त होने वाली पूजी पर भी इस छूट को बढ़ा दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

यह सूचित किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक प्लाट, जिसके लिए सीमाशुल्क समाहर्ता, बम्बई द्वारा किराया आधार पर अनुमति ली गई है, को "औद्योगिक" से "आवासीय" मे प्रयोक्ता के परिवर्तन के लिए एक अधिसूचना जारी की। बहरहाल, बम्बई नगर निगम ने सूचित किया है कि प्लाटधारियों ने "सामान्य औद्योगिक" से "आवासीय" में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए कुछेक आवश्यकताओं की अनुपालना नहीं की है । यह प्लाट औद्योगिक इकाइयों द्वारा घिरा हुआ है । जब तक वैकल्पिक आवास उपलब्ध नही होता है, महाराष्ट्र सरकार को इस प्लाट का "आवासीय" से "औद्योगिक" को अधिसूचना को रद्द करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। जहा तक पर्यावरणीय पहलुओं का प्रश्न है, यह बताया गया है कि माल गोदाम में रख पकड़े गए तथा जब्त किए गए समान से धुएं, शोर बहिस्राव आदि मे वृद्धि नहीं होगी, जिससे कि पर्यावरणीय प्रदूषण हो ।

अभिलेखीय सामग्री के लिए उड़ीसा में रिकार्ड केन्द्र

1261. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभिलेखागारों को छोड़कर गैर-सरकारी नियन्त्रण में बिखरी पड़ी अभिलेखीय सामग्री का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा किसी सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा में एक रिकार्ड केन्द्र खोलने का है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री कं० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय अभिलेखागार में स्थापित एक नाभिक केन्द्रीय एकक, अभिलेख सम्पत्ति की एक अखिल भारतीय सूची संकलित करने में कार्यरत है जिसका नाम राष्ट्रीय अभिलेख रजिस्टर है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सर्वेक्षण की गति को बढ़ाने और निजी तौर पर रक्षित रिकार्ड की सूचियां बनाने के

लिए 1979 में उड़ीसा में आवर्ती आधार पर एक केन्द्रीय कक्ष स्थापित किया गया था। इस समय उड़ीसा में एक अलग अभिलेख केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इम्फाल हवाई अड्डे पर रात को विमान उतारने की सुविधाएं

1262. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इम्फाल हवाई अड्डे पर रात को विमान उतारने और ईंधन भरने की सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन सुविधाओं के न होने से इम्फाल हवाई अड्डे पर रात को उतरने वाले विमानों और वहां से जाने वाले विमानों को भारी असुविधा हो रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार कर रही है। भारतीय तेल निगम इम्फाल में ईंधन सुविधाओं की स्थापना कर रही है और यह कार्य 1986 में पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) चूंकि इंडियन एयरलाइन्स ने सायं/रात्रि काल में इम्फाल को और इम्फाल तक कोई उड़ानें शुरू नहीं की हैं, इसलिए इम्फाल हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाओं के लिए विचार नहीं किया गया है। तथापि, इम्फाल हवाई अड्डे पर धूमिल दृष्यता की परिस्थितियों में उतरने वाले विमानों की सहायता के लिए पहले ही दृश्य उपगमन ढलान संसूचकप्रणाली (वासी) के दो सैट स्वीकृत कर लिए गए है ताकि विमान धावनपथ पर आगे पीछे न उतरें। इस कार्य के जनवरी, 1987 के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, सायंकालीन उड़ानों के सही तरीके से उतरने की सुविधाओं की स्वीकृति पहले ही दे दी गई है और कार्यअगले 18 महीनों में पूरा होने की आशा है।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों को लागू करना

1263. **श्री मुरलीधर माने** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद् ने 1981 में अपने पुनर्गठन के बाद से भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों का राज्य सरकारों ने पालन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो परिषद् द्वारा की गई सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) परिषद् तथा इसकी समितियां अपने आपको राष्ट्रीय एकता को मोनिटर करने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के कार्य में लगाए हुए हैं। परिषद् ने, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने तथा शिक्षा के माध्यम से एकता स्थापित करने, कमजोर वर्गों के विरुद्ध हिंसा न करने, साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए मुख्य बाधाओं का पता लगाने तथा तीव्र सुधारात्मक कारंवाई करने और दूरदर्शन, प्रैस इत्यादि जैसे जन संचार के माध्यमों का राष्ट्रीय एकता को प्रोन्नत करने के लिए अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। परिषद् ने राजनीतिक दलों से भी नैतिक संहिता को अपनाने की सिफारिश की है। परिषद् की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेजी जा रही हैं। परिषद् की सिफारिशों के संदर्भ में राज्य सरकारें, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए विभिन्न उपाय कर रही हैं।

विदेशी चिन्हों वाले हथियार और गोला-बारूद का पकड़ा जाना

1264. **श्री एम० रघुमा रेड्डी**
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिदिन समाचार पत्र पुलिस द्वारा विदेशी चिन्हों वाले आग्नेयास्त्रों और गोला बारूद पकड़ने सम्बन्धी समाचारों से भरे रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो पुलिस द्वारा जनवरी, 1983 से मार्च, 1985 के दौरान कितनी संख्या में विभिन्न आग्नेयास्त्र/गोला बारूद पकड़ा गया;

(ग) इन आग्नेयास्त्रों/गोला बारूद का आयात करने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस प्रकार के आग्नेयास्त्रों का उपहार अथवा अन्य रूप में आयात किए जाने पर प्रतिबन्ध करने का विचार कर रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इस विषय में कुछ समाचार पत्रों में खबरें हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा शस्त्र अधिनियम कार्यान्वित किया जा रहा है।

अत: इस मंत्रालय में ऐसी सूचना न ही एकत्र की जाती है और न ही रखी जाती है।

(घ) आयात नीति की पुनरीक्षा विचाराधीन है।

कोवलम में अशोक ट्रैवल एण्ड टूर सर्विस यूनिट का बंद किया जाना

1265. **श्री टी० बशीर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोवलम में अशोक ट्रवल एंड टूर सर्विस यूनिट को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह यूनिट कब खोली गई थी;

(ग) खोले जाने से लेकर अब तक इस यूनिट को प्रतिवर्ष कितना लाभ हुआ;

(घ) पहले उसके पास कितने वाहन थे और अब कितने हैं;

(ङ) इसके कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इसके साथ भारत पर्यटन विकास निगम इन कर्मचारियों की सेवाओं का कैसे उपयोग करेंगे; और

(च) क्या इस यूनिट के बन्द किए जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकर्ताओं ने कोवलम में अशोक ट्रैवल्स एंड टूअर्स की अपनी यूनिट को बन्द करने का निर्णय किया है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे है।

(ख) कोवलम में ट्रांसपोर्ट (यूनिट परिवहन एकक) 17 दिसम्बर, 1972 को खोली गई थी।

(ग) यह यूनिट अपने प्रारम्भ से ही घाटे में चल रही है।

(घ) पहले इस यूनिट में एक आयातित वातानुकूलित कार तथा 4 एम्बैसेडर कारें थी। बाद में वहां छ: एम्बैसेडर कारें उपलब्ध कर दी गई। फिलहाल कोवलम में यूनिट के पास पांच एम्बैसेडर कारें हैं।

(ङ) इस यूनिट में कर्मचारियों की कुल संख्या 9 है। जब यूनिट को बन्द किया जाएगा तो कर्मचारियों को उस क्षेत्र में ही अन्य ट्रांसपोर्ट यूनिटों (परिवहन एककों) में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।

(च) कोवलम में ट्रांसपोर्ट यूनिट (परिवहन एकक) को बन्द करने के विरुद्ध भारत पर्य-

टन विकास निगम को कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारतीय पुरातत्व विभाग के कार्यकरण के सम्बन्ध में विशेषज्ञ दल

1266. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ दल ने 1984 में एक भारतीय पुरातत्व विभाग के कार्यकरण का सर्वेक्षण किया था;

(ख) विशेषज्ञ दल द्वारा कितनी सिफारिशें की गई थी;

(ग) कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञ दल ने 81 मुख्य सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण प्राप्त समिति ने 39 सिफारिशों पर विचार किया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अगली कार्रवाई का सुझाव दिया है । निम्नलिखित 6 सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित किया जा चुका है :—

(i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए बजट आबंटन में वृद्धि;

(ii) उत्पादकों के विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण;

(iii) लखनऊ स्थित हुसैनाबाद न्यास के स्मारकों के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन;

(iv) मंडलों का नियमित निरीक्षण;

(v) एक पुरातत्व संस्थान की स्थापना;

(vi) मंडलों की संख्या बढ़ाना ।

भारत और अमरीका के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

1267. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा के बाद भारत और अमरीका सांस्कृतिक आदान-प्रदानों के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या शिक्षा और संस्कृति पर भारत-अमरीका संयुक्त उप-आयोग की वाशिंगटन में 23 जून से हुई दो-दिवसीय बैठक में आदान-प्रदानों की एक नई शृंखला पर सहमति हो गई थी जिनसे शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और अधिक सहयोग बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में दोनों देशों के बीच कोई समझौता सम्पन्न हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) प्रधान मन्त्री के अमरीका के दौरे के तुरन्त बाद शिक्षा और संस्कृति पर भारत और अमरीकी उप आयोग की ग्यारहवीं वार्षिक बैठक 20 और 21 जून, 1985 को वाशिंगटन में आयोजित की गई थी, जो द्विपक्षीय करार के परिणाम स्वरूप स्थापित चार उप-आयोगों में से एक है और जिसकी बैठक भारत और अमरीका में बारी-बारी से होती है। भारत के प्रधान मन्त्री और अमरीका के राष्ट्रपति के संयुक्त वक्तव्य को नोट करते हुए कि मौजूदा भारतोत्सव दोनों देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान हो गए, उप-आयोग ने मौजूदा कार्यक्रम की प्रगति और कार्यकरण की समीक्षा की और शिक्षा, कला तथा संस्कृति, फिल्म और प्रसारण और खेल के क्षेत्रों में बहुत से आदान-प्रदानों के लिए सहमत हुआ। स्वीकृत कार्यक्रमों में ये हैं :—

(क) अध्ययन और अनुसंधान के लिए भारत-अमरीका शिक्षावृत्ति कामंक्रम;

(ख) संयुक्त संग्रहालय कार्यक्रम, जिसमें प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान तथा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों और विज्ञान संग्रहालयों सहित संग्रहालयों के बीच आदान-प्रदान जैसे कि चुनिन्दा विषयों पर संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करना, संग्रहालय कर्मियों का आदान-प्रदान आदि।

(ग) संयुक्त फिल्म और प्रसारण कार्यक्रम;

(घ) अमरीकी स्कूलों में भारत के बारे में अध्ययन और भारतीय स्कूलों में अमरीका के बारे में अध्ययन हेतु स्रोत संहिता की तैयारी सहित शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान का कार्यक्रम ;

(ङ) पारस्परिक हितों के विषयों पर संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए कार्यक्रम;

(च) प्रदर्शन कला और खेलों के क्षेत्रों में आदान-प्रदान।

(छ) एक-दूसरे देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आमंत्रित करने के लिए कार्यक्रम।

[हिन्दी]

राज्यों में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत पौधशालायें खोलना

1268. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत न्याय पंचायत में एक पौधशाला खोलने का कार्यक्रम बनाया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीर सेन) : सरकार ने प्रत्येक न्याय पंचायत में पौधशाला खोलने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है । तथपि, पौधशालाओं का विकेन्द्रीकरण किये जाने का प्रस्ताव है ।

[अनुवाद]

योजना धनराशियों में आवास का हिस्सा

1269. **श्री अजय विश्वास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धनराशियों में "आवास" का हिस्सा और "आवास" पर कुल परिव्यय का प्रतिशत प्रथम योजना से सातवीं योजना तक योजना-वार कितना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : जहां तक कुल योजना परिव्यय में आवास के समानुपात संबंधी आंकड़ों का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि चौथी पंचवर्षीय योजना तक आवास के परिव्ययों में क्षेत्रीय और शहरी विकास के लिए प्रावधान शामिल था । इसलिए, चौथी पंचवर्षीय योजना तक आवास के लिए अलग से परिव्यय उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक सिर्फ आवास पर वास्तविक व्यय उपलब्ध है । इन आंकड़ों के आधार पर कुल वास्तविक योजना व्यय में आवास का समानुपात नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	योजना	सरकारी क्षेत्र में कुल योजना व्यय	आवास पर सरकारी क्षेत्र योजना व्यय	कुल सरकारी क्षेत्र व्यय में सरकारी क्षेत्र आवास का भाग
1	2	3	4	5
1.	पहली योजना	1960	48	2.46
2.	दूसरी योजना	4672	80	1.71
3.	तीसरी योजना	8576	110	1.28
4.	तीन वार्षिक योजनाएं	6605	80	1.21

1	2	3	4	5
5.	चौथी योजना	15778	189	1.19
6.	पांचवी योजना	39426	648	1.64
7.	वार्षिक योजना 1979-80	12176	254	2.08
8.	छठी योजना	109950	1839	1.67

जहां तक सातवीं योजना का सम्बन्ध है, यह अभी तैयार की जा रही है।

बाघों की संख्या

1270 **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस समय चिड़ियाघर-वार सफेद बाघों और अन्य बाघों (नर-मादा) की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सफेद बाघों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सलंग्न है।

विवरण

उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में उपलब्ध बाघों और अन्य बाघों की संख्या निम्न प्रकार है :—

सफेद बाघ

क्र० सं०	चिड़ियाघर का नाम	1981			1985		
		नर	मादा	कुल	नर	मादा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राष्ट्रीय प्राणि-विज्ञान पार्क, नई दिल्ली	3	4	7	3	2	5
2.	चिड़ियाघर, अलीपोर, कलकत्ता	1	4	5	1	3	4
3	नन्दनकानन जीव विज्ञान पार्क, भुवनेश्वर	1	3	4	4	7	11

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम राज्य चिड़ियाघर, गोहाटी	0	1	1	0	1	1
5.	प्राणि- विज्ञान पार्क, कानपुर	0	1	1	0	1	1
6.	नेहरू प्राणि-विज्ञान पार्क, हैदराबाद	0	1	1	1	1	2
7.	श्री चमराजेन्द्र प्राणि-विज्ञान पार्क, मैसूर	0	0	0	0	2	2
	कुल:	5	14	19	9	17	26

सामान्य बाघ

क्र० सं०	चिड़ियाघर का नाम	नर	मादा	कुल
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय प्राणि-विज्ञान पार्क, नई दिल्ली	4	5	9
2.	चिड़ियाघर, जयपुर	1	1	2
3.	जोधपुर चिड़ियाघर	1	1	2
4.	बीकानेर चिड़ियाघर	1	1	2
5.	अजायबघर और चिड़ियाघर, त्रिवेन्द्रम	1	1	2
6.	चिड़ियाघर, अलीपुर, कलकत्ता	5	4	9
7.	सक्करबाग चिड़ियाघर, जूनागढ़	0	2	2
8.	पेश्वा पार्क, पुणे	3	0	3
9.	सायाजोबाग चिड़ियाघर, बड़ोदा	2	1	3
10.	नगर-निगम चिड़ियाघर, इन्दौर	1	0	1
11.	नन्दनकानन जीव-विज्ञान पार्क, भुवनेश्वर	7	11	18
12.	मैत्री बाग चिड़ियाघर, भिलाई	1	0	1
13.	संजय गांधी चिड़ियाघर, पटना	2	6	8
14.	नगर-निगम प्राणि-विज्ञान पार्क, छतबीर	7	3	10

1	2	3	4	5
15.	वीरमाता जीजाभाई उद्यान, बम्बई	2	2	4
16.	प्रिंस आफ वेल्स प्राणि-विज्ञान पार्क, लखनऊ	0	1	1
17.	श्री चमराजेन्द्र चिड़ियाघर, मैसूर	4	17	21
18.	प्राणि-विज्ञान पार्क, कानपुर	4	1	5
19.	इंदिरा गांधी प्राणि-विज्ञान पार्क, हैदराबाद	13	10	23
20.	नेहरू प्राणि-विज्ञान पार्क, विशाखापट्टनम	2	4	6
21.	अहमदाबाद चिड़ियाघर	1	2	3
	कुल :	62	73	135

लद्दाख में पेड़ तथा घास लगाना

1271. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का अधिकांश भाग वन तथा घास रहित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ठण्ड तथा सूखा का सामना करने वाले तथा शीघ्र बढ़ने वाली किस्म के पेड़ तथा सोवियत संघ तथा कनाड़ा आदि देशों, जहां का कृषि सम्बन्ध मौसम लगभग लद्दाख जैसा ही है, में उगाई जाने वाली घास रोपण पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सुझाव की जांच की जायेगी ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादों द्वारा प्राप्त पैट्रोलियम पर आधारित उद्योगों की स्थापना

1272. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा अभी हाल ही में किये गये एक अध्ययन में पूर्वोत्तर-क्षेत्र में उत्पादों द्वारा पेट्रोलियम पर आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र की किसी राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अब तक कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) योजना आयोग द्वारा इस विषय पर हाल ही में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) असम सरकार ने गैस तथा अन्य पेट्रोलियम पर आधारित कुछ परियोजनाओं का प्रस्ताव किया था। असम राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना में इनमें से कुछ के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव है। इनमें ये शामिल हैं : मेथानोल विस्तार परियोजना, पालियस्टर फिल्म, पालियस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना, असम गैस कम्पनी द्वारा स्थापित किए जाने वाली कताई मिलें और गैस ग्रिड्स। उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के अन्य राज्यों में से त्रिपुरा सरकार ने राज्य में गैस पर आधारित रासायनिक उद्योगों की स्थापना करने का सुझाव दिया था जिसके लिए राज्य सरकार ने मसर्ज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य सौंपा है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण समिति द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का सर्वेक्षण

1278. **श्री जी० भूपति** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण समिति ने गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के बारे में एक सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन परिवारों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने गरीबी की रेखा पार कर ली है; और

(ग) गरीबी की रेखा पार करने के लिए परिवारों की सहायता हेतु 1985-86 में कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1977-78 और 1983 में पंचवर्षीय पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण करता रहा है। इन सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्टों में व्यय की श्रेणी के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की खपत और व्यय की श्रेणी के अनुसार परिवारों की संख्या उनकी संरचना सहित दी होती है। इन रिपोर्टों में दिए गए परिणामों का योजना आयोग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और उनके प्रतिशत का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता रहा है। 1977-78 और 1983-84 में, देश में गरीबी के रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया

गया है। इससे पता चलता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता 1977-78 में 48.3 से कम होकर 1983-84 में 37.4 हो गई है।

(ग) गरीबी दूर करने से संबंधित मुख्य कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (आई०आर०डी०पी०) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। 1985-86 में इन कार्यक्रमों के लिए क्रमश: 407.36 करोड़ रु० आई०आर०डी०पी० के लिए, 460 करोड़ रु० एन०आर०ई०पी० के लिए और आर०एल०ई०जी०पी० के लिए 500 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

विवरण

वर्ष 1977-78 और 1983-84 में गरीबी का अनुपात (प्रतिशत)

	1977-78	1983-84
ग्रामीण	51.2	40.4
शहरी	38.2	28.1
जोड़	48.3	37.4

टिप्पणियां—1. 1977-78 के प्राक्कलनों का आधार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उपभोक्ता व्यय पर उसके दूसरे पंचवर्षीय सर्वेक्षण की, उसकी 32वीं पारी जुलाई 1977 जून, 1978 रिपोर्ट संख्या 311 है।

2. 1983-84 के प्राक्कलनों का आधार उपभोक्ता व्यय पर तीसरी पंचवर्षीय सर्वेक्षण जनवरी-दिसम्बर, 1983 रिपोर्ट संख्या 319 और मद अनन्तिम है।

3. इन प्राक्कलनों का आधार अखिल भारतीय प्रतिदर्श है।

4. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के खपत सम्बन्धी वितरण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों के खपत प्राक्कलनों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के प्राक्लनों की दरों के अनुपातिक रूप से समायोजित करके दिखाए गए हैं।

5. गरीबी की रेखा से तात्पर्य, न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभारी खपत मांग पर कृतिक बल की सिफारिश है और उसमें 1973-74 के मूल्यों को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन खपत अपइस्फाईक (डीफलेटर) में बढ़त का इस्तेमाल करके वर्तमान वर्ष वर्ष के मूल्यों में परिवर्तित किया गया है (1973-74 के मूल्य से तात्पर्य, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति से संगत 49.09 रु० प्रति व्यक्ति मासिक व्यय और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की खपत से संगत 56.64 रु० प्रतिव्यक्ति मासिक व्यय से है)।

जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर बनाना

1274. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा और स्वास्थ्य मन्त्रालयों को योजनायें और कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनुदानों के बारे में, जिसकी आठवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी, वित्त मंत्रालय मुख्य मंत्रालय है। इन विशेष प्रावधानों के उपयोग के लिए कार्य योजनायें सम्बन्धित राज्य सरकारों को तैयार करनी पड़ती हैं और वित्त मंत्रालय को विचार तथा अनुमोदन के लिए भेजनी पड़ती हैं। अधिकार प्राप्त अन्तर मंत्रालय समिति, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त तथा गृह मंत्रालयों सहित सभी सम्बन्धित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होता है, द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय को इस संबंध में शिक्षा और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालयों को योजनाएं तथा कार्यक्रम भेजने की जरूरत नहीं है।

पटना हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलना

1275. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अनेक लोग विदेशों की यात्रा करते हैं;

(ख) क्या बिहार में कोई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या बिहार के लोगों के फायदे के लिए पटना हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब;. और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क)

एयर इन्डिया में उपलब्ध अप्रैल से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि के आंकड़ों से पता चलता है बिहार में बेचे गए टिकटों पर एयर इन्डिया की उड़ानों पर प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह औसतन 31 अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों ने यात्रा की। अतः इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि बिहार से लोग काफी संख्या में विदेशों में नहीं जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं है।

(ङ) वर्तमान चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों, अर्थात्, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को फिलहाल भारत के लिए/से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

हेलीकाप्टर निगम स्थापित करना

1276. **श्री जी० जी० स्वैल**
श्री राम सिंह यादव
श्री लक्ष्मण मलिक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने **की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या देश में हेलीकाप्टर निगम की स्थापना कर हेलीकाप्टर सेवा शुरू करने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) उक्त नयी सेवा का कार्यक्षेत्र और आयाम क्या है; और

(ग) क्या तीन सेवाओं एयर इन्डिया, इन्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के सम्बन्ध को आगे संघटित और व्यवस्थित करने के लिए योजनायें भी तैयार की गई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हेलीकाप्टर निगम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इसके कार्यक्षेत्र और आयामों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास करती है कि तीनों एयरलाइनें एक दूसरे से निकट समन्वय रख कर काम करें। तीनों एयरलाइनों अर्थात् इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया और वायुदूत के सम्बन्धों को और अधिक एकीकृत और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से इन तीनों एयरलाइनों की सेवाओं के मार्गों को तर्क युक्त बनाने के लिए एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत के अध्यक्ष कैप्टेन ए० एम० कपूर की अध्यक्षता में एक समिति हाल ही में बनाई गई है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध निदेशक तथा वायुदूत के महा-

प्रबन्धक इस समिति के सदस्य हैं।

1992 में होने वाले ओलम्पिक खेलों के दावेदार

1277. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री निर्मल खत्री } : क्या **युवा कार्य और खेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1985 के "करेन्ट" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत को 1992 की गर्मियों में होने वाले ओलम्पिक खेलों का आयोजन करने के लिए एक उम्मीदवार के रूप में देश के दावों को पेश करने का मौका नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या भारत खेलों का आयोजन करने में सक्षम है और यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार का विचार है कि ये ही मामले हैं जिनका अनिवार्यत: भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन से सम्बन्ध है।

[हिन्दी]

अयोध्या का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास

1278. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में स्थित तीर्थस्थान अयोध्या का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने सम्बन्धी एक योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने अयोध्या में विभिन्न सुविधाओं का सुधार और विकास करने के लिए कुछ स्कीमें भिजवाई हैं। इन स्कीमों पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सोच-विचार और

विचार-विमर्श किया गया है और विभाग केवल उन्हीं स्कीमों को प्रारम्भ करेगा जो इसके कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। तथापि इनके बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

केरल में प्रदूषण-रोधी उपाय

1279. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो प्रदूषण-रोधी उपायों के बारे में दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए हैं;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार प्रदूषण-रोधी कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन): (क) केरल में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बारे में निदेशों के मुख्य उल्लंघनकर्ता ये हैं : ट्रावनकोर टिटानियम प्रोडक्ट्स, ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स, पुनालूर पेपर मिल्स, लक्ष्मी स्टार्च, वाचीनाड लैदर्स, केरल स्पिनर्स एण्ड पोलसन डिस्टिलरी।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योगों को अनिवार्य बहिस्राव उपचार संयंत्रों को लगाने के लिए निदेश दे रहा है। हठी उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी जा रही है।

(ग) विद्यमान कानून में कुछ संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

(घ) इस समय ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

धुंआ रहित चूल्हे

1280. डा० जी० विजय रामाराव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने नए धुंए रहित चूल्हे लगाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे की बजाए खाना पकाने की गैस के सिलिण्डर देने और वनों को बचाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उन्नत प्रकार के चूल्हों के दिसम्बर, 1983 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से अब तक 8,38,079 उन्नत प्रकार के चूल्हों की देश में स्थापना की जा चुकी है।

(ख) फिलहाल सरकार की धुंआ रहित चूल्हों के स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों को सिलेन्डरों में एल० पी० जी० देने और वनों की रक्षा करने के लिए कोई योजना नहीं है।

सिक्किम को देश के अन्य भागों से विमान सेवा से जोड़ने के लिए अभ्यावेदन

1281. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम सरकार से राज्य को देश के अन्य भागों से विमान सेवा से जोड़ने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सिक्किम से दिल्ली और कलकत्ता आने वाले यात्रियों के लिए इन्डियन एयरलाइन्स में सीटों का कोटा बढ़ाने का है जब तक कि सिक्किम विमान मानचित्र में नहीं आ जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) सिक्किम में गंगटोक उन स्टेशनों में से एक है जिन्हें वायुदूत द्वारा विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने के लिए चुना गया है। गंगटोक में स्टोल प्रकार के विमानों द्वारा प्रचालन करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय हवाई अड्डे का विकास करने के लिए स्थान की तलाश के काम में लगा हुआ है। हवाई अड्डे तथा अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने पर ही गंगटोक को विमान सेवा आरम्भ की जा सकती है।

(ग) मौजूदा यातायात मांग को देखते हुए सीट आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के साथ यातायात सम्बन्धी सुविधा के लिए बातचीत

1282. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं और उक्त सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने समय-समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के विभिन्न प्रस्ताव किए हैं। सरकार अभी भी हमारे कुछ प्रस्तावों पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक में इस बात पर सहमति हुई कि व्यापारियों और पारगमन वीज़ा-धारकों को पुलिस रिपोर्ट संबंधी अपेक्षा से छूट दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की घुमन्तु जातियों का उत्थान

1283. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश की घुमन्तु जातियों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन जातियों के भविष्य के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ग) मध्य प्रदेश की इन घुमन्तु जातियों का सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक स्तर क्या है तथा क्या सरकार का इन जातियों का उत्थान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इन जातियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल घुमन्तु, समुदायों के अलावा अन्य समुदायों के विकास के लिए कोई केन्द्रीय क्षेत्र योजना स्कीम नहीं है। जबकि आदिवासी उप-योजना तथा विशेष कम्पोनेन्ट योजना में संविधान के उपबन्धों के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों पर ध्यान दिया जाता है, आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० इत्यादि योजनाओं सहित राज्य योजना स्कीमों से घुमन्तु समुदायों सहित आबादी के गरीब वर्ग लाभान्वित होते हैं।

(घ) घुमन्तु समुदायों को मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में आरक्षण की प्रतिशतता

1284. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सेवा-वार प्रतिनिधित्व कितना है और इनमें से प्रत्येक सेवा में आरक्षण कितने प्रतिशत है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त सेवाओं में इन जातियों के प्रतिनिधित्व में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में आरक्षण की प्रतिशतता

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा में सीधी भर्ती के मामले में इन सेवाओं में से प्रत्येक में प्रति वर्ष भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15% और 7½% तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की एक सूची की सिफारिश करता है, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की उतनी संख्या शामिल होती है जितनी कि विभिन्न सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक होती है। इस सिफारिश के आधार पर यह विभाग विभिन्न सेवाओं में जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा भी शामिल है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इस तरीके से आबंटित करता है जिससे कि सभी आरक्षित रिक्तियां भरी जा सकें।

2. 1979 से 1983 तक की सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती की स्थिति नीचे दी गई है :—

परीक्षा का वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा		भारतीय विदेश सेवा		भारतीय पुलिस सेवा	
	अनु० जा० और अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां	आरक्षित रिक्तियों पर आबंटित किए गए अनु० जाति तथा अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनु० जा० और अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां	आरक्षित रिक्तियों पर आबंटित किए गए अनु० जाति तथा अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनु० जा० और अनु० जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां	आरक्षित रिक्तियों पर आबंटित किए गए अनु० जाति तथा अनु०जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1979	28	28	5	5	13	13

1	2	3	4	5	6	7
1980	29	28*	4	4	16	16
1981	33	33	3	3	17	17
1982	35	35	3	3	16	16
1983	33	33	3	3	22	22

* एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि वह अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं थी।

3. फिर भी, कुछ उम्मीदवार चाहे वे सामान्य प्रवर्ग के हों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हों उस सेवा में कार्य ग्रहण नहीं करते हैं जिसमें उन्हें आबंटित किया जाता है। जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के मामले में सामान्य तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रायः सभी उम्मीदवार कार्य ग्रहण कर लेते हैं किन्तु भारतीय पुलिस सेवा के मामले में सामान्य तथा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के कुछ उम्मीदवार कार्य ग्रहण नहीं करते। भारतीय पुलिस सेवा में आबंटन हो जाने के पश्चात् भी कुछ उम्मीदवार उक्त सेवा में कार्य ग्रहण नहीं करते, इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सेवा समूह "क" में पहले से ही सेवा कर रहे होते हैं।

वर्ष 1985-86 के लिए दिल्ली के लिए आवंटन

1285. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए दिल्ली के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी धनराशि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आरक्षित की गई है; और

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए राज्यों के लिए, राज्यवार, कुल कितना आवंटन किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की 1985-86 की वार्षिक योजना के लिए 335 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए कोई परिव्यय शामिल नहीं है क्योंकि इनके लिए धन की व्यवस्था, जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, पूर्णत: केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत की जाती है।

(ख) 1985-86 की वार्षिक योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार परिव्ययों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रु०)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्तिम रूप से सहमत 1985-86 के परिव्यय
1	2
आन्ध्र प्रदेश	810.00
असम	410.00
बिहार	851.00
गुजरात	804.00
हरियाणा	480 00
हिमाचल प्रदेश	177.00
जम्मू और कश्मीर	2c0.00
कर्नाटक	651·00
केरल	355.00

1	2
मध्य प्रदेश	1170.00
महाराष्ट्र	1700.00
मणिपुर	70.00
मेघालय	75.00
नागालैंड	65.00
उड़ीसा	450.00
पंजाब	500.00
राजस्थान	430.00
सिक्किम	41.00
तमिलनाडु	960.00
त्रिपुरा	86,00
उत्तर प्रदेश	1642.00
पश्चिम बंगाल	675.00
कुल राज्य	12662.00
संघ राज्य क्षेत्र	
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	33.00
अरुणाचल प्रदेश	73.00
चंडीगढ़	38.76
दादरा और नगर हवेली	8.65
दिल्ली	335.00
गोवा, दमण और दीव	64.90
लक्षद्वीप	7.65
मिजोरम	48.00
पांडिचेरी	33.00
कुल संघ राज्य क्षेत्र	641.56
कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	13303.56

कर्नाटक राज्य के राजनीतिक पेंशन के मामलों की संख्या

1286. **श्री डी० के० नायकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के समक्ष, कर्नाटक राज्य के खासतौर पर धारवाड़, और बैलगांव जिलों के, 1 अप्रैल, 1980 से जून, 1985 तक के राजनीतिक पेंशन के वर्षवार कुल कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितने मामलों को रद्द कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त मामलों में विलम्ब के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) राज्य (धारवाड़ और बैलगांव जिलों सहित) के लिए सूचना निम्न प्रकार से है।

1-4-80	1365
31-12-1980	1579
31-12-1981	6:63
31-12-82	4983
31-12-83	5855
31-12-84	3768
30-6-198 ·	·3211

(ख) 3264·

(ग) मामले मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य सरकार से सत्यापन रिपोर्ट के अभाव मे लम्बित पड़े हैं। जिन मामलों में सत्यापन रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो गयी है उन पर तेजी से कारंवाई की जा रही है। मामलों का तेजी से निपटान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सत्यापन रिपोर्ट केन्द्रीय पेंशन योजना की अपेक्षाओं के अनुसार है, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघशासित क्षेत्रों को 8-7-1985 को पत्र लिखा गया है ताकि राज्य सरकारों के पिछले संदर्भों को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

"पाल्यूशन कन्ट्रोल" (प्रदूषण नियंत्रण) शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1287. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद** :क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पाल्यूशन कन्ट्रोल" (प्रदूषण नियंत्रण) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक एककों द्वारा छोड़े गये अपशिष्ट पदार्थों के कारण होने वाले जल प्रदूषण तथा कारखानों द्वारा छोड़े गये डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) प्रदूषक उद्योगों के उद्देश्य के पत्रों को औद्योगिक लाइसेन्सों में परिवर्तित करने से पहले उनके स्थान निर्धारणों की पर्यावरणीय सहमति प्राप्त करना आवश्यक है;

(2) इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए शामिल किये जाने वाले पहलुओं के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सिफारिश की गई है;

(3) बड़े प्रदूषक उद्योगों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक निर्धारित किये गये हैं और इनके चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(4) उन दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है जो समझाने-बुझाने के बावजूद भी आवश्यक प्रदूषण नियन्त्रण उपायों का पालन नहीं करते हैं।

(5) राज्य सरकारों को स्थानीय विकास उत्सर्जनों के बारे में मानकों को लागू करने के लिए मोटर वाहन नियमों में परिवर्तन करने के लिए सलाह दी गई है। उपकरणों को विकसित करने, जांच सुविधाएं जुटाने तथा निरीक्षणालय पद्धति मजबूत करने के लिए प्रयास जारी हैं।

गोरखपुर तथा रामगढ़ झील को सुन्दर बनाना

1288. **श्री मदन पाण्डे** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर गोरखपुर और इसके साथ लगती रामगढ़ झील को सुन्दर बनाने का कार्य अपने हाथ में लेने का है ताकि इन्हें पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती जिलों की सीमा पर स्थित विशाल झील बखीरा को इसके अपने पौराणिक महत्व तथा गोरखपुर जिले के सदजादना नौगढ़, लुम्बिनी अन्तर्राजीय

राज मार्ग पर स्थित होने के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस विशाल झील को पक्षी विहार के रूप में विकसित करने का है और यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

समुद्री तूफान राहत कार्यों के लिए बंगला देश को सहायता

1289. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले महीने बंगला देश में आये भयंकर समुद्री तूफान के उपरान्त राहत कार्यों के लिए बंगला देश को कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो बंगला देश को दी गई सहायता के स्वरूप का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस देश में कोई चिकित्सक दल भी भेजे गये थे; और

(घ) क्या भारत की किसी स्वयं सेवी संस्था ने भी बंगला देश को सहायत. पहुंचायी ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने लगभग 2 लाख रुपये मूल्य की दवाइयां राहत सहायता के रूप में हवाई जहाज से ढाका भेजी हैं। सरकार ने उरीर चार में, जिसका इस विनाशकारी तूफान में सर्वाधिक नुक्सान हुआ है, 1 करोड़ रुपये की लागत से मकान बनवाने का प्रस्ताव भी किया है;

(ग) जी, नहीं।

(घ) कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं ने सहायता की पेशकश की है। जिन स्वैच्छिक संगठनों ने इस सिलसिले में सरकार से प्रस्ताव किया था उन्हें बंगला देश सरकार की उन खास जरूरतों के बारे में अवगत कराया गया जिनके बारे में भारत सरकार को सूचित किया गया था।

पालम हवाई अड्डे की इमारत में सामान इत्यादि का नष्ट होना

1290. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहली भारी वर्षा के दौरान पालम की अन्तर्राष्ट्रीय आगमन इमारत का सीमा शुल्क अनुभाग पानी से भर गया, जिसके कारण मूल्यवान सामान क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) क्या घरेलू हवाई अड्डे की इमारत (पालम) के पास अनुभाग की छत में दरार पड़ गई थी तथा एक कर्मचारी के सिर पर गिरने वाली थी और हर जगह पानी के रिसने (बहने) से असंख्य पास क्षतिग्रस्त हो गये;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) पहली भारी वर्षा के दौरान पालम हवाई अड्डे के अन्तर्राष्ट्रीय आगमन भवन में वर्षा का पानी नहीं भरा था। न ही अन्तर्देशीय एयरपोर्ट भवन के पास अनुभाग की छत में कोई दरार पड़ी थी। तथापि, हवाई अड्डा सुरक्षा कार्यालय के पास अनुभाग के प्रसार जोड़ से कुछ रिसाव हुआ था जिससे रिकार्ड के लिए रखे हुए कुछ पुराने पास गीले हो गये थे। पानी रिसने की जगह को ठीक कर दिया गया है।

स्वदेशी व्यक्तिगत संगणक की बिक्री

1291. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकार द्वारा पुर्जों तथा कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क में अनेक रियायती सुविधाएं देने के बावजूद भी निर्माताओं द्वारा स्वदेशी व्यक्तिगत संगणकों की कीमतें अधिक लगाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह भी पता है कि स्वदेशी व्यक्तिगत संगणकों के विक्रय में अनुचित मुनाफाखोरी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दोषी निर्माताओं का पता लगा सकती है, जिसकी संख्या केवल 30 है;

(घ) यदि हां, तो दोषी निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही शुरू की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

खेल गतिविधियों के लिए आबंटित राशि

1292. श्री के० डी० सुलतानपुरी : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान युवकों की खेल-कूद गतिविधियों पर कितनी राशि व्यय की जाएगी; और

(ख) ग्रामीण युवकों में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किया गया है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान खेल कार्यकलापों के लिए कुल 1720.50 लाख रुपये का आबंटन किया है, जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष भी आता है। वर्ष 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण खेल टूर्नामेंट्स के लिए 23.00 लाख रुपये और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराने की सम्भावना है ।

संचार मंत्रालय के अधिकारियों को हिन्दी संवर्ग में शामिल करना

1293. श्री राजकुमार राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक और तार विभाग तथा संचार विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी संवर्ग में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) तत्कालीन डाक तार निदेशालय के हिन्दी पद केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में सम्मिलित हैं। इन पदों में निदेशक-1, सहायक निदेशक-1, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक-3 और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक-15 शामिल हैं। निदेशालय के डाक विभाग और दूर-संचार विभाग में बंट जाने के पश्चात पदों के दोनों विभागों में विभाजन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

[अनुवाद]

उड़ीसा के पुरातन मन्दिरों पर वृत्त चित्र

1294. श्री के० प्रधानी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ललित कला अकादमी ने उड़ीसा के पुराने मंदिरों में हुई लकड़ी और

पत्थर पर हुई नक्काशी पर कोई वृत चित्र बनाने का कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुने गये मन्दिरों के नाम और संख्या क्या है;

(ग) केन्द्रीय ललित अकादमी ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन कार्यक्रम

1295. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपग्रहों के निर्माण करने अथवा श्री हरिकोटा से छोड़ने के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भावी कार्यक्रम क्या है; और

(ख) क्या देश में अन्तरिक्ष केन्द्रों से भविष्य में उपग्रहों को छोड़ने के लिए पर्याप्त बुनियादी कार्य कर लिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 50 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने के लिए श्री हरिकोटा में सुविधाएं विद्यमान हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए 150 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रहों को और 1000 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के भारतीय सुदूर संवेदन (आई० आर० एस०) उपग्रहों को, स्वदेशी रूप में विकसित क्रमशः संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) और ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) के माध्यम से छोड़ने के लिए इन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस समय इन्सैट-II श्रेणी के भू-तुल्यकालिक मिशनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधाओं की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त प्रमोचन सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

बिहार में पेड़ों का काटना

1296. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में अप्राधिकृत व्यक्ति पेड़ों को काटकर वन को नष्ट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीर सेन) : (क) दक्षिण बिहार के सिंहभूम वन क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) 1978 से 1984 के बीच लगभग 8800.00 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई और लगभग 6300.00 हैक्टेयर क्षेत्र में अधिक्रमण किया गया। इसके लिए झारखण्ड मुक्ति मोर्चा नामक संगठन को उत्तरदायी बताया गया है। उसको प्रभावहीन बनाने के लिए सरकार ने उपाय किये हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) अपराधियों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(2) संवेदनशील क्षेत्रों को चौकसी गश्त के लिए बेतार सेट से लैस सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है।

(3) वनों की बेहतर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वन कानून को और कड़ा बनाने हेतु इसमें संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जून, 1985 में हुई विमान दुर्घटनाओं के कारण

1297. **श्री सरफराज अहमद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1985 में हुई विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से विमान पर चढ़ते समय यात्रियों को फिर से "मैटल डिटेक्टर" से जांच करवाने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस दुर्घटना की औपचारिक जांच करने के लिए भारत सरकार ने एक जांच न्यायालय की नियुक्ति की है। न्यायालय से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1985 तक सरकार को दे दे। न्यायालय द्वारा जांच पूरी कर लेने पर और सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देने के बाद ही दुर्घटना के कारण (कारणों) का पता चल सकेगा।

(ख) यह व्यवस्था सभी चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों पर और चुने हुए हवाई अड्डों अर्थात् श्रीनगर, जम्मू, चण्डीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, गुवाहाटी, लेह, कोटा और बीकानेर हवाई अड्डों पर प्रचालित है।

भारत पाकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक

1298. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की बकाया मुद्दों पर अगली बैठकें कब तक होंगी;

(ख) क्या भारत से पाकिस्तान के लिए वीसा प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसके लिए इस समय कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, को सरल बनाने के लिए कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक 1986 में इस्लामाबाद में होगी। इसके अतिरिक्त प्रगति की समीक्षा करने के लिए चार उप-आयोगों की बैठकें इस वर्ष के समाप्त होने से पहले होंगी।

(ख) और (ग) पाकिस्तान की यात्राओं के लिए वीज़ा जारी करना पाकिस्तान की सरकार का मामला है। लेकिन इस संबंध में भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनकी ओर भारत पाकिस्तान संयुक्त आयोग की हाल की बैठक के दौरान पाकिस्तान के विदेश मन्त्री का ध्यान आकृष्ट किया गया।

[अनुवाद]

नागपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा देना

1299. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा देने सम्बंन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) नागपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा कब तक दिया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) बम्बई विमान क्षेत्र पर भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रारम्भ करने के लिए नागपुर सहित अनेक अन्तर्देशीय हवाई अड्डों का विकास किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लेने के पश्चात् ही इस पर होने वाले व्यय तथा नागपुर से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारम्भ किए जाने की सम्भावित तारीख का प्रश्न उत्पन्न होगा।

जीव मण्डल संचयनों की स्थापना

1300. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 7 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है कि जीव मंडल संचयनों की स्थापना में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) जैसा कि उस प्रतिवेदन में बताया गया है, क्या राज्यों को जीव मण्डल संचयों के प्रबन्ध को केन्द्र को देने में संकोच हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी स्थापना शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां। कुछ हद तक।

(ख) जीव मण्डल एक नयी अवधारणा है जिसमें विस्तृत वैज्ञानिक प्रलेखीकरण सम्मिलित है। जीव मण्डलों की सीमा निर्धारण, जरूरी वैज्ञानिक क्रियाकलापों का सही स्वरूप, क्रोड़ क्षेत्रों से विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा भू-स्वामित्व वाले लोगों को हरजाने का भुगतान जैसे मुद्दे राज्यों के साथ परामर्श से तय किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई कानून विद्यमान नहीं है जिसमें जीव मण्डल रिजर्वों की घोषणा करने की व्यवस्था है।

(ग) यह परिकल्पना की गई है कि जीव मण्डलों का प्रबन्ध राज्यों को विशेषज्ञों के साथ परामर्श से बनाये जा रहे सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में श्रीलंका के तमिलों के लिये शिविर

1301. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां श्रीलंका के तमिलनों को बसाने हेतु शिविर स्थापित किये गये हैं; और

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) रामानाथपुरम जिले में मनडपम में तथा त्रिरूचिरापल्ली जिले में कोट्टापट्टु में दो स्थायी शिविर हैं। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के 11 अन्य जिलों में 100 अस्थायी शिविर हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :—

1. चिंगलि पुट्टू ९
2. तिरूनेलवली २

3.	कोयम्बटूर	12
4.	पेरियार	13
5.	सेलम	8
6.	धर्मापुरी	4
7.	तन्जावूर	4
8.	दक्षिणी आरकोट	11
9.	मदुराई	21
10.	उत्तरी आरकोट	6
11.	पुट्टुकोट्टाई	11

(ख) फरवरी 1985 में भारी संख्या में शरणार्थियों के द्वितीय आगमन से 20 मई, 1985 तक उनके लिए राहत उपायों की व्यवस्था करने में कुल 1.28 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। फिर भी जुलाई, 1983 तथा फरवरी, 1985 के बीच में आने वाले शरणार्थियों पर किये गये व्यय को नहीं बताया जा सकता क्योंकि फरवरी, 1985 तक शरणार्थियों पर व्यय का अलग लेखा नहीं रखा गया था।

श्रीलंका से आए शरणार्थी

1302. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में श्रीलंका से बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है और उनसे भरण-पोषण पर कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ग) शरणार्थियों को श्रीलंका वापिस भेजने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्रीलंका से 4-2-85 से 14-7-85 तक कुल 20960 शरणार्थी भारत में आए हैं। तब से 20-5-85 तक राहत कार्यों पर कुल 1.28 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ग) भारत सरकार, श्री लंका सरकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का अनुरोध कर रही है जिससे शरणार्थी अपने देश वापस जाने और वहां पर सम्मान और गौरव के साथ रहने के लिए प्रवृत्त हों।

राज्य विधान सभाओं के विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

1303. श्री चित महाता
श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री सैयद मसुदल हुसेन
श्री रेणुपद दास
श्री पूर्ण चन्द मलिक

: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित किये गये विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और कब से तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ विधेयक सात वर्ष से भी अधिक समय से विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राज्य विधान मण्डलों के सदनों द्वारा पारित और संविधान के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपालों द्वारा आरक्षित 48 विधेयक इस समय केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं।

(ख) 29-7-85 तक का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) केवल एक विधेयक, नामत: केरल नैमेतिक अस्थायी और बदली मजदूर (मजदूरी) विधेयक, 1977 सात वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़ा है। कारण यह है कि विधेयक से संगत मसलों में से एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन है।

विवरण

क्र० सं०	प्राप्ति की तारीख	विधेयक का नाम	लम्बन के कारण
1	2	3	4
		आन्ध्र प्रदेश (1)	
1.	14-6-84	आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इनामों का उन्मूलन (संशोधन), विधेयक, 1984	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।
		असम (4)	
2.	16-5-84	असम सिंचाई विधेयक, 1984	11-2-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
3.	1-5-85	असम अग्नि सेवा विधेयक, 1985	30-5-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
4.	14-5-85	असम लोकायुक्त और उपलोकायुक्त विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।
5.	15-5-85	असम कालेज (प्रबन्ध तथा नियंत्रण हाथ में लेना) विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों में परामर्श करके जांच की जा रही है।

1	2	3	4
		बिहार (6)	
6.	21-4-82	बिहार होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा संस्थान विनि-) यम तथा नियन्त्रण) विधेयक, 1982	14-3-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
7.	16-१-82	दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
8.	12-8-83	बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
9.	16-8-83	बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक, 1983	12-7-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
10.	12-1-84	बिहार गन्ना (आपूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1984	20-10-84 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
11.	25-4-84	दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
		गुजरात (1)	
12.	5-5-84	गुजरात विश्वविद्यालय सेवा न्यायाधिकरण, विधेयक, 1984	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
		हरियाणा (शून्य)	

1	2	3	4
		हिमाचल प्रदेश (1)	
13.	26-12-82	हिमाचल प्रदेश खनिज पदार्थ (अधिकार प्रदान करना) विधेयक, 1984	27-6-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
		कर्नाटक (6)	
14.	1-9-82	कर्नाटक ठेका वाहन (अधिग्रहण तथा संशोधन) विधेयक, 1983	30-6-84 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
15.	5-12-8	कर्नाटक सामान के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
16.	22-5-84	कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1984	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
17.	25-5-84	कर्नाटक कृषि ऋण पास बुक विधेयक, 1984	23-2-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
18.	7-6-84	विद्युत आपूर्ति (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1980	15-2-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
19.	16-7-84	कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
		केरल (1)	
20.	11-10-77	केरल नैमेतिक अस्थायी तथा बदली श्रमिक (मजदूरी) विधेयक, 1977	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।

1	2	3	4
		मणिपुर (1)	
21.	1-5-85	मणिपुर राईफल्स पुलिस बल विधेयक, 1984	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
		मध्य प्रदेश (शून्य)	
		महाराष्ट्र (6)	
22.	8-5-79	बम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1979	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
23.	14-5-85	महाराष्ट्र कामगरों का न्यूनतम मकान किराया भत्ता विधेयक, 1983	—वही—
24.	17-12-84	महाराष्ट्र बागवानी, विकास निगम विधेयक, 1984	—वही—
25.	17-7-85	महाराष्ट्र कतिपय भूमि में खान तथा खनिज पदार्थ के मालिकाना अधिकारों का उन्मूलन विधेयक, 1985	—वही—
26.	17-7-85	मोटर वाहन (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1985	—वही—
27.	22-7-85	बम्बई स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 1985	—वही—
		मेघालय (1)	
28.	25-7-80	मेघालय विनिमय तथा रोजगार विधेयक, 1980	—वही—
		नागालैण्ड (शून्य)	

1	2	3	4
		उड़ीसा (शून्य)	
		पंजाब (शून्य)	
		राजस्थान (1)	
29.	23-5-84	जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम में परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
		सिक्किम (शून्य)	
		त्रिपुरा (1)	
30.	20-9-83	औद्योगिक विवाद (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 1982	—वही—
		तमिलनाडु (8)	
31.	16-6-81	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1981	23-4-84 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
32.	29-9-81	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ दान (संशोधन) विधेयक, 1984	26-4-1984 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
33.	17-5-84	तमिलनाडु सामान के प्रवेश पर कर विधेयक, 1983	26-3-1984 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।

1	2	3	4
34.	12-12-83	ग्रेच्यूटी का भुगतान (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1983	29-5-84 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
35.	3-1-85	तमिलनाडु पट्टा पास बुक विधेयक, 1983	सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
36.	14-11-84	तमिलनाडु भवन और निर्माण मजदूर (रोजगार की शर्तें तथा विविध प्रावधान) विधेयक, 1984	—वही—
37.	16-2-83	तमिलनाडु भारतीय औषध के प्रेक्टिशनरों के राज्य रजिस्टर की मान्यता विधेयक, 1983	27-6-84 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
38.	24-5-85	तमिलनाडु जमाखोरी अधिग्रहण विधेयक, 1985	सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
		उत्तर प्रदेश (शून्य)	
		पश्चिमी बंगाल (10)	
39.	21-5-81	भूमि अधिग्रहण (पश्चिमी बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	15-3-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।
40.	1-7-85	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981	सम्बन्धित प्रशासनिक समंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।
41.	24-12-81	पश्चिम बंगाल मजदूर, टिंडल लोडर, गोदाम कर्मचारी और अन्य मजदूर (रोजगार का नियमन तथा कल्याण) विधेयक, 1981	19-7-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित ।

1	2	3	4
42.	22-11-83	मजदूर (संघ) पश्चिम बंगाल (संशोधन) विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की रही है।
43.	26-4-84	पश्चिम बंगाल दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1984	15-3-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
44.	21-5-84	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984	संबंधित प्रशासनिक मन्त्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
45.	7-5-85	मोटर वाहन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1985	—वही—
46.	16-5-85	तकनिशियन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड (संशोधन) विधेयक, 1985	—वही—
47.	19-6-85	दण्ड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1985	—वही—
48.	19-6-85	दण्ड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल बंगाल द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1985	—वही—

कम्प्यूटरों की निर्माण क्षमता में वृद्धि

1304. **श्री सुधीर राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान कम्प्यूटर निर्माण में शत-प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ाई गई निर्माण क्षमता को सारे देश में वितरित किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर अतिरिक्त सुविधायें स्थापित की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो किस विशेष क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में अतिरिक्त सुविधायें स्थापित की जा रही हैं और उसका कारणों सहित ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा विभाग, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान कम्प्यूटरों के उत्पादन का लक्ष्य 200 करोड़ रु० रखा गया है, जिसमें माइक्रोप्रोसेसर (सूक्ष्म संसाधित) पर आधारित प्रणालियां, कार्यालय उपस्कर तथा सॉफ्टवेयर (निर्यात के लिए शामिल हैं, जबकि वर्ष 1984-85 में इनका वास्तविक उत्पादन लगभग 140 करोड़ रुपये का हुआ।

(ख) तथा (ग) जी, हां, किन्तु, कम्प्यूटर तथा इलैक्ट्रानिकी से संबंधित नई नीति के अन्तर्गत इकाइयों की स्थापना की अनुमति अनुमत्य क्षेत्र में दी गई है और इसलिए विशिष्ट स्थापना-स्थलों का पता लगाने की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

वार्षिक योजनाओं के लिए गुजरात द्वारा मांगी गई धनराशि

1305. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने वर्ष 1981-82 से 1985-86 की अवधि में वार्षिक योजनाओं के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि की मांग की है और योजना ने इस अवधि में कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई है और वास्तव में कितनी धनराशि मंजूर की गई है इसमें कटौती करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वार्षिक योजना 1985-86 के लिए गुजरात सरकार ने 1191.32 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था। राज्य सरकार के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजना आकार को 804 करोड़ रुपये तक निर्धारित करने पर सहमति हो गई है।

विवरण

वर्ष 1981-82 से 1985-86 तक वार्षिक योजनाओं के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित

परिव्ययों का विवरण

(लाख रु०)

वार्षिक योजना	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय
1981-82	76905	63200
1982-83	85158	76000
1983-84	99000	90000
1984-85	98658	93500
1985-86	119132	80400

अंटार्कटिका का चौथा अभियान

1306. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1? मई, 1985 के "इंडियन एक्सप्रैस" के अहमदाबाद संस्करण में "फोर्थ अंटार्कटिका एक्सपेडीसन ए फेल्योर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) क्या अभियान दल में साथ गए एक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में किए गए कार्य के बारे में अपनी शिकायतें बतायी हैं;

(ग) क्या उक्त वैज्ञानिक को अपना अनुसंधान कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई थी यद्यपि वह पूरे दो महीने वहां रहा; और

(घ) क्या इस अभियान में पायी गई खामियों की ओर ध्यान दिया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) महासागर विकास विभाग को न तो वैज्ञानिक से और न ही उसके मूल संगठन (सेन्टर फॉर सेल्युलर एण्ड मोलेक्युलर बॉयलाजी, हैदराबाद) से उसके द्वारा अंटार्कटिका में किए गए कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है। तथापि, उक्त वैज्ञानिक से 20 मई, 1985 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनसे हुई भेंटवार्ता को तोड़-मरोड़ कर प्रकाशित किया गया है। उसी पत्र में उन्होंने कुछ छोटी समस्याओं और सुधार के लिए सुझावों का भी उल्लेख किया है। अगले अभियान के लिए आयोजन करते समय उन पर विचार किया गया है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए अभियान-दल के सभी वैज्ञानिकों को पर्याप्त सुविधाएं और समय उपलब्ध था।

(घ) जी हां, श्रीमान। प्रत्येक अभियान के पश्चात् पहले के अभियानों के दौरान प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर अगले अभियान के लिए सुधार किए जाते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली और इलाहाबाद के बीच वायु सेवा

1307. **श्री राम पूजन पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और इलाहाबाद के बीच वायु सेवा के समय को पुर्ननिर्धारित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) दिल्ली-इलाहाबाद विमान सेवा लाभ पर नहीं चल रही है;

(ग) क्या ऐसा वायु सेवा के समय के अनुपयुक्त होने के कारण हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इलाहाबाद से प्रातः कालीन सेवा और दिल्ली से सांध्य सेवा शुरू करने के घाटे से बचा जा सकता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त वायु सेवा के समय को शीघ्र पुनः निर्धारण करने हेतु कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पुनः निर्धारण को आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) जी, हां। अप्रैल, 1984 से दिसम्बर, 1984 की अवधि के दौरान इस सेवा पर

लगभग 1.6 करोड़ रुपए तक हानि हुई थी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

[अनुवाद]

बिहार में संचालित वायुदूत सेवायें

1308. **श्रीमती मनोरमा सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में संचालित वायुदूत सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बिहार में अधिक वायुदूत सेवायें प्रारम्भ करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पटना से जमशेदपुर और पूर्णिया तक और जमशेदपुर से धनबाद तक वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि ये मार्ग आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होंगे;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वायुदूत इस समय बिहार स्थित स्टेशनों से/होकर निम्नलिखित दो सेवायें प्रचालित कर रही है :—

1. कलकत्ता-जमशेदपुर-कलकत्ता मार्ग पर दैनिक सेवा

2. कलकत्ता-राउरकेला-रांची मार्ग पर सप्ताह में तीन सेवायें ।

(ख) और (ग) बिहार में जमशेदपुर, गया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया ऐसे चार स्टेशन हैं जिन्हें वायुदूत सेवा के विस्तार के पहले चरण में विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने के लिए चुना गया है । जमशेदपुर इस समय वायुदूत द्वारा विमान सेवा से जुड़ा हुआ है । आधार संरचना उपलब्ध होने पर और प्रचालनों के आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होने पर वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान पूर्णिया को विमान सेवा उपलब्ध करा दिए जाने की आशा है । वायुदूत द्वारा गया और मुजफ्फरपुर को पहले विमान सेवा द्वारा जोड़ दिया गया था परन्तु कम भार गुणक के कारण बाद में यह सेवा बन्द कर दी गई थी ।

(घ) से (च) प्रचालनों के आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होने पर और आधार संरचना सुविधाओं का विकास हो जाने पर, वर्ष 1985-86 के दौरान वायुदूत की धनबाद और पटना को विमान सेवा द्वारा जोड़ दिए जाने की भी योजनाएं हैं।

भारत और मालद्वीप के बीच पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने के लिए कार्यवाही

1309. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत और मालद्वीप के बीच पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। सरकार अन्तर-क्षेत्रीय पर्यटन के संवर्धन में अत्यधिक रुचि रखती है और इसीलिए भारत और मालद्वीप के बीच इस हेतु कदम उठाने का विचार है।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स भारत और माले के बीच त्रिवेन्द्रम-माले त्रिवेन्द्रम रूट पर सप्ताह में दो बार बी-737 सेवा का परिचालन करती है। मालदीप और भारत दोनों विश्व पर्यटन संगठन दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय आयोग के सदस्य हैं, और वे दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ साथ सहयोग करते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु मध्य प्रदेश को आवंटन

1310. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन हेतु वर्ष 1985-86 में कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए उक्त वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1985-86 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए 776.54 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई जिसमें से मुख्य वैज्ञानिक अभिकरणों और विभागों के लिए 400.45 करोड़ रुपये राज्यों और

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 27.30 करोड़ रुपये और प्रमुख सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संघटक के लिए 248.79 करोड़ रुपये रखे गए।

(ख) वर्ष 1985-86 में, मध्य प्रदेश राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 6.23 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

(ग) कुछ कार्यक्रम जिन्हें शुरू करने का प्रस्ताव है, वे हैं :--

1. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** : प्रशिक्षण द्वारा गरीबी और बेरोजगारी दूर करना और पिछड़े वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित स्कीमें लागू करना; प्रलेखन केन्द्र को सुदृढ़ बनाना, सेमिनार/संगोष्ठियों का आयोजन करना, विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेल की स्थापना करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पुरस्कार, महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन केंद्र के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।

2. **पर्यावरण** : ऐतिहासिक स्मारकों के आस-पास के क्षेत्रों का संरक्षण, योजना, पारिस्थितिकीय-विकास परियोजनाएं, पर्यावरण सम्बन्धी प्रकाशनों के लिए प्रलेखन, पर्यावरण अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण, भूमि-उपयोग योजना, जैविक किस्मों के संरक्षण सहित पर्यावरण संरक्षण, आनुवंशिक विविधता और जीवमण्डल क्षमता के लिए स्थान का निर्धारण, और पर्यावरण जोखिम से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन और अनुसंधान।

आपातकाल संबंधी उपबन्धों में संशोधन करने का प्रस्ताव

1311. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्री एस० एम० भट्टम } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 7 जुलाई 1985 को नई दिल्ली में अपने संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की थी कि 1975 में देश में लगाया गया आपातकाल एक "सही" कदम था और यदि उस समय की स्थिति फिर पैदा होती है तो देश में आपातकाल की घोषणा की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का संविधान के आपतकाल संबंधी उपबंधों में और आगे संशोधन करने तथा संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1979 का निरसन करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) यह प्रश्न लोक सभा में उठाया गया था और स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पर्यटक स्थलों का विकास

1312. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटन क्षमता काफी है;

(ख) क्या पर्यटकों के आकर्षण स्थलों और क्षेत्रों में अधिकतम सुविधाओं की व्यवस्था करके उनका समुचित विकास करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश में अभी भी ऐसे अनेक पर्यटक स्थल और पुरातत्वीय स्मारक हैं जिन्हें पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और उन पर्यटक स्थलों के नाम क्या हैं जिनका विकास किये जाने की संभावना है तथा उक्त उद्योग को बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) भारत में निस्सन्देह अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं। केन्द्र और राज्यों का यह सतत प्रयास है कि भारत के उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न भागों में पुरातत्व, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के स्थानों का विकास किया जाए। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य क्षेत्रों—दोनों क्षेत्रों में बहुत-सी स्कीमों को हाथ में लिया जायेगा ताकि इन स्थानों और अन्य पर्यटक विहार-स्थलों पर आधार-संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

बंगलादेशियों का भारतीय राज्य क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश

1313. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान बंगलादेश की सीमा से भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करते हुए कितने लोग गिरफ्तार किए गए;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में अमृतसर में 39 बंगलादेशियों को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके पास उचित कागजात नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो वे अमृतसर तक किसी जांच के बिना कैसे पहुंच गये और अमृतसर जाने का उनका प्रयोजन क्या था; और

(घ) अनधिकृत प्रवेश को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 1-1-1984 से

30-6-1985 तक की अवधि की संख्या 21,945 है ।

(ख) जी, नहीं श्रीमान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है । सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय पुलिस और अन्य निवारात्मक एजेंसियों के साथ संयुक्त घात, छापे और गश्त का आयोजन किया जाता है । सीमा बाह्य चौकियों पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई हैं । घुसपैठियों के आने जाने पर निगरानी रखने के लिए निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है । सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सीमा बाह्य चौकियों पर बोर्डरविग होम गार्ड तैनात की गई है ।

[हिन्दी]

राजस्थान में पुष्कर सरोवर की सफाई के लिए कदम

1314. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पुष्कर एक तीर्थ स्थान और आकर्षक पर्यटक स्थल है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुष्कर सरोवर (तालाब) की सफाई न होने के कारण इसमें दिन-प्रतिदिन गाद जमा हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका एक मुख्य कारण पुष्कर का गंदा नाला है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरोवर को स्वच्छ रखने और इस नाले को किसी दूसरी तरफ मोड़ने की व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) जी, हां ।

(ङ) राज्य सरकार ने दो योजनायें चालित की हैं, एक सिंचाई विभाग के माध्यम से और दूसरी लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से । ऐसा बताया गया है कि सिंचाई विभाग के माध्यम से चलाई जा रही योजना लगभग 65% पूरी हो चुकी है । लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई स्कीम का, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाना था, प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है । इसके अतिरिक्त, पुष्कर में घाटों के सुधार के लिए एक प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास विचाराधीन है जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ट्रेकिंग और रैफ्टिंग उपकरण खरीदने के लिये केन्द्रीय सहायता

1315. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ट्रेकिंग और रैफ्टिंग उपकरण खरीदने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस तरह की और कितनी धनराशि की सहायता मांगी है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, मिरिक झील और रबीन्द्र सरोवर के लिए पैडल से चलने वाली नौकाओं की खरीद के वास्ते 1.54 लाख रु० की सहायता देने के अलावा, विभाग ने ट्रेकिंग उपकरणों की खरीद हेतु राज्य सरकार को 1,51,570.00 रु० की सहायता प्रदान की है। सातवीं योजना में, विभाग के अनुरोध पर राज्य सरकार ने रंगीत-टिस्टा नदियों में बड़ी नौकाएं (राफ्टिंग) और डोंगी (कनुइंग) चलाने जैसी श्वेत जल क्रीड़ाएं प्रारंभ करने हेतु उपकरणों की खरीद करने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। तथापि, इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

भारतीय क्षेत्र में बांगलावासियों का अवैध प्रवेश

1316. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में बांगलावासियों ने भारतीय सीमा में अभी भी प्रवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और देश के अन्य भागों से बिना वैध दस्तावेजों के कितने बांगलादेशी गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) भारत से लगी बांगलादेश की सीमा पर तार लगाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है और यह कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) भारतीय सीमा में बांगलादेशियों का अवैध प्रवेश रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जनवरी से

जून, 1985 तक की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए और राज्य और अन्य एजेंसियों द्वारा पकड़े गए अवैध रूप से प्रवेश करने वाले जिन्हें सीमा सुरक्षा बल को सुपुर्द किया गया की संख्या 16,962 थी। इन सभी घुसपैठियों को वापस बंगलादेश भेज दिया गया है।

(ग) सरकार ने अगस्त, 1983 में भारत बंगलादेश सीमा पर तार की बाड़ लगाने का निर्णय लिया था। तकनीकी समिति, जिसने यह सलाह दी थी कि निर्माण कार्य का वास्तव में प्रारम्भ करने से पूर्व सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए, की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद असम में धुबी जिले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा 27 मार्च, 1984 को वास्तविक सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था। कार्य अप्रैल, 1984 के अन्तिम सप्ताह तक जारी रहा जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया। सरकार का विचार जल्दी ही कार्य पुनः शुरू करने का है। कार्य के लगभग चार से पांच वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

(घ) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय पुलिस और अन्य निवारात्मक एजेंसियों के साथ संयुक्त घात, छापे और गश्त का आयोजन किया जाता है। सीमा बाह्य चौकियों पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई हैं। घुसपैठियों के आने जाने पर निगरानी रखने के लिए निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है। सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से सीमा बाह्य चौकियों पर बार्डर विंग होम गार्ड तैनात की गई है।

नेहरू युवक केन्द्रों के समायोजकों का कार्य-काल

1318. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्रों में कार्यरत समायोजकों की कार्य प्रणाली और कार्य-काल के बारे में कोई नियम और विनियम हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संक्षिप्त रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से समायोजक एक ही स्थान पर एक दशक से भी अधिक समय से हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय आधार पर उनका स्थानान्तरण सुनिश्चित करने के लिए कोई क़दम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। युवा समन्वयकों के पद के लिये लागू भर्ती नियमों के अनुसार इन पदों की भर्ती का सामान्य तरीका प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण है। सामान्यतः युवा समन्वयकों की प्रतिनियुक्ति

की अवधि 3 वर्ष है, परन्तु लोकहित में जहां आवश्यक समझा जाता है, इस अवधि को आगे बढ़ाने की मन्जूरी दी जा सकती है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इसके अलावा, अधिकतर केन्द्रीय सरकारी पदों की भांति पदस्थ को स्थानान्तरित किया जा सकता है। ऐसा स्थानान्तरण यथा समय लोकहित में प्रभावी है।

विमान दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को मुआवजा

1319. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा 23 जून, 1985 को विमान दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को दिये जाने वाले मुआवजे के सम्भावित भुगतान में कुल कितनी भारतीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा व्यय होगी;

(ख) एयर इंडिया के पास अब तक कितनी धनराशि मुआवजे के दावे दायर किये गये हैं और एयर इंडिया का इन मामलों को, विशेष रूप से जिनमें विदेशी मुद्रा शामिल है; किस प्रकार निपटाने का प्रस्ताव है; और

(ग) एयर इंडिया को बीमा कम्पनियों और विमान के नुकसान और उससे यात्रा कर रहे यात्रियों के नुकसान के लिए उत्तरदायी कम्पनियों से कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वास्तविक मुआवजे की देयता का निर्धारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की आयु, अर्जन क्षमता, हैसियत और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकारियों की हुई आर्थिक हानि का सामान्य नियमों और कानूनों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाएगा। अधिकतम देय मुआवजा 75,000 अमरीकी डालर प्रति यात्री है।

(ख) एयर इण्डिया को अब तक 21 यात्रियों के निकट सम्बन्धियों से दावे प्राप्त हुए हैं। निकट सम्बन्धी से दावे के रूप में मुआवजे की राशि बताने की अपेक्षा नहीं की जाती है। निकट सम्बन्धी से आशा की जाती है कि वह उत्तराधिकारियों को हुई आर्थिक हानि दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की आयु, अर्जन क्षमता, हैसियत और उसके आश्रितों की संख्या सम्बन्धी सूचना दे। मुआवजे की राशि इन्हीं बातों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मुआवजा किस मुद्रा में दिया जाए यह निकटतम सम्बन्धी की आवासीय हैसियत पर आधारित होगा।

(ग) एयर इण्डिया दुर्घटनाग्रस्त विमान की हानि के सम्बन्ध में भारतीय सामान्य बीमा निगम से 950 लाख अमरीकी डालर वसूल करेगी। इस विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों की मृत्यु के लिए देय मुआवजा भी बीमा कम्पनी से वसूल किया जा सकता है।

संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल की भूमिका

1320. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मास के प्रारम्भ में राज्यपालों का एक दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में क्या निर्णय किए गए, विशेषकर संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल की भूमिका के बारे में ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) 5 तथा 6 जुलाई, 1985 को राज्यपालों का एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में राज्यों की राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें अनिवार्य उपयोगी वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध करवाने को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका के विशेष संदर्भ में देश की आर्थिक स्थिति की भी पुनरीक्षा की गई। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण, विश्व-विद्यालयों के कुलपतियों के रूप में राज्यपालों की भूमिका तथा पर्यावरण, वनखण्ड तथा प्रदूषण नियंत्रण पर विचार विमर्श किया गया।

एक पाकिस्तानी नागरिक के पास से हशीश पकड़ा जाना

1321. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने 5 जून, 1985 को एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया जिसके परिणामस्वरूप 510 कि० ग्राम की रिकार्ड मात्रा में हशीश पकड़ी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया और जल्दी ही छोड़ दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसे छोड़ने के क्या कारण थे ;

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 5/6 जून, 1985 की रात को, नई सब्जी मण्डी, आजादपुर के नजदीक एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक अब्दुल लतीफ को पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उससे 45 किलो रिफाइन्ड हशीश पकड़ी गई। आगे पूछताछ करने पर और उसके द्वारा दिए गये सुराग पर, 465 किलो और रिफाइन्ड हशीश बरामद की गई।

(ग) और (घ) कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। तथापि, उसका सहयोगी

जो उसके साथ था, पुलिस को देखकर भाग गया, अभी तक उसका अता-पता नहीं लगा ।

इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में व्यावसायिक जोखिम

1322. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक उद्योग में 1984 में 39 प्रतिशत की विकास दर थी और वर्तमान उत्पादन 18,900 मिलियन करोड़ रुपये का है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग में व्यावसायिक जोखिमों के विरुद्ध सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये हैं जो कि औद्योगिक सम्बन्धों के केलीफोर्नियां विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रति 100 श्रमिक के पीछे 1.3 रुग्णता थी; और

(ग) लघु एवं कुटीर उद्योगों में चल रहे एककों के सम्बन्ध में उसका किस तरह पालन किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यद्यपि व्यवसाय संबंधी जोखिमों से निपटना श्रम मंत्रालय का प्रशासनिक दायित्व है, तथापि उन्होंने भी यह सूचित किया है कि लघु क्षेत्र की तथा कुटीर उद्योग के किस्म की इकाइयां तो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आती ही नहीं हैं । इसके बावजूद, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा अप्रैल, 1984 में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पर्यावरण विभाग, केन्द्रीय श्रम संस्थान, लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र की कुछ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योग संघों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था । इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों में स्वास्थ्य सम्बन्ध विद्यमान एवं संभावित जोखिमों के बारे में विचार-विमर्श करना और फिर उपचारी/निवारक उपायों की सिफारिशें करना और उन्हें अपनाना था ।

तदनुसार औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ से अनुरोध किया गया था कि निम्नलिखित उद्देश्य से वे कुछ चुनिन्दा इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों का अध्ययन/सर्वेक्षण करें :

(क) इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के संबंध में वर्तमान मानदण्ड के साथ-साथ नियमों/विनियमों की जांच करना; और

(ख) नए मानदण्ड अपनाने के लिए उनके बारे में सुझाव देना/तैयारी करना ।

इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष लघु उद्योग क्षेत्र तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र में कार्यरत इकाइयों के मामले में भी लागू होंगे ।

[हिन्दी]

एयर इण्डिया के विमान "कनिष्क" की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के शोक में राष्ट्रीय ध्वजों का आधा झुकाया जाना

1323. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एयर इण्डिया के विमान "कनिष्क" दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत व्यक्तियों के शोक में कनाडा में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुका दिये गये थे लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया; और

(ख) इस संबंध में सरकारी मैनुअल में क्या दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं और क्या उनमें इस प्रकार की राष्ट्रीय दुर्घटनाओं को सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय झंडा संहिता में सरकार के विशिष्ट सम्भ्रान्त व्यक्तियों और कुछ विदेशी संभ्रान्त व्यक्तियों की मृत्यु होने पर ही राष्ट्रीय झंडे का झुकाना निर्धारित किया गया है । इस मामले में भारतीय झंडा संहिता में कोई संशोधन करने का विचार नहीं है ।

[अनुवाद]

राज्यों के लिए योजना और गैर-योजना व्यय के लिए धनराशि का आबंटन

1324. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए योजना और गैर-योजना व्यय के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा योजना और गैर-योजना श्रेणी में कितनी धनराशि खर्च की जा सकी; और

(ग) उक्त प्रत्येक श्रेणी में पूरा व्यय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) योजना आबंटन, योजना कार्यक्रमों के लिए किये जाते हैं न कि गैर-योजना व्यय के लिए । संलग्न विवरण में 1984-85 के लिए, राज्य-वार योजना आबंटन और प्रत्याशित व्यय दिया गया है ।

(ग) लागू नहीं, क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा बताया गया योजना व्यय अनुमोदित आबंटनों के या तो बराबर है या उससे अधिक है।

विवरण

वार्षिक योजना 1984-85 परिव्यय-राज्य

(करोड़ रुपये)

	योजना परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
आन्ध्र प्रदेश	918.31	1012.96
असम	360.00	388.82
बिहार	751.00	751.14
गुजरात	935.00	935.00
हरियाणा	430.00	431.97
हिमाचल प्रदेश	168.17	168.41
जम्मू और कश्मीर	235.00	250.85
कर्नाटक	650.00	679.50
केरल	355.00	355.00
मध्य प्रदेश	1060.00	1070.50
महाराष्ट्र	1650.00	1758.31
मणिपुर	61.00	62.48
मेघालय	65.00	65.00
नागालैण्ड	56.10	59.25
उड़ीसा	400.00	414.10
पंजाब	440.00	440.00
राजस्थान	387.00	430.00
सिक्किम	35.08	35.10
तमिलनाडु	927.00	960.38
त्रिपुरा	68.00	87.01
उत्तर प्रदेश	1502.45	1876.26
पश्चिम बंगाल	411.00	748.66
कुल—राज्य	1:865.11	12980.70

पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन

1325. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी पवन चक्कियां बिजली पैदा कर रही हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार बिजली संकट को कम करने के लिए और पवन चक्कियां स्थापित करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 1092 पवन चक्कियां, जल पम्पन हेतु यांत्रिकी विद्युत उत्पादन का कार्य कर रही हैं। एक 40 किलोवाट का पवन विद्युत जनित्र पहले से ही कार्यरत है और वायु से निर्मित अन्य तीन मेगावाट विद्युत क्षमता वाले जनित्र स्थापनाधीन हैं। 3 किलोवाट क्षमता वाले 5 वायु (पवन) बैट्री चार्जरों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कुछ प्राइवेट व्यक्तियों और दूसरी एजेन्सियों ने भी कुछ पवन चक्कियों और बैट्री चार्जरों की स्थापना की है।

(ख) जी हां।

छठी योजना के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

1326. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना, 1984-85 के पिछले वर्ष में भारतीय अर्थ व्यवस्था में केवल 4 प्रतिशत का विकास हुआ जबकि इससे पहले के चार वर्षों में इसमें 7.4 प्रतिशत, 7.7 प्रतिशत 4.6 प्रतिशत और 7.7 प्रतिशत का विकास हुआ था;

(ख) क्या सभी वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लक्ष्य से काफी कम रहा जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान न्यूनाधिक रहा;

(ग) क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान अर्थव्यवस्था विकास के इस पहलू का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस धीमें विकास के लिये जिम्मेदार प्रमुख कारणों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 1984-85 में जैसा संकेत दिया गया है कि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर अर्थात् 1970-71 के मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के पिछले वर्षों में प्रतिशतता परिवर्तन,

छठी पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों के लिए निम्नलिखित हैं :—

1980-81	7.7 प्रतिशत
1981-82	4.6 प्रतिशत
1982-83	1.7 प्रतिशत
1983-84	7.4 प्रतिशत (त्वरित अनुमान)
1984-85	4.0 प्रतिशत (प्रत्याशित)

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार 1970-71 के मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार है :—

सकल घरेलू उत्पाद में योगदान (प्रतिशत)

वर्ष	कृषि क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र
1980-81	39.1	15.5
1981-82	38.6	15.3
1982-83	36.7	15.2
1983-84	37.3	14.9

छठी योजना में, अर्थव्यवस्था में कृषि उद्योग द्वारा क्षेत्रीय योगदान का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, पूरी छठी पंचवर्षीय योजना में, कृषि और औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक संवृद्धि के लक्ष्य क्रमश: 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत निर्धारित किए गए थे। 1984-85 के आर्थिक सर्वेक्षण में छठी योजना के विभिन्न वर्षों के दौरान कृषि और औद्योगिक उत्पादनों में वास्तविक संवृद्धि दर नीचे बताई गई है :—

वर्ष	वार्षिक संवृद्धि दर प्रतिशत	
	कृषि उत्पादन	औद्योगिक उत्पादन
1980-81	15.6	4.0
1981-82	5.6	8.6
1982-83	— 4.1	3.9
1983-84	13.6	5.5
1984-85 (प्रत्याशित)	1.0	7.0

इस प्रकार, वर्ष 1981-82 को छोड़कर औद्योगिक संवृद्धि दर लक्ष्य से कम रही है जबकि छठी योजना के विभिन्न वर्षों के दौरान कृषि संवृद्धि दर में परिवर्तन होता रहा है हालांकि, पूरी छठी योजना में कृषि उत्पादन लक्ष्य से अधिक हो गया था।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । इस संबंध में यह कहा जाता है कि जैसा कि 1984-85 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि छठी योजना अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था की औसत संवृद्धि दर लगभग 5.2 प्रतिशत हो जाएगी जो कि योजना लक्ष्य के बराबर है ।

रंगीन टी० वी० और तस्वीर ट्यूबों का आयात

1327. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान कितने रंगीन टी० वी० सैट आयात किये गये;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न टी० वी० सैट निर्माता यूनिटों को कितने रंगीन टी० वी० सैट और तस्वीर ट्यूब आयात करने की अनुमति दी गई;

(ग) इन आयातों में कितनी राशि की विदेशी मुद्रा व्यय हुई है; और

(घ) सरकार देशीय रंगीन टी० वी० पिक्चर ट्यूब के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए तीन पार्टियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं जिसकी कुल क्षमता प्रतिवर्ष 13 लाख नग है । मार्च, 1985 में इलैक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस के परिक्षेत्र से बाहर ले आने के फलस्वरूप चार और इकाइयों ने औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के पास अपना पंजीकरण करवा लिया है ।

तूफान की चेतावनी देने वाले नये राडार केन्द्र

1328. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तूफान की चेतावनी देने वाले कुछ नये राडार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर तूफान की चेतावन देने वाले ऐसे नये केन्द्र स्थापित किये जाएंगे ;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) नए चक्रवात संसूचन राडार गुजरात में भुज तथा केरल में कोचीन में स्थापित किए जाने हैं।

इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण केन्द्र

1329. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पहले से ही खोले जा चुके/खोले जा रहे ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने पर कितनी धनराशि व्यय होगी और इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1985-86 में क्या प्रावधान किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, नहीं। किन्तु, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग एक नियमित योजनागत परियोजना के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी (सी० ई० डी० टी०) केन्द्रों की स्थापना कर रहा है।

इस प्रकार के एक केन्द्र की बंगलौर में पहले ही स्थापना की जा चुकी है तथा यह वर्ष 1974 से कार्य कर रहा है और परियोजना के अन्तर्गत वैद्युतयांत्रिकीय प्रणालियों की स्थापना की जा रही है, जिसमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में बल दिया गया। तीसरे केन्द्र की स्थापना के लिए तैयारी का कार्य प्रगति पर है।

ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने में अन्तर्गस्त लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि इस केन्द्र के लिए चुने गए इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में किस कार्य पर बल दिया जाएगा तथा केन्द्रों की अपनी मूल संरचनात्मक आवश्यकताएं क्या हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की वर्ष 1985-86 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भोपाल में वायु में "सायनाइड जहर" के बारे में केन्द्रीय वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिवेदन

1330. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में पिछले दिसम्बर में "मिक" गैस रिसाव दुर्घटना के पश्चात वायु में सायनाइड विष की मात्रा के बारे में केन्द्रीय वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिवेदन से चकाचौंध करने वाली इस बात का पता चलता है कि यूनियन कारबाइड कारखाने से "मिक"

गैस के रिसाव के कुछ दिनों बाद तक भी वायु में सायनाइड का जहरीला प्रभाव अत्यधिक मात्रा में था (हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 6 जून, 1985); और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भोपाल में जहरीले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीर सेन) : (क) बोर्ड द्वारा की गई जांच पड़ताल से फैक्टरी में स्टोरेज टैंक के पास दो स्थानों पर साइनाइड की उच्च मात्रा की जानकारी मिली। बहराल, फैक्टरी से 2 कि० मी० के दायरे के स्थानों पर साइनाइड नहीं पाया गया।

(ख) सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) साइनाइड के प्रभाव से बचने के लिए गैस मास्क का प्रयोग;

(ii) जल का छिड़काव;

(iii) स्टोरेज टैंक में बची मिथाइल आइसो-साइनाइड को अप्रभावी करना।

[हिन्दी]

अपराधों में वृद्धि

1331. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में हुए चोरी, डकैती, हत्याओं और बलात्कार आदि की घटनाओं के राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों के गृहमन्त्रियों की एक बैठक बुलाकर इन अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) "सार्वजनिक व्यवस्था" तथा "पुलिस" संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करना राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है।

ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा संघ शासित क्षेत्रवार चोरी, डकैती, हत्याओं और बलात्कार के आंकड़ों का संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चोरी			डकैती			हत्याएं			बलात्कार		
	1982	1983	1984	1982	1984	1984	1982	1983	1984	1982	1983	1984
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	16496	14526	43612	318	365	270	1440	1363	1347	245	309	276
असम	9731	9302	8202	475	535	487	607	1964	774	198	168	272
बिहार	21116	19652	18587	3206	3370	2971	2744	2971	3084	348	339	475
गुजरात	20550	118882	18054	281	186	150	10059	999	1030	97	89	139
हरियाणा	3551	3470	3226	31	19	28	315	359	409	90	85	114
हिमाचल प्रदेश	535	565	504	11	4	1	74	60	61	25	29	25
जम्मू और कश्मीर	2581	2374	2619	10	33	25	88	103	120	115	146	142
कर्नाटक	17611	16915	16646	172	169	221	883	944	1115	60	—	—
केरल	2953	3041	2082	32	27	36	516	481	515	78	—	—
मध्य प्रदेश	47663	41893	39911	567	579	440	2457	2538	2610	1113	1221	1305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
महाराष्ट्र	59930	53913	53145	737	617	638	1924	1947	2112	504	557	675
मणीपुर	621	541	522	32	34	8	83	67	70	20	9	12
मेघालय	520	460	473	38	31	24	68	60	67	17	8	14
नागालैण्ड	429	497	481	12	9	11	18	26	26	9	8	5
उड़ीसा	12573	11536	10168	317	347	276	529	573	622	137	146	166
पंजाब	1989	1689	1447	1	6	11	569	579	744	53	56	59
राजस्थान	14016	12956	11477	146	147	108	939	979	1005	339	378	379
सिक्किम	84	86	103	3	3	1	13	7	3	4	4	7
तमिलनाडु	25418	26581	24396	40	61	73	1309	1253	1365	169	191	207
त्रिपुरा	1265	1406	1349	198	221	283	112	125	118	22	2	—
उत्तर प्रदेश	47544	44831	47982	3674	2632	2793	5716	5412	5983	773	—	—
पश्चिम बंगाल	34831	33520	29103	1339	1149	1092	1421	1442	1467	489	488	594
संघ शासित क्षेत्र	198	161	117	1	—	—	7	11	17	—	4	3
अ० नि० द्वीप समूह	234	243	189	9	7	11	29	34	27	6	8	7
अरुणाचल प्रदेश	859	735	712	—	—	—	11	19	8	5	3	—
चण्डीगढ़	49	21	35	—	2	1	7	7	6	2	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दादरा और नगर हवेली	13670	13070	13043	23	21	29	235	239	317	69	78	102
दिल्ली	884	762	743	5	5	3	23	19	24	—	10	7
गोवा, दमन और द्वीव	2	6	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—
लक्ष्यद्वीप												
मिजोरम	185	258	241	7	3	2	28	21	28	35	39	35
पाण्डिचेरी	899	781	731	4	2	1	6	13	14	4	7	8
	358989	333672	321687	11679	10584	9994	23224	24614	25088	5026	5298	6165

टिप्पणी : आंकड़ों को अन्तरिम माना जा सकता है।

[अनुवाद]

एयर इन्डिया विमान दुर्घटना के सम्बन्ध में वित्तीय व्यय

1332. **श्री राम भगत पासवान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इन्डिया विमान दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप अटलांटिक महासागर में 329 लोगों की मृत्यु हो गई थी, के संबंध में किए जाने वाले व्यय से एयर इन्डिया पर कुल वित्तीय भार और जिम्मेवारी का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दुर्घटना से सम्बद्ध विभिन्न मामलों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एयर इन्डिया का विमान "कनिष्क" जून, 1978 में 42.85 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा गया था, जिसका बीमा इसकी अनुमानित प्रतिस्थापन लागत 95 हजार अमरीकी डालर (115.90 करोड़ रुपए) में किया गया था। विमान की पूरी बीमाकृत रकम बीमाकर्ता से वसूल की जाए।

मृत यात्रियों के परिवार के सदस्यों को मुआवजे के रूप में एयर इन्डिया द्वारा जो अदायगी करनी होगी उसकी देयता भी बीमे के अन्तर्गत आती है। वास्तविक मुआवजे की देयता का निर्धारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की आयु, अर्जन क्षमता, हैसियत और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकारियों को हुई आर्थिक हानि का सामान्य नियमों और कानूनों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाएगा।

अन्य संबंधित मदों पर होने वाले व्यय का पहले से हिसाब लगाना संभव नहीं है।

(ख) अब तक एयर इन्डिया विदेशी मुद्रा के रूप में 16.57 लाख रुपए खर्च कर चुका है।

खाड़ी युद्ध समाप्त कराने के लिए प्रयास

1333. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी
श्री जी०एम० बनातवाला
श्री मोहम्मद महफूज अली खां

: क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी युद्ध समाप्त कराने के लिए कोई नया प्रयास किया है,

(ख) यदि हां, तो उस पर सम्बन्धित देशों का क्या प्रत्युत्तर है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का अपर्याप्त होना

1334. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग के संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में प्रशिक्षण सुविधाएं अत्यन्त अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु सातवीं योजनावधि के दौरान कोई नए संस्थान खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) सरकार द्वारा शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और पर्यटन उद्योग के विभिन्न स्तरों तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्र में व्यावसायिक निपुणता लाने के कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इस समय होटल प्रबंध और केटरिंग तकनालाजी के 11 संस्थान विभिन्न केन्द्रों पर स्थित हैं जो होटल प्रबन्ध आदि में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं। इनके कार्यक्रमों को समन्वित करने और स्वरूप में सुधार लाने के लिए एक होटल प्रबन्ध और केटरिंग तकनोलाजी राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है। इसके अलावा 12 खाद्य शिल्प संस्थान हैं जहां विभिन्न शिल्पों में एक-वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन खाद्य शिल्प संस्थानों में से 5 को डिप्लोमा स्तर पर उन्नत करने का और 10 नए खाद्य शिल्प संस्थानों को खोलने का प्रस्ताव है। सरकार ने यात्रा उद्योग के विभिन्न घटकों जैसे होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं, एयरलाइनों आदि में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, पर्यटन उद्योग में संगोष्ठियां तथा सेवा-कालीन प्रशिक्षण आदि आयोजित करने हेतु और अंततः पर्यटन तथा इससे सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम का संचालन करने के वास्ते भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान नामक एक पंजीकृत सोसाइटी स्थापित की है। यात्रा उद्योग के विभिन्न स्तरों पर बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास हालांकि एक सतत प्रक्रिया है और इस दिशा में जब भी आवश्यकता होगी नई-नई मांगों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम

उठाए जायेंगे ।

युवा होस्टल

1335. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने युवा होस्टल कार्य कर रहे हैं;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित युवा होस्टलों की संख्या कितनी है;

(ग) उड़ीसा में ऐसे कितने होस्टल कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष में नए होस्टल बनाने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) इस समय अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, डलहौजी, दार्जिलिंग, गांधीनगर, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, मैसूर, नैनीताल, पणजी, पंचकुला, पांडिचेरी, पटनीटाप, पोर्ट ब्लेयर, पुरी और त्रिवेन्द्रम में 18 युवा छात्रावास चल रहे हैं। इन युवा छात्रावासों के स्थान का निर्णय राज्य सरकारों की सिफारिशों पर लिया गया था । इस समय पटना, नामची (सिक्किम), गोहाटी, शिलांग, इटानगर, दीमापुर, इम्फाल, अगरतला, ऐजवाल और आगरा में निर्माण के विभिन्न स्तरों पर 10 युवा छात्रावासों को शुरू करने के प्रयासों के अलावा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण के लिए 3 और युवा छात्रावासों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ।

शीत ऋतु खेल संस्थायें

1336. श्री हरिहर सोरन : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में कितनी शीत ऋतु खेल संस्थान स्थापित की गई हैं;

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर ऐसी संस्थान स्थापित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ और शीत ऋतु खेल संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर इस प्रकार के संस्थान स्थापित किये जाने हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और

(ख) पर्यटन और नागर विमानन विभाग ने गुलमर्ग में भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान स्थापित किया है जो शीतकाल के दौरान गुलमर्ग (जम्मू और कश्मीर), नरकण्डा (हि० प्र०) और औली (उ० प्र०) में नियमित स्की पाठ्यक्रम आयोजित करता रहता है। दार्जिलिंग (प० बं०) में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी में पर्वतारोहण संस्थान, और हिमाचल प्रदेश में मनाली में भी हैं।

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ियों में शरदकालीन खेल केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का कार्य-निष्पादन

1337. **श्री हरिहर सोरन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष तक;

(ग) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षत वर्षों और पुनरीक्षाधीन वर्ष में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(घ) विदेशों में निर्माण कार्यों, परामर्श परियोजनाओं के माध्यम से कितनी धनराशि अर्जित की गई; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे प्राप्त होने पर सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

(ख) वित्तीय वर्ष 1983-84 के अन्त तक की अवधि की पुनरीक्षा की जा चुकी है।

(ग) पिछले दस वर्षों के दौरान प्राधिकरण द्वारा कुल विदेशी मुद्रा अर्जन निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपए में)
1975-76	540.39
1976-77	625.70
1977-78	957.81

1978-79	1295.18
1979-80	1621.69
1980-81	1721.56
1981-82	2158.84
1982-83	2811.89
1983-84	2760.04
1984-85	3461.34

(घ) और (ङ) विदेशों में निर्माण और परामर्शदात्री परियोजनाओं से 31.3.1985 तक कुल अर्जन 622.61 लाख रुपए है जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रुपयों में)

(क) निर्माण परियोजनायें	
(1) नई घाट परियोजना, लीबिया	96.45
(2) ब्राक परियोजना (चरण-I) लीबिया	44.85
(3) ब्राक परियोजना (चरण-II) लीबिया	(—) 440.11
(4) अल-गैधा परियोजना, दक्षिण यमन	550.48
(5) रियान परियोजना, दक्षिण यमन	730.67
(6) हुलुले परियोजना, मालदीव	(—) 374.93
	607.41
(ख) नौरा अल्जीरिया, दक्षिण यमन और मारीशस गणराज्य में परामर्शदात्री सेवायें	15.20
	622.61

होटल प्रबन्ध में प्रशिक्षण

1338. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐतिहासिक पर्यटन महत्व के स्थानों को देखने हेतु बड़ी संख्या में आ रहे

पर्यटकों और इसके परिणामस्वरूप होटलों में हो रही भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए क्या प्रशिक्षित कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार ने होटल प्रबन्ध में छात्रों (लड़कों और लड़कियों) को प्रशिक्षित करने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो होटल प्रबन्ध में प्रशिक्षण देने वाले सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आम आदमी प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शुल्क सुगमता से दे सकता है और शुल्कों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन संस्थानों द्वारा कितने व्यक्तियों को होटल प्रबन्ध प्रशिक्षण दिया गया है और उनमें से कितने लोगों को होटलों में नौकरी मिली है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) कुछ होटल श्रंखलाओं द्वारा अपने ही कार्मिकों के लिए होटल प्रबन्ध में प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधाओं के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने युवाओं और युवतियों के लिए 11 होटल प्रबन्ध, खान-पान शिल्पविज्ञान और अनुप्रयुक्त पोषाहर संस्थानों और 12 भोजनकला संस्थाओं की निम्नलिखित स्थानों पर स्थापना की है :

होटल प्रबन्ध संस्थान :

(1) नई दिल्ली, (2) बम्बई, (3) मद्रास, (4) कलकत्ता, (5) श्रीनगर, (6) अहमदाबाद, (7) हैदराबाद, (8) भुवनेश्वर, (9) बंगलौर, (10) लखनऊ और (11) गोआ।

भोजनकला संस्थान

(1) कलामास्सेरी, (2) पुणे, (3) चंडीगढ़, (4) भोपाल, (5) तिरूचिरापल्ली, (6) जयपुर, (7) पटना, (8) दिल्ली, (9) अलीगढ़, (10) शिमला, (11) विशाखापटनम और (12) गोहाटी।

विभिन्न श्रेणियों में होटल आवास की भावी मांग को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जरूरत है कि ऐसे संस्थानों की संख्या में वृद्धि की जाए और मौजूदा संस्थानों को सुदृढ़ भी बनाया जाए। सातवीं योजना में पांच होटल प्रबन्ध संस्थान तथा 10 शिल्प (क्राफ्ट) संस्थान और स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) आम आदमी प्रशिक्षण के लिए ली जाने वाली फीस सुगमता से दे सकता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त और उपयुक्त भोजन पर व्यय के मूलतत्व पर निर्भर रहते हुए 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रति माह फीस 90 से 100 रु० के बीच है और छः महीने/1 वर्षीय क्राफ्ट पाठ्यक्रमों के लिए प्रति माह फीस 60-90 रु० है। यह फीस इन

संस्थानों के व्यय की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है—कमी की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में की जाती है।

(ङ) इन संस्थानों से 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए लगभग 5470; क्राफ्ट पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 17460 और अन्य अल्पावधि पाठ्यक्रमों के लगभग 4915 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्राप्त सूचना के अनुसार इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 16,800 कार्मिकों को होटलों में नौकरी मिली है।

नीदरलैंड में भारतीय हाकी दल का प्रदर्शन

1339. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव**
श्री अरविंद नेताम } : **क्या युवा कार्य और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड में अभी हाल ही में हुए चार देशों के मैचों में भारतीय हाकी दल का प्रदर्शन बहुत ही खराब स्तर का रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) भारतीय एथलीटों और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय टीम ने टूर्नामेंट्स में अन्तिम स्थान प्राप्त किया था। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के अनुसार वह एक नई टीम थी और उसके कार्य निष्पादन का यही एक कारण था।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों को आगामी 10 वें एशियाई खेलों के संदर्भ में एकाग्र और गहन प्रशिक्षण व कोचिंग के लिए पहले ही व्यापक मार्गदर्शी रूप रेखायें जारी की हैं।

श्रावणबेलगोला में जैन पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना

1340. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रावणबेलगोला एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, सरकार का विचार वहां पर जैन पुरातत्व संग्रहालय स्थापित करने का है?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : कर्नाटक सरकार का, जैन कला को समर्पित श्रावणबेलगोला में एक पुरातत्व संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ग "ग" पदों के लिए चुने गये प्रत्याशी

1341. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ग "ग" पदों की भरती के लिए जनवरी, 1984 से कितने प्रत्याशियों का चयन किया गया;

(ख) कितने प्रत्याशियों को नियुक्ति प्रस्ताव दिए गए; और

(ग) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बड़ी संख्या में चयन किये गये प्रत्याशियों को नियुक्ति प्रस्ताव न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 1.1.1984 से 15.7.1985 तक की अवधि के दौरान समूह "ग" पदों के लिए 19,248 उम्मीदवार चुने गए थे और उनकी नियुक्ति की सिफारिश की गई थी।

(ख) और (ग) चूंकि कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता विभागों में नियुक्ति के लिए सफल उम्मीदवारों की मात्र सिफारिश ही करता है और उनकी वास्तविक नियुक्तियों के प्रस्ताव भिन्न-भिन्न कार्यालयों के विभिन्न नियोक्ता प्राधिकरणों द्वारा भेजे जाने होते हैं, अतः विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वास्तव में नियुक्त किए गए सफल उम्मीदवारों की संख्या से सम्बन्धित कोई केन्द्रीकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए दिए गए सुझाव

1342. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए किन प्रस्तावों का सुझाव दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न शीर्षों के अधीन कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने राज्य सरकार का, पर्यटन सैक्टर के लिए 24.50 करोड़ रुपये का बजट निश्चित किया है जबकि उनका प्रस्तावित परिव्यय 57.32 करोड़

रुपये था। 24.50 करोड़ रुपए के अनुमोदित व्यय के ब्रेक-अप के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले को जनजाति उप-योजना के लाभ

1343. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में कुछ खण्डों को जनजाति उप-योजना के लाभ देने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान इस उप-योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़ में मद-वार कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उक्त क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों से पर्वतीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत एक अलग उप-योजना तैयार करने तथा जनजाति लोगों के लाभ के लिए परियोजनायें बनाने का अनुरोध किया गया है।

जागेश्वर मन्दिर में मूर्ति संग्रहालय की स्थापना

1344. **श्री हरीश रावत** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोडा जिले में जागेश्वर मन्दिर में मूर्ति संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) क्या कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित संग्रहालय के लिए स्थान आदि का चयन करने हेतु जागेश्वर का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या स्थान का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संग्रहालय का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) मूर्तियों को प्रदर्शित करने के लिए जागेश्वर में एक मूर्ति शेड स्थापित करने के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) जैसे ही भू-अधिग्रहण कार्रवाई को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भूमि सौंप दी जाएगी, उसी समय जागेश्वर में प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

वायुदूत सेवा शुरू करने के लिए हावड़ा को नागर विमानन केन्द्र हवाई अड्डा बनाने की योजना

1345. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्रों तथा उपेक्षित जिलों की सेवाओं के लिए आसनसोल, जमशेदपुर, धनबाद, रांची तथा पुरूलिया, बीरभूम, मालदा, मार्गों पर उड़ानों के लिये हावड़ा को नागर विमानन केन्द्र हवाई अड्डा बनाकर वायुदूत सेवा शुरू करने की योजना है;

(ख) क्या इस बारे में कहीं से भी कोई अभ्यावेदन सरकार के पास आया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं; परन्तु वायुदूत पहले ही दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से जमशेदपुर और रांची के लिए हवाई प्रचालन कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

1364. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री एच० जी० रामुलू } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की अशान्त परिस्थितियों के कारण भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आयी है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशियों में विश्वास उत्पन्न करने और देश में विदेशी पर्यटकों के

यातायात में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) (क) हाल ही में देश के भीतर गड़बड़ी और विदेशों में प्रतिकूल मीडिया प्रचार की वजह से जुलाई, 1984 से मई, 1985 तक विदेशी पर्यटक आगमनों में गिरावट आई है। तथापि, जून 1985 के महीने के दौरान पर्यटक आगमनों में गत वर्ष उसी मास के दौरान हुए आगमनों की तुलना में लगभग 8.3 प्रतिशत की वृद्धि आई है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रतिकूल-प्रचार को निष्प्रभावी करने तथा विदेशों से आने वाले भावी पर्यटकों को आश्वस्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :—

1. पर्यटन विभाग के विदेश स्थित कार्यालयों और भारतीय उच्च आयोगों दोनों के द्वारा प्रेस के माध्यम से पुनराश्वासन अभियान।
2. देश में विद्यमान सामान्य स्थिति को उजागर करने के लिए दौरा परिचालकों तथा ट्रैवल मीडिया के व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क।
3. देश में सामान्य स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेशों के ट्रैवल एजेन्टों व मीडिया व्यक्तियों कों सरकारी खर्च पर भारत आने के लिए निमन्त्रण।
4. टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से विदेशों में प्रचार और विज्ञापन।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की बस्ती का जलाया जाना

1347. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई 1985 के पैट्रियट में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि 25 जून, 1985 को मध्य प्रदेश में कच्चूर ग्राम में अनुसूचित जातियों की एक बस्ती को जला दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, सूखे की स्थिति के कारण रेवा जिले में गांव कच्चूर में दूसरे ट्यूबवैल की खुदाई आवश्यक हो गयी थी और गांव पंचायत के परामर्श से एक स्थान का चयन किया गया। 25 जून, 1985 को, गांव में इस नए ट्यूबवैल की खुदाई के लिए स्थान के चुनाव पर तनाव उत्पन्न हो गया और कुछ कहा-सुनी पर, अनुसूचित जाति के सदस्य श्री राम किशोर को कुछ कुर्मियों (गैर-अनुसूचित जाति के सदस्य) द्वारा पीटा गया। जब रामकिशोर ने इस विषय में अपने रिश्तेदारों को सूचित किया तो अनुसूचित जाति बस्ती के कुछ व्यक्ति कुर्मियों की बस्ती में गए और घातक हथियारों से कुछ कुर्मियों पर हमला किया। बदले में, कुर्मी बड़ी संख्या में एकत्र हुए

और हरिजन बस्ती में गए और वहां के निवासियों पर हमला किया और उनके घरों को भी आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप 20 मकान जल कर भस्म हो गए। सूचना प्राप्त होने पर जिला प्राधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। चार व्यक्ति मारे गए और 14 व्यक्ति जख्मी हुए। जख्मी व्यक्तियों को रेवा में गांधी मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनके उपचार के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए गए। घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए अग्नि-शमन दस्ते को बुलाया गया।

रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कारंवाई की गई और कुल 71 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के सम्बन्ध में तीन मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस उप अधीक्षक के पद के अधिकारी को, सशस्त्र गार्ड सहित, गांव कच्चूर में तैनात किया गया है। आगजनी के शिकार व्यक्तियों को कच्चूर राजकीय प्राथमिक स्कूल में रखा गया और उनके परिवारों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने गांव का दौरा किया, प्रभावित व्यक्तियों से मिले और राहत पुनर्वास उपायों का निरीक्षण किया। झगड़े में मारे गए अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों के परिवारों को प्रत्येक को 10,000 रु० अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया गया और जख्मी हुए 11 हरिजन व्यक्तियों के लिए प्रत्येक को 500 रु० दिए गए। जिनके मकान जल गए हैं उनको प्रत्येक को मुफ्त बांस और बल्लियों सहित 1000 रु० दिए गए। प्रभावित परिवारों को मुफ्त कपड़े और बर्तन भी दिए गए और यह आदेश दिया गया कि प्रभावित परिवारों का जब पुर्नस्थापन नहीं किया जाता है तब तक उनकी देखभाल सरकार करेगी।

घटना की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच का आदेश दिया और जांच कार्य अपर मुख्य सचिव श्री आर० के० खन्ना को सौंपा गया है जिनसे अपनी रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत करने को कहा गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में हिन्दी से छूट देना

1348. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में अनिवार्य बनाया गया था;

(ख) क्या मन्त्रालय ने अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के उम्मीदवारों को हिन्दी एक विषय के रूप में लेने से छूट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो यह छूट किस आधार पर दी गयी है और कब से दी गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र के उम्मीदवारों को सभी अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा में हिन्दी में बैठने से छूट देना

सिविल सेवा परीक्षा में जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और विभिन्न समूह "क" और समूह "ख" की केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए भर्ती की जाती है, हिन्दी एक अनिवार्य विषय नहीं है। फिर भी, सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भारतीय भाषा को उक्त परीक्षा के लिखित भाग में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में चुनना होता है। यह प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन अथवा उसके समकक्ष स्तर का होता है और इस प्रश्न पत्र में केवल अर्हता प्राप्त करनी होती है तथा इसके अंक योग्यताक्रम सूची तैयार करने में उम्मीदवार के रैंक के निर्धारण के लिए नहीं जोड़े जाते। चूंकि मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम में सामान्यतः बोली जाने वाली कोई भी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र के उम्मीदवार के सम्बन्ध में यदि कोई विशेष छूट नहीं दी जाती है तो उन्हें तब तक हानि उठानी पड़ेगी जब तक कि वे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी एक भाषा में अपेक्षित स्तर की दक्षता प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो जाते अतः इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को 1979 में लागू की गई नई परीक्षा योजना से सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के उपर्युक्त प्रश्न पत्र से छूट दी गई है। फिलहाल यह छूट 1985 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा तक ही लागू है।

सामान में बमों की जांच के लिए नए विमानपत्तन सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा

1349. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने विमान-पत्तन सुरक्षा स्तरों की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है और हवाई जहाजों में सामान में बम की जांच के लिए नए उपकरणों का विकास करने को कहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने एयरपोर्ट सुरक्षा के स्तरों की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है। विमानों में सामान में बम की जांच के लिए नए उपकरणों का विकास करने के लिए संगठन द्वारा किए गए आह्वान की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ब्यूरो की बैठक में खान-पान का ठेका आई० टी० डी० सी० को दिया जाना

1350. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ब्यूरो की नई दिल्ली में अप्रैल, 1985 में हुई बैठक में

प्रतिनिधि-मंडलों के लिये खान-पान का ठेका भारत पर्यटन विकास निगम को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा प्रस्तुत बिल लगभग 50 लाख रुपये का है ?

(घ) क्या उक्त निगम ने ताजा संतरे के रस के लिए गिलास के लिए 45 रुपये, तले हुए एक अण्डे के लिए 50 रुपए चार्ज किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) खान-पान के लिए अलग से ठेका नहीं दिया गया था। लेकिन अशोक होटल जहां प्रतिनिधियों को ठहराया गया था भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जाता है।

(ख) चूंकि सभी अतिथि प्रतिनिधियों को भारतीय पर्यटन विकास निगम के अशोक होटल में ठहराया गया था और खान-पान इसकी सेवाओं का अनिवार्य अंग है अतः इसकी व्यवस्था भी भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा ही की गई थी। विज्ञान भवन में भी, जहां सम्मेलन आयोजित किया गया था, भारतीय पर्यटन विकास निगम एक मात्र प्राधिकृत खान-पान की व्यवस्था करने वाला था।

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकों द्वारा प्रस्तुत बिल 37,17,307.70 रुपये के थे। इसमें कमरे का किराया, खाना, कक्ष-सेवा, धुलाई, स्थानीय टेलीफोन सुविधा, अखबार, मिनरल वाटर और साफ्ट ड्रिंक का खर्च शामिल है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सम्मेलन के दौरान कमरे में खान-पान की व्यवस्था के लिए मूल्य सूची, का विवरण जो अशोक होटल से प्राप्त किया गया है, संलग्न है।

विवरण

छह राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन और एन० सी० बी० सम्मेलनों के दौरान चार्ज की गई व्यंजनों की दरें—अति महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के लिए

	रुपये
यूरोपीय नाश्ता	
ठंडा किए हुए जूस की पसंद (संतरा, अनानास, टमाटर) टोस्ट, रोल और क्रोईसेंट (मक्खन और सुरक्षित फल के साथ दिए गए) चाय/काफी	50.00

	रुपये
ब्रेकफास्ट ए ला कोर्ट जूस	30.00
(संतरा, अनानास, टमाटर) ताजे जूस) मौसम के अनुसार) (मौसमी, संतरा)	45.00
ताजे फल (मौसम के अनुसार (सेव/आम	35.00
संतरा/मौसमी	35.00
अंगूर	20.00
केला	20.00
खरबूजे की स्लाईस	20.00
पपीते की स्लाईस	20.00
विविध प्रकार के फलों की प्लेट	100.00
अनाज	
कार्नंप्लेक्स (ठंडे और गर्म दूध के साथ)	35.00
दलिया	35.00
तवे से	
दो अण्डे (आदेश के मुताबिक बनाये गये)	35.00
दो अण्डे हैम, बेकन और सासिज के साथ	50.00
मशरुम सहित चिकन लिवर	50.00
सासिज मैश किए हुए आलू के आमलेट सहित (स्पेनिश, चीज, हेम, चिकन, मशरुम)	50.00
शाकाहारियों के लिए	
दो पूरी और सब्जी की भुजिया	50.00
मसाला दोसा और चटनी	50.00
इडली और साम्बर	50.00
यूरोपीय नाश्ता	100.00
हमारी बेकरी से	
ब्रेकफास्ट रोल	20.00
क्रोइसेंट	20.00
ब्रियोचे	20.00

	रुपये
डेनिश पेस्ट्री	20.00
टोस्ट	20.00
(मक्खन और सुरक्षित फलों के साथ दिए गए)	
पेय	
चाय का एक पॉट	25.00
काफी का एक पॉट	30.00
बोर्नवीटा	30.00
गर्म चाकलेट	30.00
हार्लिक्स	30 00
वैनीला मिल्क शेक	40.00
लस्सी	40.00
भूख बढ़ाने के लिए	
केवियर	300.00
स्मोक्ड सलमन	300.00
कोल्ड लोब्स्टर पेरिसियेन	300.00
प्रान काकटेल	150.00
पिकल्ड मशरूम	75.00
आरतीचोका सलाद	75.00
काकटेल फ्लोरिड	50.00
स्टाक पाट से	50.00
फ्रेंच ओमियन सूप	40.00
एस्पेरेगस	40.00
मशरूम	40.00
लीक	40.00
टमाटर	40.00
कोंसोम शेरी	40.00
समुद्र से फल	
स्केम्पी सेंट पियरे	100.00
(रैप्ड इन बेकन आन ए स्केवर सास चोरोन के साथ दिये गए)	

	रुपये
जम्बो प्रान्स—सास टारटे/वर्टे वाले ग्रिल्ड पर तले हुए	150.00
लाब्स्टर थर्मीडोर	300.00
क्वेनेल्स आफ सेल्मन ए ला रिविरे (सास वेलोटे, टेरागान और लाब्स्टर विस्क के साथ मिलाये गए क्वेनेल्स)	300.00
फिलेट मुरट मछली (आर्तीचोक्स, आलू और टमाटर के साथ मक्खन में तली हुई पैन)	100.00
सेसिला मछली (एस्पारगस और भूरे नींबू मक्खन वाली)	100.00
बेक्ती बोने फेमे (मशरूम और शैलट के साथ सफेद शराब सॉस में बनाई गई मछली)	100.00
द पिक आफ पोल्ट्री	
चिकन एस्केलोप प्रिंसेज (ब्रेड क्रम्बड् सुप्रीम आफ चिकन, पान, मक्खन में तली, सस्पारगस से सजी)	125.00
चिकन एम्बेस्डराइस एस्पारगस से भरा सुप्रीम आफ चिकन, सुप्रीम सास से लिपटा हुआ, स्वीट ब्रेड तथा ट्रुफल्स से सुसज्जित)	125.00
चिकन साट चासर (सफेद शराब में लिप्त चिकन, लहसुन से सुगन्धित, ताबे कटे टमाटर, मिश्रित शाक और मशरूम)	125.00
चिकन स्टीक ओरलोफ मशरूम, लिवर पाटे, क्रीम सॉस तथा ग्लेस्ड से युक्त स्टीकस)	125.00
ग्रिल से	
फिलेट्स मछली	100.00
चिकन स्टीक	125.00

	रुपये
शाशलिक-लैंब या चिकन	100.00
(चावलों के साथ दिया गया)	
लैंब चौप्स	100.00
पार्क चौप्स	100.00
गार्डन से ताजे फल-सब्जियां	
एस्परगास मिलनैस	60.00
(चीज और नट ब्राऊन मक्खन के साथ)	
आबरजीन इजिप्टीयन	60.00
(एम प्लांट्स स्टफ्ट एण्ड ग्रेटीनेटिड)	
ग्रेटिन अशोक	
(बैंड आफ बीन पर मिली-जुली सब्जियां साथ बीचमेल से लिपटी, चीज के साथ पकी हुई)	
रतातौली-निक्वाइस	60.00
चौक्स फ्ल्यूर्स मार्नी	60.00
(साश स्पर्नी के साथ बंदगोभी)	
सलाद ब्राउल	40.00
भारतीय रसोई से	
तन्दूरी चिकन	150.00
चिकन टीक्का	150.00
सीख कबाब	100.00
तन्दूरी प्रान	150.00
नान-पराठा	20.00
रोटी	15.00
मांसाहारियों के लिए	
चिकन कधारी	150.00
चिकन बादाम पसंदा	150.00
चिकन दो प्याजा	150.00
बटर चिकन	150.00
मटन रोगन जोश	100.00
पालक गोश्त	100.00
सब्जी की सलाद	75.00

	रुपये
सादे चावल	30.00
शाकाहारियों के लिए	
शाही पनीर	60.00
पनीर पसंदा	60.00
मटर पनीर	60.00
मटर एवं मशरूम करी	60.00
मशरूम जलफ्रेजी	60.00
मलाई कोफ्ता करी	60.00
आलू गोभी	60.00
दाल मखानी	60.00
रायता	25.00
पापड़	5.00
मटन बिरयानी	150.00
फिनिशिंग टच	
चौकोनोइक्स	75.00
बादाम सूफले	75.00
एप्पल टार्ट ए ला मोडे	75.00
करमेल कस्टर्ड	75.00
ताजे फलों की सलाद	75.00
बाम्बे अशोक	75.00
आइस्क्रीम की पसन्द	75.00
गुलाब जामुन	75.00
रस मलाई	75.00
कुल्फी फलूदा	75.00
नाश्ता (स्नैक्स)	
अलेरे बाक्स डि वोलाइले	50.00
चीज बाल्ज	40.00
पनीर पकोड़ा	40.00
मिली-जुली सब्जियों का पकोड़ा	40.00

	रुपये
सब्जी का समोसा (मिन्ट चटनी के साथ दिया गया)	40.00
मसाला चीज़ टोस्ट	40.00
डिलक्स कनपे	75.00
चीज अनन्नास प्याज और सोलीवेज स्टिक्स	50.00
फ्राइड शरीम्प्स	125.00
फिश फिंगर	100.00
काकटेल सासिज	100.00
काकटेल शमी कबाब	100.00
फिंगर चिप्स	50.00
पनीर फिंगर्स	40.00
मशरूम शास्लिक्स	50.00
आमलेट (स्पेनिश, चीज, हेम, चिकन, मशरूम, सबूरी)	50.00
सेंडविच	
अशोक क्लब	40.00
चिकन	40.00
हेम	40.00
मटन	40.00
चीज़	40.00
अण्डे	40.00
टमाटर/ककड़ी	30.00
गार्लिक टोस्ट	40.00
पेस्ट्री	15.00
फ्रूट केक	15.00
सादा केक	15.00
आलू के चिप्स	25.00
काजू	75.00
मूंगफली	30.00

कलकत्ता विमानपत्तन से विदेशी एयर कम्पनियों का संचालन

1351. श्री रैनुपद दास : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जून, 1985 के कलकत्ता स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में संचालन की इच्छुक ग्यारह विदेशी एयरलाइन्स कम्पनियों को कलकत्ता विमानपत्तन से कार्य संचालन करने को कहा गया है;

(ख) उन एयरलाइन्स कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिनको कलकत्ता से कार्य संचालन के लिए कह दिया गया है; और

(ग) इस नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में उनका क्या उत्तर है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) जी, हां। तथापि ग्यारह नहीं वरन छः विदेशी विमान कम्पनियों, अर्थात् कोरियन एयरलाइन्स (के०ए०एल०), अलिया (रायल जोर्डियन एयरलाइन्स), के०एल०एम० (रायल डच एयरलाइन्स) जे०ए०टी० (यूगोस्लावियन एयरलाइन्स), लौट (पोलिश एयरलाइन्स) तथा वालकन (बलगारियन एयरलाइन्स), को कलकत्ता विमानक्षेत्र को भारत में विमान उतारने के एक केन्द्र के रूप में पेश किया गया था। इनमें से केवल दो एयरलाइनों अर्थात् बालकन (बलगारियन) तथा लौट (पोलिश) ने कलकत्ता के लिये/से होकर प्रचालन करने में रुचि दिखाई है। सरकार ने इस संबंध में बलगारिया से एक करार कर लिया है। बालकन एयरलाइन्स ने अभी तक प्रचालन आरम्भ नहीं किये हैं। लोट कलकत्ता के लिए/से होकर अपने प्रचालन आरम्भ करने की सम्भावना की जांच कर रही है।

स्वदेशी निजी कम्प्यूटरों के लिए किस्म जांच मशीनों का आयात

1352. **श्री रेणुपद दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्प्यूटरों के स्वदेशी निर्माताओं को स्वदेशी निजी कम्प्यूटरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये स्वचालित किस्म की जांच मशीनों के आयात के लिए प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो ये निर्माता उक्त मशीनों के बिना अब तक अपने उत्पादों की गुणवत्ता को किस प्रकार बनाये रखे हुए थे;

(ग) क्या उक्त मशीन के अभाव में निर्माता बिना किसी समुचित गुणवत्ता जांच के ही निजी कम्प्यूटरों को बेच रहे थे; और

(घ) यदि हां, तो निर्माताओं को ऐसा करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख, और (ग) यदि उत्पादन की मात्रा अधिक हो तो स्वचालित उपस्कर लगाना लागत की दृष्टि से किफायती होता है। जहां तक कम मात्रा में किये जाने वाले उत्पादन का सम्बन्ध है, ऑसिलोस्कोप (दोलित्र) तथा लॉजिक एनॉलाइजर जैसे परम्परागत परीक्षण उपस्करों का प्रयोग करते हुए परीक्षण की प्रतिस्थापन पद्धति के साथ-साथ विश्लेषण एवं मरम्मत-कार्य पर्याप्त पाए गए। पिछले दिनों में केवल कम क्षमताएं ही अनुमोदित की गई और अधिकांश इकाइयां गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परीक्षण की परम्परागत पद्धतियों का ही प्रयोग करती थीं। नई कम्प्यूटर नीति की घोषणा के बाद क्षमता से संबंधित प्रतिबंध हटा लिये गये हैं और उत्पादन का सम्पर्क प्रस्तावित मूल-संरचना के स्तर से रहता है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में नकली बीड़ियां बनाने वाला गिरोह

1353. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने, जैसा कि दिनांक 20 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है, राजधानी में एक फैक्टरी का पता लगाया है और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो नकली बीड़ियां बनाने के कार्य में संलग्न थे;

(ख) क्या यह सच है कि राजधानी में पुरानी दिल्ली में ऐसी और भी अनेक बोगस फैक्टरियां चल रही हैं;

(ग) सरकार का राजधानी में इस प्रकार की सभी जाली फैक्टरियों का सफाया करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) सरकार का इस धन्धे में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राजधानी के पुराने शहर में इस प्रकार की कोई अन्य फैक्ट्री दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) पुलिस सतर्कता बरत रही है और जैसे ही उनके ध्यान में इस प्रकार का कोई मामला आयेगा, तत्काल कार्रवाई की जायेगी।

(घ) अभियुक्त व्यक्तियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

अगरतला-कलकत्ता मार्ग पर विमान भाड़े में वृद्धि

1354. श्री अजय विश्वास : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगरतल्ला-कलकत्ता मार्ग पर विमान भाड़े में हाल ही में हुई वृद्धि के विरुद्ध त्रिपुरा के मुख्य मंत्री तथा अन्य जन संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार का अगरतल्ला-कलकत्ता मार्ग पर विमान भाड़े में हाल ही में हुई वृद्धि को वापस लेने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अगरतल्ला सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में किराये देश के अन्य भागों में किरायों से पहले ही कम हैं। प्रचालन की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से छोटी दूरी वाले सैक्टरों पर, तथा ईंधन लागत में वृद्धि के भारी बोझ के कारण, विमान किराये में वृद्धि को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाघों द्वारा हत्यायें

1355. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि बाघों द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यानों के आस-पास असावधान लोगों को हत्यायें करने की घटनाओं में पिछले कुछ समय से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यानों में इस प्रकार की घटनायें पिछले कुछ समय से हो रही हैं;

(ग) अप्रैल, 1985 तक समाप्त हुए पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के आक्रमणों में कितने लोग मारे गए; और

(घ) क्या इस प्रकार मरने वालों को यदि कोई मुआवजा अदा किया गया तो कितना ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर सेन) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में वायुदूत सेवा

1356. **श्री पी० नामग्याल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में किन-किन स्थानों में वायुदूत सेवा आरम्भ करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या नागर विमानन विभाग ने निकट भविष्य में जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में वायुदूत सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो ये सेवायें कब आरम्भ की जायेंगी और जम्मू और काश्मीर राज्य में किन क्षेत्रों को इनके अन्तर्गत लाया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है ।

जैसलमेर, धनबाद, पटना, पूर्णिया, डपोरिजो, जेरो, पासीघाट, एजवाल, कैलाशहर, रूपसी, अगरतला, वारंगल और रायचूर ।

(ख) और (ग) पुंछ, राजौरी तथा किश्तवार को जम्मू और श्रीनगर के साथ विमान सेवा से जोड़ने की आर्थिक साध्यता का निर्धारण करने के लिये वायुदूत यातायात सर्वेक्षण कर रही है । इन स्टेशनों को वास्तव में विमानसेवा से कब जोड़ा जायेगा और किस समय सीमा के अन्तर्गत इस सेवा को चालू किया जा सकेगा, यह आधारभूत संरचना की उपलब्धता, विमान क्षमता की प्राप्ति तथा यातायात सर्वेक्षण के नतीजे पर निर्भर करेगा ।

भारतीय होटल निगम लिमिटेड में भ्रष्टाचार

1357. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय होटल निगम लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों को कथित भ्रष्टाचार के संबंध में आरोप-पत्र दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम में भ्रष्टाचार रोकने के लिये सरकार का कोई कठोर कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एयर इण्डिया का सतर्कता विभाग, भारतीय होटल निगम लिमिटेड, जो एयर इण्डिया की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी है; के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है । जब कभी प्रथम दृष्टि मामला बनता है उसे विस्तृत जांच-पड़ताल के लिये सतर्कता विभाग

को सौंप दिया जाता है । सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर कर्मचारियों के विरुद्ध प्रत्येक दशा में कार्यवाही की जाती है ।

राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन

1358. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय तनाव को दूर करने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद के पुनर्गठन हेतु कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब और इसकी पहली बैठक कहां हुई थी और इस बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कब तक किये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय एकता परिषद के पुनर्गठन के मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

पंच तारा होटलों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था

1359. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंच तारा होटलों में ठहरने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये उनमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पंच तारा होटलों में की गई सुरक्षा व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार उनमें और सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या पंच तारा होटलों में हाल ही में कुछ मौतें हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) जी, नहीं । होटलों के अपने सुरक्षा-प्रबन्धों के अतिरिक्त पांच सितारा होटलों में वी०आई० पी० व्यक्तियों के लिए सुरक्षा-प्रबन्ध करने हेतु सरकार के स्थाई आदेश हैं । वी०आई०पी० व्यक्तियों की अधिकतता को देखते हुए और प्रत्येक विशिष्ट मामले में धमकी की आशंका (थ्रेट पर्सेप्शन) के अनुसार उचित सुरक्षा-प्रबन्ध किए जाते हैं ।

(ग) और (घ) हाल में देश के किसी पांच सितारा होटल में किसी वी०आई०पी० क निधन के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

पर्यटक स्थलों के लिए वायुदूत सेवा

1360. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सुदूर क्षेत्रों में पर्यटकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण आकर्षक स्थलों का चयन कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से बहुत से क्षेत्रों में रेल या (सड़क) सुविधा नहीं है;

(ग) यदि हां, तो शीघ्र समुचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ऐतिहासिक महत्व के इन पर्यटक क्षेत्रों को वायुदूत सेवा से जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पर्यटक अभिरुचि के स्थानों का अभिनिर्धारण करना और इन स्थानों पर पर्यटक आधार-संरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र के मिले-जुले संसाधनों द्वारा एकीकृत विकास के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए पर्यटक अभिरुचि के क्षेत्रों का समयान्वयन पर चयन किया जाता है।

(ख) से (ङ) अधिकांश पर्यटक केन्द्र रेल अथवा सड़क से जुड़े हुए हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी केन्द्रों को रेल या सड़क या वायु मार्ग से जोड़ने की योजनायें बनाने के प्रस्ताव निरन्तर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। इस समय वायुदूत अनेक पर्यटक केन्द्रों को जोड़ता है। आवश्यक मार्किट सर्वेक्षण कराने के बाद और संबद्ध अवतरण-पट्टियों पर आवश्यक न्यूनतम आधार-संरचना जुटाने के बाद ही नए गंतव्यों को जोड़ने वाली नई सेवाओं को प्रारम्भ करने के प्रश्न को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न समितियों को केन्द्रीय सहायता

1361. श्री के० प्रधानी : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 में उड़ीसा में सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं/संगठनों/समितियों को अनुसन्धान कार्यों हेतु कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान ऐसे प्रत्येक संगठन को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई है; और

(ग) उन संगठनों की सांस्कृतिक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना निम्नलिखित हैं :—

क्र०सं०	संगठन का नाम	1984-85 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि (रुपये)	संगठनों के सांस्कृतिक कार्यकलाप
1.	जुगाज्योति जुवक संघ, जिला कटक	7,500	ग्रामीणों के सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्य कलापों का विकास करना और इलाके के व्यक्तियों में पढ़ने की रुचि का विकास करना
2.	पाली सेवक समाज जिला धेनकनाल	7,500	स्थानीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यकलापों का विकास करना
3.	ओरियन्टल और उड़ीसा अध्ययन संस्थान, कटक	5,000	अध्ययन की प्रोन्नति, जटिल सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रसार

गरीब कलाकारों को वित्तीय सहायता देना

1362. श्री के० प्रधानी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति विभाग ने केन्द्रीय सरकार की पुनः सक्रियण योजना (1961) के अंतर्गत गरीब कलाकारों को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां तो विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस, समय गरीबी की स्थितियों में रह रहे ऐसे कलाकारों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1984-85 और 1985-86 में वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के दौरान 304 कलाकारों को जो विपन्नावस्था में रह रहे थे वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई थी। 1985-86 के दौरान सहायता मन्जूर करने के मामले विचाराधीन हैं।

(ग) राज्यवार सूचना देते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	1984-85 के दौरान सहायता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	असम	9
3.	दिल्ली	1
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	4
7.	जम्मू और कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	7
9.	केरल	61
10.	मध्य प्रदेश	26
11.	महाराष्ट्र	8
12.	मणिपुर	3
13.	नागालैण्ड	1
14.	उड़ीसा	80
15.	राजस्थान	5
16.	सिक्किम	1
17.	तमिलनाडु	1
18.	त्रिपुरा	3
19.	उत्तर प्रदेश	74
20.	पश्चिमी बंगाल	10
	कुल	304

आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का दर्जा बढ़ाया जाना

1363. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) दर्जा बढ़ाने का स्वरूप क्या है; और

(ग) प्रशासन की गुणवत्ता के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन के दर्जे को ऊंचा उठाने के उद्देश्य को आई०टी० डी०पी० तथा अन्य आदिवासी क्षेत्र परियोजनाओं में परियोजना प्रशासक/परियोजना अधिकारी तैनात करके पूरा किया गया है। जिला समाहर्ता, परियोजना कार्यान्वयन/पुनरीक्षा समितियों (पी०एल०सी०) के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। राज्य मुख्यालयों में, मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समितियां गठित की गयी हैं। प्रशासन में सुधार के लिए महेश्वर प्रसाद ग्रुप की सिफारिशें, जिनमें आदिवासी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक भत्ता देना इन क्षेत्रों में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, समुचित वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रत्यायोजन, आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों को भरना इत्यादि शामिल है, को सामान्यत: राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। आठवें वित्त आयोग ने चुने हुए आदिवासी गांवों में प्रतिपूरक भत्ता देने गृहों का निर्माण करने तथा अन्य मूल सुविधाओं को प्रदान करने के लिए 88.68 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। उक्त उद्देश्यों के लिए इन राशियों का उपयोग आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन की गुणवत्ता को सुधारने में संभवत: सहायक होगा।

[हिन्दी]

बिहार के अनुसूचित जातियों के परिवारों को सहायता

1364. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत बिहार के लिए कितना योजना परिव्यय किया गया था;

(ख) क्या बिहार के अनुसूचित जातियों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) पिछले तीन वर्षों के

दौरान बिहार में राज्य कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया परिव्यय इस प्रकार है :—

1982-83	5645.00 लाख
1983-84	4362.00 लाख
1984-85	7421.00 लाख

(ख) से (घ) तक अनुसूचित जाति के परिवारों का लक्ष्य जिन्हें गरीबी की रेखा पार करने योग्य बनाने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी है तथा तत्पश्चात उपलब्धि :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1982-83	2,15,513	1,48,514(68.9%)*
1983-84	2,73,000	1,72,896(63.3%)*
1984-85	3,00,000	3,20,463(106.8%)=
जोड़	7,88,513	6,41,873(81.40%)

संचयी उपलब्धि के संबंध में 7,88,513 अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य के स्थान पर 6,41,873 परिवारों की पिछले 3 वर्षों अर्थात 1982-83, 1983-84 1984-85 के लिए प्रतिशत उपलब्धि 81.4% है।

*लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई।

=लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं हुई बल्कि उसे पार कर लिया गया।

[अनुवाद]

बाल गरीबी प्रतिशत दर

1365. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल गरीबी की प्रतिशत दर कितनी है; और

(ख) देश में बाल गरीबी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) योजना आयोग द्वारा आंकलित गरीबी संबंधी आंकड़ों का आधार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संचालित पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के परिणाम होते हैं। बाल गरीबी के अनुमानों का आधार केवल वह अनुपात हो सकता है जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों में दिए गए आंकड़ों से, कुल परिवारों के सारे बच्चों का गरीब परिवारों के बच्चों की संख्या का हो। तदनुसार, इन सर्वेक्षणों की अनन्तिम 32वीं और 38वीं कार्यों पर आधारित, 1977-78 और 1983-84

में, गरीब परिवारों के बच्चों का कुल परिवारों के बच्चों का प्रतिशत नीचे दिया गया है।

	1977-78	1983-84
ग्रामीण	56.0 प्रतिशत	45.3 प्रतिशत
शहरी	45.7 प्रतिशत	34.4 प्रतिशत

(ख) सरकार ने परिवारों के मध्य गरीबी दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इन स्कीमों से लक्ष्य परिवारों के बच्चों को भी लाभ मिलता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं जैसी कुछ स्कीमें भी शुरू की गई हैं जिनसे बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होता है।

[हिन्दी]

बिहार में बायोगैस संयंत्र

1366. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में कितने बायोगैस संयंत्र लगाये गये हैं और उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री में (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1974-75 से 1985-86 (जून 1985 तक) तक बिहार राज्य में 33,923 पारिवारिक बायोगैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। गैस का, उत्पादन संयंत्र के आकार पर निर्भर करता है जो प्रतिदिन 2 से 25 क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना अवधि में बिहार सहित देश में पारिवारिक बायोगैस संयन्त्र और सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयन्त्रों को लगाने के लिए कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। फिर भी, 1985-86 की वार्षिक योजना, राज्य सरकार के लिए 6,400 परिवार आकार के बायोगैस संयन्त्रों के लक्ष्य पर विचार करती है। बिहार सहित सभी राज्यों को निधि का आबंटन (नियतन) नियत विधि (फार्मूले) के अनुसार किया जाता है तथा इस संबंध में राज्य सरकारों के दावे 1985-86 के दौरान उनके कार्य-निष्पादन पर निर्भर करेंगे।

देश में वन कटाई/वनरोपण

1367. **श्री सरफराज अहमद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष कौन-कौन से क्षेत्रों में वन कटाई हो रही है और कौन-कौन से क्षेत्रों में वनरोपण हो रहा है;

(ख) क्या सरकार वन कटाई और वनरोपण के अनुपात से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों में उपयोग करने के कारण 1952 और 1980 के बीच, अर्थात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से पूर्व, वन कटाई की औसत दर प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख हैक्टेयर थी। उपरोक्त अधिनियम बनने के पश्चात् 1980 और 1985 के बीच यह दर गिर कर लगभग 6500 हैक्टेयर रह गई है। अधिक्रमण, वनों की अवैध कटाई आदि जैसे विभिन्न कारणों के फलस्वरूप वन कटाई की मात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं । 1952 और 1980 के बीच खण्ड स्तर पर वृक्षारोपण के जरिए वनरोपण की दर प्रति वर्ष लगभग 1.27 लाख हैक्टेयर थी जिसमें 1980 और 1985 के बीच प्रति वर्ष 4.5 लाख हैक्टेयर तक वृद्धि की गई है। इसके अलावा, 1980 और 1985 के बीच फार्म भूमि, निजी जोतों और घरों के आस-पास वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रति वर्ष लगभग 75 करोड़ पौध वितरित की गई है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) वन क्षेत्र औ . उत्पादकता में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित वन क्षेत्रों के अन्दर और बाहर और अधिक क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए प्रयास जारी रहे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनरोपण सम्बन्धी प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य ईंधन की लकड़ी और चारे के वृक्षों के रोपण के अन्तर्गत प्रति वर्ष 50 लाख हैक्टेयर भूमि लाना है और उसके लिए जनता आन्दोलन का विकास करना है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर होटल का निर्माण

1368. **श्री टी० बशीर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अथवा भारत पर्यटन विकास निगम का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर कोई होटल निर्माण करने का

विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या उपर्युक्त दोनों से अलग कोई अन्य एजेन्सी त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर एक होटल का निर्माण करने की इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) भारत होटल निगम लिमिटेड और भारत पर्यटन विकास निगम का सातवीं योजना अवधि के दौरान धनराशि संबंधी प्रतिबंधों के कारण त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट पर एक होटल निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पर्यटन विभाग ने किसी भी अन्य अभिकरण को त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट पर एक होटल का निर्माण करने के लिए अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

2000 ई० तक विकेन्द्रित जिला योजना

1369. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक कार्यकारी दल ने 2000 ई० तक विक्रेन्द्रित जिला योजना की उपलब्धि के लिए राज्यों से एक तीन चरणीय कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग द्वारा गठित (मई, 1984) जिला योजना कार्यकारी दल की रिपोर्ट में इस प्रकार के कार्यक्रम की सिफारिश की गई है।

(ख) जिला योजना कार्यकारी दल ने जिला स्तर पर विक्रेन्द्रित योजना के लिए अवस्थाक्रम से श्रमिक उपागम (अप्रोच) की सिफारिश की है। इसके लिए उसने तीन संक्रांतिकालीन अवस्थाओं का प्रस्ताव किया है। पहली आरम्भिक अवस्था में जिला क्षेत्रीय स्कीमों की पहचान और निरूपण को बल दिया जायेगा। दूसरी अवस्था में सीमित विकेन्द्रीकरण का प्रस्ताव है। इसमें लक्ष्य समूह आयोजना, कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे विशिष्ट कार्यकलापों को जिला योजनाओं में सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। इस अवस्था में, आशा की जाती है कि काफी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जिला स्तर के तंत्र को प्रत्यायोजित कर दी जाएंगी विकेन्द्रीकरण की अन्तिम अवस्था में आशा है कि प्रशासनिक और

वित्तीय संबंधी निर्णय विस्तृत रूप से जिला स्तर पर ही किए जा सकेंगे। कार्यकारी दल के अनुमान के अनुसार देश के सभी राज्य सन् 2000 ई० तक अन्तिम अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे।

देश में साहसिक पर्यटन और खोज यात्रा

1370. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साहसिक पर्यटन और खोज यात्रा को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या साहसिक पर्यटन और खोज यात्रा को बढ़ावा देने की अधिक जरूरत है;

(घ) यदि हां, तो छठी योजना में इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) सातवीं योजना में साहसिक पर्यटन और खोज यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने हिमक्रीड़ाओं और साहसिक पर्यटन का संवर्धन करने के लिए गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना की और गुलमर्ग में हिम भारती (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ स्कीइंग एण्ड माउन्टेनियरिंग) की स्थापना की है। गुलमर्ग में एक में चेयर लिफ्ट और अनेक स्की लिफ्टों की व्यवस्था की गई है। साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले पर्यटकों द्वारा किराये पर लेने के लिए स्कीइंग तथा माउन्टेनियरिंग उपकरण भी उपलब्ध हैं। हिम भारती शांति ऋतु के दौरान गुलमर्ग (जम्मू और कश्मीर), नारकण्डा (हिमाचल प्रदेश) और औली-जोशीमठ (उत्तर प्रदेश) में हिम स्कीइंग पाठ्यक्रमों का और ग्रीष्म ऋतु के दौरान श्रीनगर तथा अन्य स्थानों पर जल स्की पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। अभी तक इन परियोजनाओं पर लगभग 3 करोड़ रु० की पूंजी लगाई गई है। नारकण्डा और औली-जोशीमठ में भी स्की लिफ्टें और स्की उपकरण जुटाए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) छठी योजना के दौरान पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग उपकरणों की खरीद के वास्ते हिमाचल प्रदेश (4.95 लाख रु०), उत्तर प्रदेश (6.26 लाख रु०), पश्चिम बंगाल (1.52 लाख रु०) और जम्मू तथा कश्मीर (2.05 लाख रु०) की निधियां प्रदान कीं। इसके अलावा, गुलमर्ग में हिम भारती के भवन-निर्माण के लिए 175.30 लाख रु० की मंजूरी दी गई है। छठी योजनावधि के दौरान इसके प्रयोजनार्थ 20 लाख रु० रिलीज़ किए गए थे और शेष राशि वर्तमान योजनावधि के दौरान खर्च की जाएगी।

औली-जोशीमठ में छः कुटीरों और एक रेस्तरां का निर्माण करने के लिए 20.90 लाख रु० की मंजूरी दी गई थी। छठी योजना के दौरान 10 लाख रु० रिलीज किए गए थे और शेष राशि सातवीं योजनावधि के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी।

स्की उपकरणों के 400 सेट आयात करने संबंधी एक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) को ये उपकरण 15.60 लाख रु० की अनुमानित लागत पर आयात करने का काम सौंपा गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए एक अनन्तिम प्रावधान किया गया और ये सभी मदें साहसिक पर्यटन के विकास और संवर्धन से कुछ-न-कुछ संबंध अवश्य रखती हैं :—

(1) पर्वतीय विहार-स्थल और शीत क्रीड़ाएं	4.50 करोड़
(2) जल क्रीडाओं का संस्थान	1.00 ,,
(3) अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में स्कयूबा डाइविंग और अन्य जलक्रीडाओं का विकास	1.50 ,,
(4) हिम क्रीडाओं और पर्वतीय विहार-स्थलों के नए केन्द्रों का विकास	1.00 ,,
(5) ट्रैकिंग और माउन्टेनियरिंग का विकास	1.00 ,,

पूर्वी राज्यों की संस्कृति का संवर्धन

1371. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी राज्यों की संस्कृति संवर्धन हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी राज्यों में संस्कृति संवर्धन हेतु उन राज्यों के एक प्रबंध न्यास की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा कोई सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम; त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना शांतिनिकेतन में की जा रही है।

(ख) और (ग) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इसका प्रबंध शासी निकाय द्वारा किया जायेगा, जिसका केन्द्रीय सरकार और भाग लेने वाले राज्य प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्रीय सरकार ने केन्द्र के

अनावर्ती व्यय को वहन करने के लिए 5 करोड़ रु० का अस्थायी प्रावधान किया है, जिसके प्राक्कलन अभी तैयार किये जाने हैं।

[हिन्दी]

ककरापार परमाणु ऊर्जा केन्द्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1372. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ककरापार परमाणु ऊर्जा केन्द्र में श्रेणी एक, दो, तीन और चार के कितने कर्मचारी हैं और इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना आरक्षित कोटा है और यह कोटा कितना भरा गया है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) स्थानीय व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इस परियोजना की स्थापना से प्रभावित परिवारों के कितने व्यक्तियों को श्रेणी-वार रोजगार दिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना श्रेणी I, II, III और IV के कर्मचारियों तथा उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

श्रेणी	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी
श्रेणी I	48	1	—
श्रेणी II	18	—	—
श्रेणी III	161	15	16
श्रेणी IV	26	1	18
कुल	253	17	34

(ख) अगले पृष्ठ पर यह बताया जा रहा है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा कितना है और उसे किस सीमा तक भरा जा चुका है। संबंधित ब्योरा भी नीचे दिया जा रहा है।

श्रेणी	आदेशों के अनुसार कितना कोटा भरा जाना चाहिए		भरे गए पद		कितने पद नहीं भरे गए हैं	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी I	1	—	—	—	1	—
श्रेणी II	2	1	—	—	2	1
श्रेणी III	7	14	12	15	—	—
श्रेणी IV	2	4	1	18	1	—

(ग) नीचे श्रेणीवार यह बताया जा रहा है कि कितने स्थानीय व्यक्तियों को तथा कितने ऐसे व्यक्तियों को, जो इस परियोजना की स्थापना से प्रभावित परिवारों के हैं इस, परियोजना में रोजगार दिया गया है :

श्रेणी	स्थानीय व्यक्ति	भूमि से प्रभावित
श्रेणी I	6	—
श्रेणी II	2	—
श्रेणी III	93	1
श्रेणी IV	22	5

[अनुवाद]

गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम

1373. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : पर्यटन विभाग ने गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य, केन्द्र तथा निजी क्षेत्र के मिले-जुले संसाधनों से, अवस्थाबद्ध विकास के लिए, गुजरात में 24 पर्यटन केन्द्रों को अभिनिर्धारित किया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जैसे ही ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे इन पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जाएगा।

दिल्ली से बड़ौदा तक सीधी उड़ान

1374. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली से बड़ौदा तक बरास्ता अहमदाबाद इंडियन एयरलाइन्स की सप्ताह में तीन दिन उड़ान की संशोधित सूची-यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि अहमदाबाद में इसके रुकने के कारण बड़ौदा जाने वाले यात्रियों को अनावश्यक विलम्ब होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यथा स्थिति बनाये रखने अर्थात् दिल्ली से बड़ौदा तक सप्ताह में कम से कम तीन दिन की सीधी उड़ान को नई सूची में सम्मिलित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं । इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं । तथापि बरास्ता अहमदाबाद यात्रा में 45 मिनट अधिक लगते हैं ।

(ग) जी, नहीं । भारगुणक को सुधारने तथा दिल्ली और अहमदाबाद के बीच यात्रियों की अधिक मांग को पूरा करने के लिए पुनःनिर्धारण करना आवश्यक था ।

"भोपाल में झील के पानी को बिना उपयुक्त जांच के उसे "सुरक्षित" प्रमाणित किया जाना"

1375. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में झील के पानी को, जो कि शहर के लिए पेय जल का मुख्य स्रोत है बिना किसी उपयुक्त जांच के "सुरक्षित" प्रमाणित कर दिया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल के नमूनों की जांच का कार्य राज्य बोर्ड को सौंपा था जबकि उसे यह जानकारी थी कि राज्य बोर्ड के पास इस कार्य को करने के लिए विशेषज्ञ नहीं हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और क्या केन्द्र पानी की जांच करने तथा अपने निष्कर्ष निकालने के लिए एक दल भेजेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी नहीं, केवल उचित परीक्षण के बाद ही तालाब के जल को "सुरक्षित प्रमाणित किया जाता है ।

(ख) राज्य बोर्ड के पास जल के नमूनों के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण व सुविधा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेल स्टेडियमों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता

1376. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सारे देश में जिला-स्तर पर खेल स्टेडियम स्थापित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र को स्टेडियम निर्माण हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई अथवा अब उपलब्ध कराई जा रही है; और

(घ) खेल-कूद संवर्धन हेतु महाराष्ट्र को सातवीं योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान देने की वर्तमान योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता वरीयता के आधार पर दी जायेगी। योजना के अन्तर्गत एक स्टेडियम के लिए 5 लाख रु० और खेल कम्प्लेक्स के लिए 20 लाख रु० तक का अनुदान स्वीकार्य होगा।

(ग) वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार को जारी की गई केन्द्रीय सहायता की राशि उससे प्राप्त प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है। 1985-86 के लिए महाराष्ट्र सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में निम्नलिखित सहायता की राशि से लाभ उठाया गया था :—

1982-83	—	25,000/रु०
1983-84	—	1,50,000/रु०
1984-85	—	6,25,000/रु०

(घ) विभाग की योजनाओं में राज्यवार राशि का आबंटन नहीं किया जाता है। अन्य विषयों की तरह खेलों के लिए राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स के यात्री और माल यातायात में वृद्धि की दर

1377. श्री बालासाहिब विखे पाटिल
श्री राम सिंह यादव } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के यात्री और माल यातायात में वृद्धि की वर्षवार दर क्या थी;

(ख) क्या वृद्धि की दर को ध्यान में रखते हुए विमानों की आवश्यकता है;

(ग) क्या माल यातायात को ध्यान में रखते हुए एक पूर्ण स्तर की माल वाहक-सेवा आरंभ करने का औचित्य है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	विकास दर	
	यात्री/	सामान
1982-83	10.9%	11.6%
1983-84	12.0%	20.7%
1984-85 (अनंतिम)	11.0%	16.3%

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजधानी में प्रदूषण

1378. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 जून, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में राजधानी में उद्योग स्थापित करने के लिए 800 एकड़ भूमि निर्धारित करने की सरकार की इच्छा के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) क्या राजधानी में प्रदूषण पहले ही चर्म सीमा पर नहीं पहुंच चुका है; और

(ग) यदि हां, तो क्या राजधानी में और उद्योग स्थापित करने के प्रभाव का और भीड़-भाड़ तथा प्रदूषण की दृष्टि से अध्ययन किया गया है विशेषकर जबकि राजधानी में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए कुछ सरकारी कार्यालयों को गाजियाबाद ले जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) राजधानी के कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर अधिक है जिसके लिए आवश्यक निवारक एवं नियंत्रक उपाय किये गये हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

केरल में एक खेल कम्प्लैक्स बनाना

1379. **श्री एम० रामचन्द्रन :** क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का केरल में कोई खेल कम्प्लैक्स बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वे कौन से मानदण्ड हैं जिनके आधार पर विशिष्ट स्थान के चयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव केरल राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है । यह राज्य सरकार के लिए है कि उपयुक्त स्थान चुने ।

हैदराबाद के निकट "मेन फ्रेम कम्प्यूटर" परियोजना

1380. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मेद फ्रेम कम्प्यूटर निर्माण के लिए शीघ्र ही हैदराबाद के निकट टुमकुंटा गांव में एक 100 करोड़ रुपये की परियोजना स्थापित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) हैदराबाद शीघ्र ही मेन फ्रेम कम्प्यूटरों के विनिर्माण की परियोजना स्थापित करने जा रहा है । इस परियोजना में लगभग 36

करोड़ रुपये का संभावित पूंजी निवेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ई०सी०आई०एल०) ने इस परियोजना के लिए हैदराबाद के निकट टुमकुंटा नामक गांव के पास जगह तलाश की है। किन्तु, यह आशा की जाती है कि इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (ई० सी० आई० एल०), हैदराबाद इस परियोजना को शुरू करने के लिए अपनी स्वयं की कंपनी में उपलब्ध विद्यमान सुविधाओं का प्रयोग करेगी।

(ख) मेन फ्रेम कम्प्यूटरों के विनिर्माण से संबंधित परियोजना को शुरू करने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) को एक अभिकरण के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्होंने पहले ही एक प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है जिसके अनुसार लगभग 36 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश की परिकल्पना की गई है। मेन फ्रेम कम्प्यूटरों की कम्प्यूटर-प्रणालियों के विनिर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स सेन्ट्रल डेटा कार्पोरेशन, तथा फ्रांस की मैसर्स बुल, नामक कंपनी से प्राप्त प्रस्तावों को छांटकर एक अलग सूची बनाई गई है। विदेशी सहयोग-कर्ता के चयन के संबंध में, अन्तिम निर्णय लिया जाना बाकी है।

यूरेनियम के भण्डार

1381. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समझा जाता है कि यूरेनियम के वर्तमान भण्डार 30 वर्ष तक ऊर्जा के 1000 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की पूर्ति के लिए पर्याप्त होंगे; और

(ख) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को अब तक कितना यूरेमियम दिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, और इलैक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार के सिंहभूम ताम्र क्षेत्र में जादूगुड़ा, नरवापहाड, भाटिन और तुरुमडीह पूर्वी में स्थित यूरेनियम के भण्डार वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को सौंपे जा चुके हैं।

तमिल शरणार्थियों का पुनर्वास

1382. **श्री जी० भूपति :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा श्रीलंका से आये तमिल शरणार्थियों के पुनर्वास पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का श्रीलंका सरकार से मुआवजे का दावा करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भारत सरकार श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास पर सम्पूर्ण खर्च को वहन करती है, अब तक 86.65 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। परन्तु तमिलनाडु मूल के श्री श्रीलंकन शरणार्थियों के संबंध में, जो 1983 और 1985 के जातीय दंगों के कारण भारत में आये हैं, इस देश में उनके पुनर्वास पर कोई खर्च नहीं किया गया है और न खर्च करने का विचार है क्योंकि वे श्रीलंका के नागरिक हैं और जैसे ही वहां स्थिति सामान्य हो जायेगी, उनके अपने देश लौटने की आशा है। 20-5-1985 तक राहत पर 1.28 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं (फरवरी, 1985 में उनके आगमन शुरू होने से)। परन्तु जुलाई, 1983 और फरवरी, 1985 के बीच शरणार्थियों के प्रथम आगमन पर हुए खर्च की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसे खर्च का पृथक हिसाब किताब नहीं रखा जाता।

(ख) स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के संबंध भारत सरकार द्वारा श्रीलंका सरकार से क्षतिपूर्ति का दावा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि देश में उनका पुनर्वास परस्पर समझौते के अन्तर्गत है। जहां तक शरणार्थियों का संबंध है, उनके लिए राहत उपायों पर किये गये खर्च के लिए श्रीलंका सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विमान दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के लिए मुआवजा की विभेदी-दर

1383. **श्री जी० भूपति** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : एयर इंडिया, एयरलाइन्स और वायुदूत विमान दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों को किस विभेदी-दर से मुआवजे का भुगतान किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय वहन

विमान दुर्घटना में किसी यात्री की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके उत्तराधिकारियों को देय मुआवजे की रकम, विमान वहन अधिनियम, 1972 में सम्मिलित हेग संधि, 1955 द्वारा संशोधित वारसा अभिसमय, 1929 द्वारा शासित होती है।

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 22 (1) के उपबन्धों के अनुसार, यदि वहन मूल वारसा अभिसमय, 1929 के दो संविदाकार पक्षों के क्षेत्र के बीच हुआ हो तो वाहक का दायित्व प्रति यात्री 1,25,000 फ्रैंक तक सीमित है और यदि वहन हेग संधि द्वारा संशोधित वारसा अभिसमय के राज्य पक्षों के क्षेत्रों के बीच हुआ हो तो 2,50,000 फ्रैंक होगा। फ्रैंक में उल्लिखित राशि का अर्थ है कोई ऐसी मुद्रा यूनिट जिसमें 900 शुद्धता के हजारवें हिस्से का 65.5 मिलिग्राम,

सोना शामिल हो। इस राशि का सोने को छोड़कर, राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन इस प्रकार के मामले से परिचित अदालत के फ़ैसले की तारीख को सोने के मूल्य के अनुसार किया जाएगा।

तथापि, विमान वहन अधिनियम, वाहक कंपनी को उच्चतर दायित्व का भुगतान करने की सहमति प्रदान करने की अनुमति देता है। तदनुसार एयर इण्डिया ने प्रति यात्री अधिकतम 75,000 अमरीकी डालर तक दायित्व स्वीकार कर लिया है। वास्तविक मुआवजे की देयता का निर्धारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की आयु, अर्जन क्षमता, हैसियत और आश्रितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकारियों को हुई आर्थिक हानि का सामान्य नियमों और कानूनों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जायेगा।

अन्तर्देशीय वहन

किसी यात्री की मृत्यु हो जाने की दशा में वाहक का प्रति यात्री दायित्व 2,00,000 रु० होगा बशर्ते कि दुर्घटना की तारीख को यात्री की आयु 12 वर्ष या इससे अधिक हो और यदि दुर्घटना की तारीख को यात्री की आयु 12 वर्ष से कम हो तो यह राशि 1,00,000 रुपये होगी।

सहायकों को वर्ष 1983 की चयन सूची में शामिल करना

1384. **श्री गंगा राम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के संवर्ग के सहायकों के, जिनके नाम दिनांक 29 दिसम्बर, 1985 की जोनिंग स्कीम के अन्तर्गत चयन सूची रिक्तियों में शामिल किये गये थे, नाम वर्ष 1983 की चयन सूची में ही रखे गये/रखे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी ही कार्यवाही करने के लिए अन्य विभागों/मन्त्रालय को इस प्रकार के अनुदेश जारी किये गये हैं/जारी किये जा रहे हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) वरिष्ठता क्रम के आधार पर पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर सहायक ग्रेड की चयन सूची में निर्धारित जोन तक उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड के पात्र और अनुमोदित अधिकारियों के नामों को सम्मिलित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/83-सी० एस० 11 (ii) तारीख 29 दिसम्बर, 1985 के तहत सभी मन्त्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किये गये थे।

तारीख 29-12-1983 के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, गृह मन्त्रालय के सी०एस०एस० सवंर्ग में लम्बी अवधि के आधार पर कार्य कर रहे 63 सहायक चयन सूची में सम्मिलित होने के पात्र हैं। तथापि गृह मंत्रालय में लम्बी अवधि के लिए कार्य कर रहे और पहले की चयन सूची जोन में सम्मिलित 24 सहायकों को, सहायकों की चयन सूची में अभी सम्मिलित किया जाना है। वर्ष 1983 के लिए वरिष्ठता आधार पर भरे जाने के लिए केवल 26 चयन सूची रिक्तियां उपलब्ध हैं।

सीधी भर्ती के सहायकों के लिए आरक्षित पदों जिनका उपयोग नहीं किया गया है के अपवर्तन के बाद कुछ और रिक्तियां होने की संभावना है। पहले की चयन सूचियों में सम्मिलित 24 सहायकों को समायोजित करने के बाद दिसम्बर 1983 में जारी की गई चयन सूची जोन में सम्मिलित 67 सहायकों में से गृह मंत्रालय में वर्ष 1983 के लिए चयन सूची में कुछ व्यक्तियों को ही स्थान दिया जा सकता है। इन सभी व्यक्तियों से, चयन सूची रिक्तियों पर अन्य संवर्गों में जाने के लिए विकल्प मांगा गया था। तथापि केवल 12 ने अन्य संवर्गों में जाने का विकल्प दिया। शेष व्यक्तियों का भावी चयन सूची रिक्तियों पर समंजन किया जाएगा।

[हिन्दी]

"दस लाख को सिगरेटों की होली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1385. श्री सरफराज अहमद : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1985 के "जनसत्ता" के मुख्य पृष्ठ पर "दस लाख की सिगरेटों की होली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन फालतू सिगरेटों को किन कारणों से जमा करके रखा गया था और बाजार में तुरन्त क्यों नहीं बेचा गया था तथा वे कुल कितने मूल्य की थीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकों द्वारा कस्टम प्राधिकारियों के निरीक्षण में 92,689/-रुपए की कीमत के 52 सिगरेट डिब्बों को (प्रत्येक डिब्बे में 10,000 सिगरेट) जो मनुष्य द्वारा उपभोग के अनुपयुक्त थे, नष्ट करा दिए गए। प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार सिगरेट के ऐसे क्षतिग्रस्त स्टाक को वितरकों से मुफ्त बदलवाया जा सकता है।

[अनुवाद]

विशेष श्रेणियों और राज्यों में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना

1386. श्री चिन्त मोहन : क्या प्रधान मन्त्री प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में 15 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6665 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य और वैज्ञानिक कर्मचारियों, सशस्त्र सेवा आदि जैसी विभिन्न विशेष श्रेणियों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि न्यायाधिकरणों की स्थापना में कोई विलम्ब न हो; और

(घ) सरकार का विचार इन न्यायाधिकरणों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को रखने का है जो प्रतिष्ठित और न्यायिक सेवा के हों और उन्हें त्वरित एवं समयबद्ध निर्णय लेने के अनुदेश देने का विचार है ताकि सफलतापूर्वक कार्य हो सके ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) तथा (ख) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 के अधीन केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर उस राज्य में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। इस अधिनियम के अधीन अभी तक किसी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं की गई है।

अधिनियम में वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए अलग से प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम के उपबन्ध सशस्त्र सेनाओं के किसी सदस्य पर लागू नहीं होते।

जहां तक इस अधिनियम के उपबन्धों का केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध है, वे पहली जुलाई 1985 से लागू कर दिए गए हैं। 2 सितम्बर, 1985 से केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण की स्थापना किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तरों को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 6 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। इस धारा के उपबन्धों के अनुसार उच्च न्यायालय के विद्यमान तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्ति और ऐसे सिविल कर्मचारी जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों में वरिष्ठ पदों पर अर्थात् कम से कम भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त रहे हों, न्यायाधिकरण में विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

विभिन्न भाषायें बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में आंकड़े

1387. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना पंजीयक कार्यालय ने विभिन्न भाषायें/मातृ भाषायें बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े संकलित किए हैं जैसा कि 1981 की जनगणना में रिकार्ड किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न भाषायें बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या में 1961 और 1971 जनसंख्या की उनकी संख्या की अपेक्षा हुई वृद्धि/कमी के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए विश्लेषण के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई विश्लेषण किया जाएगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विभिन्न भाषायें/मातृ भाषायें बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन कार्य पूरा नहीं हुआ है जैसा कि 1981 की जनगणना में रिकार्ड किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण

1388. **श्री अनादि चरण दास** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य, दोनों के उच्च अधिकारियों को कम्प्यूटरों द्वारा प्रोसेसिंग और प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षित किए गए अथवा चरणबद्ध रूप में प्रशिक्षित किए जाने वाले ऐसे अधिकारियों के, राज्यवार, आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या उच्च अधिकारियों को बारम्बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनात किये जाने और अन्य अधिकारियों की उच्च पदों पर पदोन्नति को ध्यान में रखते हुए, सरकार राज्य के सभी राजपत्रित अधिकारियों को इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लाने पर विचार करेगी;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार की महत्वाकांक्षी कम्प्यूटर योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने पर विचार करेगी;

(ङ) यदि भाग (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां। प्रशिक्षण प्रभाग पिछले कुछ वर्षों से कम्प्यूटरों, प्रबन्ध सूचना प्रणाली और सम्बन्धित विषयों के लिए नियतकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। छठी योजना के दौरान इस प्रकार के 26 कार्यक्रम आयोजित

किए गए थे (12 सामान्य कार्यक्रम और 14 जो राज्यों से विशेष रूप से सम्बन्धित थे।) 1985-86 के दौरान, ई० डी० पी० से परिचय के क्षेत्रों के लिए 10 सामान्य कार्यक्रम तय किए गए हैं (एक एक सप्ताह के 2 कार्यक्रम), "प्रोग्रामिंग इन कोबाल" (4-4 सप्ताह के 3 कार्यक्रम), "कम्प्यूटरीकरण के लिए सबल योजना" (एक सप्ताह का एक कार्यक्रम), "सरकार में कम्प्यूटर" (एक एक सप्ताह के 2 कार्यक्रम), "पद्धति विश्लेषण और डिजाइन" (दो-दो सप्ताह के 2 कार्यक्रम) ये कार्यक्रम सामान्यत: राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के उच्च तथा मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश (प्रबन्ध विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश) के राज्य प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपने अधिकारियों के लिए तथा प्रशिक्षण प्रभाग की आर्थिक सहायता से चार कार्यक्रम आयोजित करने का निश्चय किया गया है।

(ख) प्रशिक्षित अधिकारियों के कोई राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामान्य कार्यक्रम केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के बीच परिचालित किए जाते हैं जो उसमें दी गई पात्रता के मापदण्डों के अनुसार अधिकारियों को नामित करती हैं।

(ग) जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रशिक्षण प्रभाग, प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्या में सामान्य कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें भाग लेने के लिए राज्य सरकारें अधिकारियों को भेजती हैं। राज्य सरकारों के अनुरोध पर, कुछ कार्यक्रमों को राज्य संस्थानों द्वारा उनके अधिकारियों के लिए आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। फिलहाल केन्द्रीय विभागों या राज्यों के सभी राजपत्रित अधिकारियों को इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत लाने की कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारों के अपने राज्य प्रशिक्षण संस्थान हैं जो मुख्यत: राज्य सरकार के अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा गहरे समुद्र में खनन कार्य के लिए स्थान का आवंटन करने के लिए आवेदन पत्र लेने से इन्कार करना

1389. श्री एस० एम० भट्टम
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी
श्री जी० जी० स्वैल } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध "प्रीपेरेटरी कमीशन फॉर दी इन्टरनेशनल सी बैड अथारिटी" ने कन्याकुमारी से 500 किलोमीटर दूर हिन्द महासागर में गहरे समुद्र में खनन कार्य के लिए दो स्थानों के आबंटन के लिए भारत के आवेदन पत्र को पंजीकृत करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या एक ऐसा फ्रांस, जापान और रूस के महासागर में उन देशों के लिए खनन कार्य के लिए क्षेत्रों को अभीमित करने के दावों के कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्द महासागर में खनन कार्य के स्थान के लिए कोई अन्य विरोधी दावेदार नहीं है;

(घ) क्या भारत ने हिन्द महासागर में सघन सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा कर लिया है और खनन कार्यों के लिए किसी क्षेत्र का पता लगाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान । अन्तरा-ष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग ने हिन्द महासागर में एक खनन स्थल के आवंटन के लिए भारत के आवेदन पत्र को पंजीकृत करने से इन्कार नहीं किया है । भारत अग्रणी निवेषक के रूप में गहरे समुद्र तल में खनन कार्य कलापों के लिए एक खान स्थल के आबंटन का हक-दार हैं ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । प्रशांत महासागर में फ्रांस, जापान और रूस के अनुप्रयोग क्षेत्रों में अतिव्याप्ति की समस्या ने पंजीकरणों के नियमों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया को रोक दिया है और इसलिए भारत के आवेदन पत्र को पंजीकृत करने में विलम्ब हुआ है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । हिन्द महासागर में भारत के अनुप्रयोग क्षेत्र में अतिव्यापी दावे नहीं हैं ।

(घ) और (ङ) प्रारम्भिक आयोग द्वारा पंजीकृत किए जाने वाले दो खनन स्थलों का केन्द्रीय हिन्द महासागर क्षेत्र में सीमांकन करने के लिए गहन सर्वेक्षण कार्य किया गया है । प्रत्येक खनन स्थल का क्षेत्रफल 150 हजार वर्ग किलोमीटर है और वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप है । प्रारम्भिक आयोग द्वारा दो खनन स्थलों में से एक स्थल भारत को आबंटित किया जाएगा ।

भारत के पुरातत्व स्थलों का मानचित्र

1390. **श्री हन्नान मोल्लाह**
श्री सैयद मसुदल हुसैन } : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूलाभाई स्मारक न्यास भारत के पुरातत्व स्थल दर्शाने वाला एक मानचित्र प्रकाशित करता है जिसकी एक प्रति का मूल्य केवल 5 रुपए है;

(ख) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन कुछ परिवर्तनों के साथ उसी मानचित्र का लगभग 10,000 प्रतियां मुद्रित कर रहा है और भारत महोत्सव विभाग से एक प्रति का लगभग 50 रुपये वसूल कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो दोनों मानचित्रों की कीमतों में भारी अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान भारतीय सांस्कृतिक नक्शे की 20,000 प्रतियां 12.25 रु० प्रत्येक प्रति की दर से छाप रहा है।

(ग) प्रश्न, नहीं उठता।

पेरिस में भारत महोत्सव के लिए केटरिंग ठेका

1391. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस में भारत महोत्सव के लिए केटरिंग ठेका भारत पर्यटन विकास निगम के बजाय ताज होटल ग्रुप को दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) 7 और 8 जून 1985 को पेरिस में उदघाटन मेले के लिए भोजन प्रबन्ध ताज ग्रुप होटल्स को सौंपा गया था।

(ख) ताज ग्रुप को भोजन-प्रबन्ध सौंपने का कारण यह था कि इस ग्रुप का इंग्लैण्ड में व्यापक संचालन है और साथ-साथ पेरिस में भी इसका एक रेस्टरां है जिससे उन्हें पेरिस में बड़े स्तर पर प्रबन्ध करने में अधिक आसानी हुई थी 27 जून से 9 जुलाई, 1985 तक के लिए वाशिंगटन में लोक जीवन उत्सव के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम को भोजन-प्रबन्ध सौंपा गया था। भा० प० वि० नि० के लिए दोनों अवसरों पर भोजन-प्रबन्ध करना सम्भव नहीं होता।

बिहार में पर्यटक स्थलों की हालत

1392. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
डा० सी० एस० वर्मा } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में पर्यटक स्थलों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन पर्यटक केन्द्रों का कोई सर्वेक्षण किया है और इनकी स्थिति की जांच की है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इन पर्यटक स्थलों का सर्वेक्षण करने का कोई विचार है; और

(घ) इन पर्यटक केन्द्रों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा और क्या प्रयत्न किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बिहार राज्य में पर्यटक स्थलों का सर्वेक्षण कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, बोधगया, राजगीर तथा नालन्दा जैसे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के एकीकृत विकास के लिए विभाग ने मास्टर योजनायें (भूमि प्रयोग योजनाएं) तैयार की हैं।

(घ) सातवीं योजना में राज्य पर्यटन विभाग तथा केन्द्रीय पर्यटन विभाग दोनों, संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर, बौध स्थलों सहित बिहार में आधार-भूत संरचना सुविधाओं के सुधार और विकास के लिए योजनायें प्रारम्भ करेंगे।

भारतीय राष्ट्रीयकों द्वारा राष्ट्रीयता परिवर्तन और शरण का मांगा जाना

1393. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी राष्ट्रीयता परिवर्तित करवाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या क्या है और सम्बन्धित देशों के नाम क्या हैं;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें राष्ट्रीयता परिवर्तित करने संबंधी आवेदन पत्रों को अन्य देशों ने अस्वीकृत कर दिया था;

(ग) उन भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान शरण मांगी और प्राप्त की तथा किस आधार पर शरण मांगी गई और उन देशों के क्या नाम हैं जिन्होंने उनके निवेदन को स्वीकार किया;

(घ) क्या शरण मांगने वाले व्यक्ति अपनी भारतीय राष्ट्रीयता खो बैठे हैं; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों को पेशकश किये जाने वाले लाभों के संबंध में व्यक्तियों की पात्रता पर विदेशी राष्ट्रीयता का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वर्ष 1982 और 1983 के लिए सम्बद्ध आंकड़े सम्बन्धित देश के नामों के साथ, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जहां तक 1984 की संख्या का संबंध है ये आंकड़े हमारे विदेश स्थित मिशनों से एकत्र किए जा रहे हैं और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दिए जाएंगे।

(ख) और (ग) विदेश स्थित हमारे मिशनों से ब्यौरे प्राप्त किए जा रहे हैं और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दिए जायेंगे।

(ग) ऐसे व्यक्तियों की, जो दूसरे देश में राजनीतिक शरण प्राप्त कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रिकता अपने आप समाप्त नहीं हो जाती। लेकिन 1955 के राष्ट्रिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 के अन्तर्गत, विदेशी राष्ट्रिकता प्राप्त करते ही वे भारतीय राष्ट्रिक नहीं रहते।

(ङ) वित्त मंत्रालय से एकत्र की गई सूचना के अनुसार विदेशी राष्ट्रिकता से, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले गैर आवासीय भारतीय लाभ के लिए ऐसे व्यक्तियों की हकदारी पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता; जब तक कि वे भारतीय मूल के हैं।

विवरण

क्र० सं०	देश का नाम	विदेशी राष्ट्रिकता प्राप्त करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या 1982	1983	अभ्युक्ति
1	2	3		4
1.	आस्ट्रेलिया	647	790	आस्ट्रेलियाई
2.	आस्ट्रिया	36	84	वित्तीय वर्ष के
3.	फिनलैंड	11	12	अनुसार
4.	ईरान	कोई नहीं	4	
5.	जमैका	1	3	
6.	कीनिया	81	116	
7.	पुर्तगाल	6	6	
8.	कातार	*कोई नहीं	85	

*टिप्पणी—शेष देशों के मामले में ये सूचना या तो "कोई नहीं है" या "उपलब्ध नहीं" है।

आदिवासी सलाहकार परिषदों का पुनर्गठन

1394. श्री के० प्रधानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे राज्यों ने जहां आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्र हैं, 1984-85 के आम चुनावों के बाद आदिवासी सलाहकार परिषदों का पुनर्गठन कर दिया है;

(ख) किन-किन राज्यों ने इन परिषदों का पुनर्गठन किया है;

(ग) दूसरे राज्यों ने ऐसा क्यों नहीं किया है; और

(घ) उनके कब तक इस कार्य को पूरा करने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) संबंधित राज्यों से सूचना मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

मेरठ स्टेशन पर हिमाचल एक्सप्रेस में बम विस्फोट

1 95. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ स्टेशन पर 10 मई, 1985 को हिमाचल एक्सप्रेस (53 अप) में हुए बम विस्फोट की घटना के सम्बन्ध में कोई जांच करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो जांच के मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(ग) यदि नहीं तो जांच कार्य किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) उक्त दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए;

(ङ) क्या उक्त विस्फोट में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है और गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों को किसी प्रकार की सहायता दी गयी थी; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, रेलवे अधिनियम की धारा 107/126 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन 10.5.85 को जी०आर० पी०, मेरठ शहर में एक मामला अपराध सं० 64/85 दर्ज किया गया था । पुलिस उप-अधीक्षक, जी०आर०पी० मुरादाबाद द्वारा मामले की अभी जांच की जा रही है । अब तक की गई जांच-पड़ताल से प्रकट होता है कि यह उग्रवादियों का कार्य था ।

(घ) इस घटना में सात व्यक्ति मारे गए और सात जख्मी हुए ।

(ङ) जी हां, श्रीमान् ।

(च) मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के कानूनी वारिसों को जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा 5000/रु० और रेलवे विभाग द्वारा 1000/-रु० की अदायगी की गई । जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा गम्भीर रूप से घायल दो व्यक्तियों से प्रत्येक को 1000/-रु० और एक घायल व्यक्ति को रेलवे विभाग द्वारा 750/- रु० की अदायगी की गई । रेलवे विभाग द्वारा अन्य 5 घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 500/-रु० की रकम अदा की गई । एक घायल व्यक्ति रेलवे विभाग से पैसे लेने

नहीं आया।

भारत और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विश्व कप क्रिकेट का आयोजन

1396. **श्री अनादि चरण दास** : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने अगले वर्ष विश्व कप क्रिकेट का आयोजन करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) अम्पायरों की नियुक्ति के बारे में क्या निर्णय किया गया है तथा क्या विवाद से बचने के लिए अन्य देशों के अम्पायरों को नियुक्त किया जाएगा; और

(ग) कटक में कुल कितने मैच खेले जाने का प्रस्ताव है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सरकार को भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड से पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 1987 में विश्व कप आयोजित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) सूचना की भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से प्रतीक्षा है।

(ग) उनकी प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का कटक में किसी मैच के आयोजन का प्रस्ताव नहीं है।

राजधानी में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की अधिभोग दर

1397. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में तथा देश के अन्य भागों में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की अधिभोग की दर कम हो रही है;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की वर्तमान अधिभोग दर क्या है और यह दर अन्य स्थानों की तुलना में राजधानी में अधिक है या कम;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में अधिभोग की दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विभिन्न विमान कम्पनियों के लिए हवाई अड्डों पर भोजन-व्यवस्था करने वाले भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का नाम क्या हैं और गत दो वर्षों के दौरान इस पर कितनी हानि या लाभ हुआ ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) गत वर्ष की संगत अवधि के 39 प्रतिशत की तुलना में 1985-86 की पहली तिमाही में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कुल आकुपैंसी 48 प्रतिशत थी।

होटल-वार प्रतिशतताएं विवरण-I में उपलब्ध हैं ।

(ग) अपने होटलों की आकुपैंसी दर को बढ़ाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) विदेश स्थित यात्रा अभिकरणों के साथ विपणन एवं आरक्षण संबंधी टाइ-अप्स में शामिल होना ।

(2) भारत पर्यटन विकास निगम की प्रापर्टीज का संवर्धन करने के लिए यात्रा बाजारों (ट्रेवल मार्ट्स), यात्रा-मेलों आदि में भाग लेना ।

(3) स्वदेशी पर्यटन का संवर्धन करने के विशेष एक-मुश्त कार्यक्रमों का सूत्रपात करना ।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-II में है ।

विवरण-I

अप्रैल से जून, 1985 की अवधि के दौरान गत वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में राजधानी और देश के अन्य भागों में पर्यटन विकास निगम के होटलों में आकुपैंसी प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

होटल का नाम	अप्रैल से जून, 1985	अप्रैल से जून, 1984
1	2	3
पांच स्टार		
1. अशोक, नई दिल्ली	43	36
2. अशोक बंगलौर	36	26
3. अकबर, नई दिल्ली	52	28
4. कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	33	36
5. कुतुब, नई दिल्ली	81	46
6. एल० एम० पी०, मैसूर	31	42
7. एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	49	51
8. सम्राट, नई दिल्ली	58	19

1	2	3
चार स्टार		
1. जनपथ, नई दिल्ली	73	74
2. वाराणसी अशोक	21	27
3. जयपुर अशोक	34	30
4 कनिष्क, नई दिल्ली	37	41
तीन और दो स्टार		
1. लोधी, नई दिल्ली	55	52
2. रणजीत, नई दिल्ली	56	39
3. हसन	19	31
4. एल० वी० पी०, उदयपुर	52	48
5. टेम्पल बे महाबलीपुरम्	29	21
6. कलिंग अशोक भुवनेश्वर	23	46
7. मदुराई अशोक	24	25
8. अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	60	50
होटल संवर्धन		
1. जम्मू अशोक	43	24
2. औरंगाबाद अशोक	39	29
3. खजुराहो अशोक	11	13
4. पाटलीपुत्र अशोक पटना	48	31

विवरण-II

विभिन्न एयरलाइन्स के लिए एयरपोर्ट केटरिंग सर्विस (फ्लाइट केटरिंग में) उपलब्ध कराने वाले भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम० सं०	होटलों के नाम	एयरलाइन्स
1	2	3
1.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	रोयल नेपाल एयरलाइन्स ब्रिटिश एयरवेज एयरोफ्लोट इन्डियन एयरलाइन्स

1	2	3
		एयर-इन्डिया
		यू० बी० ए० (युना टेड बर्मा
		एयर लाइन्स
2.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	इन्डियन एयरलाइन्स
3.	होटल अशोक, बंगलौर	इन्डियन एयरलाइन्स
4.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	इंडियन एयरलाइंस
5.	दिल्ली (होटल सम्राट, नई दिल्ली)	इन्डियन एयरलाइन्स
6.	कोवलम अशोक समुद्र-तट विहार-स्थल	इन्डियन एयरलाइन्स
7.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	इन्डियन एयरलाइंस

नोट:—चूंकि विभिन्न एयरलाइन्स के लिए इन-फ्लाइट केटरिंग सर्विस उपलब्ध कराना भारत पर्यटन विकास निगम के सम्बद्ध होटलों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समग्र केटरिंग सुविधाओं का ही एक हिस्सा है, निगम द्वारा अकेले इस भाग के लिए अलग से कोई लाभ व हानि खाते नहीं रखे जाते।

सर्कस कलाकारों में से प्रतिभाशाली कलाबाजों (एक्रोबैट्स) का चयन

1398. श्री एम० रामचन्द्रन : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भारतीय सर्कस कलाकारों में से दक्ष कलाबाजों का चयन करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद हमारे सर्कस कलाबाजों को भारतीय खेलों के गरिमा और बढ़ाने हेतु उनकी प्रतिभा को विकसित करने को अब तक प्रोत्साहन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सर्कस कलाकारों की योग्यता का जिमनास्टिक खेल विषयों से सम्बन्ध हो सकता है। भारतीय जिमनास्टिक संघ जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीमों के चयन से संबंधित है, से पहले ही इस प्रयोजनार्थ सर्कस कलाकारों की योग्यताओं को ध्यान में रखने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल गाड़ियों में महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ की घटनायें

1399. **श्री मदन पाण्डे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दैनिक यात्रियों में अवांछनीय तत्वों द्वारा महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ किये जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या 28 जून, 1985 को लखनऊ से रवाना हुई रेलगाड़ी में ;ऐसे तत्वों द्वारा ऐसी हरकतें किये जाने के कारण दिलखुश हाल्ट के पास गोली चलाये जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तथा बहुत से लोग घायल हो गये थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की तथा रेलों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सरकार के पास न तो कोई सूचना है और न कोई रिपोर्ट है कि रेलगाड़ियों में दैनिक यात्रियों में से अवांछनीय तत्वों द्वारा महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ करने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 28.6.1985 को 70 डाउन त्रिवेणी एक्सप्रेस में ऐसी एक घटना घटी थी। रेवा विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर श्री राम विलास मिश्र अपनी पत्नी, दो पुत्रियों, और एक पुत्र के साथ उस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। जब यह रेलगाड़ी 16.30 बजे चारबाग से चली तो कुछ मासिक टिकट धारक भी उसी डिब्बे में घुस गए और प्रोफेसर मिश्र के परिवार के साथ बैठने के प्रश्न पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। श्री मिश्रा के आपत्ति करने पर मासिक टिकट धारकों ने श्री मिश्रा तथा उनके परिवार के सदस्यों को पीटना और लूटना शुरू कर दिया। अपनी जान को खतरे में देखकर श्री मिश्र ने अपनी रिवाल्वर निकाल ली और दो गोलियां चलाई। परिणामस्वरूप एक अपराधी घटनास्थल पर मारा गया और उसका एक सह-अपराधी जख्मी हो गया। गोलीबारी के बाद अपराधियों ने लगभग 16.45 बजे दिलखुश के पास रेलगाड़ी रोक ली और श्री मिश्र को बाहर खींच लिया और उनको पीटने लगे तथा उनकी रिवाल्वर छीन ली। लेकिन कुछ यात्रियों ने हस्तक्षेप किया और श्री मिश्र को बचा लिया तथा अपराधियों से उनकी रिवाल्वर वापस दिलवा दी, जो पुलिस को दे दी गई। पुलिस उप-अधीक्षक, रेलवे और जी० आर० पी० थाना, चारबाग, लखनऊ के प्रभारी निरीक्षक कुल के साथ तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति नियंत्रण में की। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397/307/323/354 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार एक अपराधी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और सात अन्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो जेल में हैं, मामले की इस समय जांच पड़ताल की जा रही है।

सामान्यत: जी० आर० पी० गार्ड केवल रात्रि रेलगाड़ियों में नियुक्त किये जाते हैं। इसलिए घटना के सांघातिक दिन को त्रिवेणी एक्सप्रैस में कोई पुलिस मार्गरक्षक उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि यह रेलगाड़ी लखनऊ से दिन के समय 16.30 बजे चलती है। लेकिन इस घटना को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा मासिक टिकट धारकों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए पी० ए० सी० की एक कम्पनी और पर्याप्त जी० आर० पी० कर्मचारी तैनात किये गये हैं और जिला रेल प्रशासन से अनुरोध करके कुछ टिकट कलैक्टर भी ड्यूटी पर लगाये गये हैं। रेल-गाड़ियों की जांच करने और मासिक टिकट धारकों की गतिविधियों से संरक्षण करने के लिये पूरे कर्मचारियों को सात वर्गों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ड्यूटी पर प्लेटफार्म कर्मचारियों और रेलगाड़ी संरक्षकों को भी इस सम्बन्ध में सतर्क कर दिया गया है।

"सार्वजनिक व्यवस्था" और "पुलिस" विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में हैं। इस प्रकार अपराधों से सम्बन्धित कानून लागू करना राज्य सरकारों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है।

लोक सभा 12.01 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हमें अभी अभी यह समाचार मिला है और मुझे यह सूचना देनी है कि श्री माकन अब हमारे बीच नहीं रहे। आज प्रात: बड़ी दुख:द परिस्थितियों में इस उदीयमान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी इस समय अस्पताल में है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। जैसा कि आप जानते हैं श्री माकन ने एक बहुत ही उदीयमान युवक और योग्य सांसद के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। मैं भारत में जब कभी भी जहां कहीं दौरे पर गया, अन्य मित्रों से बात करते समय मैं हमेशा उनका जिक्र किया करता था कि युवा सांसदों को किस तरह काम करना चाहिये, कैसे संसदीय कार्य की तैयारी करनी चाहिए तथा किस तरह से अपना सार्थक योगदान देना चाहिए और श्री माकन ऐसा ही कर रहे थे। यहां तक कि आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी उनका नाम था। वह जिस तरह से श्रमिक संघ की समस्याओं का समाधान करते थे और उनके लिए प्रयास करते थे, उनकी ओर से आवाज उठाते थे, इन सबमें उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इससे पहले वह दिल्ली महानगर परिषद में भी रहे। वह केवल 35 वर्ष के थे एक बहुत ही होनहार व्यक्ति की मृत्यु हुई है और मुझे सदन को यह दुःखद समाचार भी देना है कि श्रीमती गीतांजलि माकन की भी 11 बजकर 45 मिनट पर मृत्यु हो गई है।

युवा श्री माकन ने विदेशों का भी भ्रमण किया था और वहां भी अपना प्रभाव छोड़ा था। हम अपनी असहायता प्रकट करते हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं तथा हमें इस योग्य और युवा सांसद का, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, अभाव हमेशा खलता रहेगा।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर बोलना मेरे लिए बहुत कठिन है। श्री ललित माकन हमारे एक युवा, उदीयमान और सक्रिय सहयोगी थे। अपने अल्प जीवन में उन्होंने राजनीति में तथा मजदूर आंदोलन में अपनी छाप छोड़ी और वह हमारे एक बहुत उदीयमान युवा सांसद सदस्य थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के बारे में खुलकर कहा और हम ऐसे संसद सदस्य को प्रोत्साहन देने का प्रयास करते रहे हैं। उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मैं तेजी से उभरती हुई हिंसा की भावना की निंदा करता हू और मेरा अनुरोध है कि हम सभी को इस हिंसा की प्रवृत्ति को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

श्री ललित मकान ने निर्धनों, पद दलितों, मजदूरों के लिए जो किया, जिस तरह स्पष्ट बातें कहीं और संघर्ष किया, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अपने दल की ओर से मैं यह आशा व्यक्त करता हूं कि हम इस हिंसा का सामना कर पाएंगे, हम इन प्रवृत्तियों से ऊंचा उठ पायेंगे और इसमें हमें सभी राजनीतिक दलों तथा अन्य लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा। मैं श्री ललित माकन तथा उनकी पत्नी के सभी सम्बन्धियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं सभा के नेता की भावनाओं से सहमत हूं। यह बहुत बड़ी त्रासदी है और हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विपक्षी दलों तथा अपने दल की ओर से, मैं हमारी राजनीति में आ चुके हैं आतंकवाद की पुरजोर निंदा करता हूं। मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : मैं सभा के नेता द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हूं। श्री माकन एक युवा सांसद तथा मजदूर संघ नेता थे। परसों मैं तथा श्री माकन दोनों ने कपड़ा मजदूरों के समक्ष भाषण दिया था। परसों डी०सी० एम० तथा बिरला मिल्स के श्रमिकों का बोट क्लब पर धरना था। हम दोनों वहां गए थे और हमने वहां भाषण दिया था। मुझे याद है वहां उन्होंने कहा था—

[हिन्दी]

"मजदूर के लिए हम, हमारी सीमा से भी बाहर जा सकते हैं, जायेंगे।"

[अनुवाद]

और उन्होंने सीमायें तोड़ी। कल उन्होंने नई कपड़ा नीति-सरकार की नीति; अपने दल की नीति के विरुद्ध भाषण दिया। उन्होंने उस नीति के भी विरोध में कहा तथा वह श्रमिकों के लिए, विशेषकर कपड़ा मजदूरों के लिए लड़े तथा मिल-मालिकों का विरोध किया।

उन्हें पद दलितों, श्रमिकों तथा इस देश के निर्धन लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए सदा स्मरण किया जाएगा। अपने दल की ओर से मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक युवा, निष्कपट, गतिशील व्यक्तित्व वाले और उदीयमान सांसद हमारे बीच नहीं रहे। वास्तव में मुझे पता चला है कि उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी, उनके शरीर से 16 गोलियां निकाली गई हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हिंसा को तुरन्त समाप्त करना होगा। प्रधान मंत्री जी जो भी कदम उठाना चाहते हैं उन्हें तुरन्त उठाने होंगे क्योंकि अब सांसद भी सुरक्षित नहीं हैं। वास्तव में इस घटना से यह बात स्पष्ट हो गई है कि भारत में किसी व्यक्ति की किसी समय गोली मारकर हत्या की जा सकती है। ऐसी स्थिति बनी नहीं रहने देनी चाहिए। मेरा प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वह शीघ्र कदम उठायें।

एक मजदूर संघ नेता और कपड़ा मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते वह बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। वास्तव में केवल श्रमिकों के लिए ही उन्होंने सदन में कई बार भाषण दिए थे। अतः आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से मैं गहरा शोक प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवार तथा सम्बन्धियों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में यह दुःखद समाचार दिया कि हमारे सहयोगी श्री ललित माकन की मृत्यु हो गई है। कुछ ही क्षणों बाद आपने सदन को बताया कि श्रीमती माकन की भी मृत्यु हो गई है। कुछ ही दम्पतियों के जीवन में ऐसा होता है कि वे एक साथ जिये, एक साथ गोलियां खाईं और एक साथ मर गए। हम सबको इससे दुःख पहुंचा है।

आपको याद होगा कि संसद के पिछले सत्र के पश्चात सभी संसदीय संवाददाताओं ने, जिन्होंने संसद के सत्र की समीक्षा की, इस युवा सांसद, ललित माकन का विशेष रूप से जिक्र किया था। वह दलगत भावनाओं से ऊपर थे, वह हमेशा लोगों के साथ रहे और संभवतः लोगों के लिए ही उन्होंने अपनी जान दी। ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती क्योंकि वे दूसरों को प्रेरित करने लिए अपने पीछे मधुर स्मृतियां छोड़ जाते हैं। आज मुझे बहुत दुःख हुआ है। हम पुराने संसद सदस्यों को, संभवतः अच्छा यह लगता कि ललित माकन जैसे सदस्यों ने हमारा निधन संबंधी उल्लेख किया होता किंतु यह बहुत दुःखद बात है कि हम वयोवृद्ध संसद सदस्यों को उस युवा सदस्य को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है जो संसद में हमसे बहुत बाद में आए और बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। समय कितना बलवान है ?

आपने हमें ठीक ही स्मरण कराया कि कार्य सूची में श्री ललित माकन का नाम है, जिन्होंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने मंत्री महोदय का ध्यान तो आकर्षित किया किन्तु मौत ने उनको हमसे छीन लिया। अतः हम उनकी आवाज अब नहीं सुन सकेंगे। लेकिन ऐसी आवाज कभी नहीं मरती। जब तक हम लोगों के साथ हैं उनकी आवाज गूंजती रहेगी मैं, आपको सभा के अध्यक्ष होने के नाते, बताना चाहता हूं कि हम लोग जो लोगों की समस्याएं उठाते हैं, उनके आंदोलन में भाग लेते हैं, श्रमिक वर्ग तथा किसानों के आंदोलनों में भाग लेते हैं, वही कार्य हमारे लिए खतरा बन गया है। किन्तु निर्भीक सांसदों को लोगों की समस्याएं उठाने में

[प्रो० मधु दण्डवते]

अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए भले ही उसके लिए उन्हें कितनी ही कीमत चुकानी पड़े और ललित माकन का संभवतः हमारे लिए यही संदेश होगा और वह इस सभा में सदा बना रहेगा; उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी आवाज को गुंजायमान रखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय यह दुःखद घटना अकस्मात हुई है और कुछ क्षणों में ऐसा हो गया जिसकी हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे। किन्तु मैं समझता हूं कि इस देश में जो कुछ हो रहा है अब हमें ऐसी अपेक्षाएं करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री ललित माकन हमेशा की तरह कल भी सदन में बोल रहे थे। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं पिछले सत्र की समाप्ति पर एक पत्रकार ने मेरा साक्षात्कार लिया था और संभवतः वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उसने मुझसे दो-तीन ऐसे युवा सांसदों के नाम पूछे थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया था। और मैंने पहला नाम श्री ललित माकन का लिया था यद्यपि वे मेरे दल के नहीं थे क्योंकि मैंने इस सभा में और सभा के बाहर श्री ललित माकन के काम को देखा है। हो सकता है हमारे आपस में कुछ मतभेद रहे हों वह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मैं उन्हें केवल साथी सांसद ही नहीं मजदूर संघ नेता भी मानता हूं। और मैं जानता हूं कि वह विचारों के कितने पक्के थे और कितनी निडरता और साहस के उन मिल मालिकों की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे जो श्रमिकों का शोषण कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने कई बार सदन में भी कहा था।

वह एक युवा व्यक्ति थे, उनकी पत्नी उम्र में उनसे भी छोटी होंगी। मुझे विश्वास है उनके छोटे बच्चे भी होंगे जो कुछ ही क्षणों में अनाथ हो गए हैं। महोदय, जैसा कि आपने कहा, मैं समझता हूं कि यह केवल दुःख का प्रश्न नहीं है बल्कि जैसा कि आपने कहा, हमारी असहायता का भी प्रश्न है और यही सबसे गम्भीर बात है। प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं समझता हूं कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। निश्चय ही हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह की हिंसा और हत्याओं की निंदा की जानी चाहिए लेकिन क्या निंदा करना ही पर्याप्त है ? हम सबको मिलकर गम्भीरता से सोचना होगा कि विरोधियों का सफाया करने के इस तरीके को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं तथा इस हत्या की रिपोर्ट जो अभी मिली है। और जिस तरह से हत्या की गई, जितने दुःसाहस से दिन दहाड़े ऐसा किया गया, जिस तरह के शस्त्रों का प्रयोग किया गया, इससे पता चलता है कि उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया गया है। वे किराए पर लिए गए व्यक्ति भी हो सकते हैं यहां राजधानी के बीचों-बीच यदि वे इस तरह का जघन्य अपराध करके भाग सकते हैं—प्रश्न किसी सांसद की हत्या का नहीं है, आखिर सांसद के जीवन का मूल्य क्या है—तो फिर इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः हमें इस बारे में कुछ करना चाहिएं।

जहां तक ललित माकन का संबंध है, मैंने हमेशा उनके स्पष्ट विचारों की सराहना की है। उन्हें जो कुछ गलत लगता था वह निर्भीकता से उसकी निंदा करते थे। यह भी संभव है कि उनके दल के कुछ लोगों को उनके बोलने का तरीका हमेशा पसंद न आया हो। मुझे अच्छा लगता था।

कई बार मैंने महसूस किया कि हमारे विचार एक से हैं। वह निर्भीक थे। उनमें साहस था। वह बोलने से नहीं डरते थे और जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने कहा हमें ऐसे सांसदों की जरूरत है।

मुझे सचमुच बहुत दुःख हुआ है और धक्का लगा है। अपने दल की ओर से हम उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी सम्वेदना व्यक्त करते हैं। मैं उनके श्वसुर, जो मैं समझता हूं इसी नगर में हैं, के अलावा किसी को नहीं जानता। हम अपनी गहरी सम्वेदना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जिस काम के लिए वह बोल रहे थे और संघर्ष कर रहे थे, उसे वे लोग पूरा करेंगे जिनके दिलों में पददलितों को उठाने की चाह है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा अवसर है जब हमारे पास शोकसन्तप्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए शब्द नहीं रहते। जैसा कि आपने कहा श्री ललित माकन एक युवा सांसद थे। लेकिन जहां तक मैं उन्हें जानता था मैंने हमेशा यह महसूस किया कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को महसूस किया और इस संसद में उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को महसूस करने का मूल्य चुकाया।

जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की ओर से मैं राष्ट्र के प्रति हुए इस जघन्य अपराध की निंदा करता हूं, क्योंकि ललित माकन इस देश के पददलितों की आकांक्षाओं के प्रतीक थे। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति भी अपनी गहरी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करता हूं।

इस अवसर पर हमें स्थिति की गंभीरता समझनी चाहिए। महोदय, आपने कहा है कि जब हम इस घृणित अपराध की निंदा करते हैं और शोकसंतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते है, इस समय हम असहाय हैं। लेकिन हमें समस्या का समाधान करना होगा। और हमें अपने दलगत हितों को छोड़कर समय के अनुकूल काम करना होगा तथा देश में हर तरह की हिंसा को रोकना होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अपने दल, मुस्लिम लीग की ओर से मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा सदन द्वारा अपने सहयोगी श्री ललित माकन के दुःखद निधन पर व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं।

ऐसे ही अवसर होते हैं जब हम स्तब्ध रह जाते हैं। सबका मन रोता है। हम सब हिंसा की प्रवृत्ति की घोर निंदा करते हैं। साथ ही हम इस प्रवृति को समाप्त करने के लिए उसका सामना करने की शपथ लेते हैं।

हमें गहरा दुःख है तथा हम शोकसंतप्त परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। इस दुःखद घटना से सबक लेकर हमें इस देश से हिंसा की इस प्रवृति को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मिस्टर स्पीकर सर, हम लोगों की तरह श्री ललित

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

माकन भी पहली बार इस लोक सभा में चुन कर आये थे मगर सत्ताधारी पक्ष से सम्बन्धित होने पर भी, मजदूरों के बारे में, और जनसमस्याओं को हल करने के बारे में उनका जिस तरह का दृष्टिकोण था तथा वे जिस तरह से सदन में अपने विचार व्यक्त करते थे एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते थे, वह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है । उन्होंने हमेशा उसी दृष्टिकोण को सामने रख कर कार्य किया। उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा । हम लोक सभा में लगभग 500 माननीय सदस्य हैं और एक एक्टिव पार्लियामैन्टेरियन के नाते वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे। वे हमारे आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के दामाद थे इस नाते से भी हम सब दुखी हैं। मै अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उनके असामयिक निधन पर शोक प्रकट करता हूं और उनकी फैमिली के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस माननीय सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजूंगा । अब हम उनके सम्मान में कुछ क्षण मौन खडे होंगें ।

12.25 म० प०

(तत्पश्चात् सदस्य थोडी देर के लिए मौन खड़े रहे ।)

अध्यक्ष महोदय : सभा उनके सम्मान में आज स्थगित होती है और कल 11 बजे म० पू० समवेत होगी ।

12 26 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा 1 अगस्त, 1985, 10 श्रावण, 1907 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, डी-108, न्यू सीलमपुर, दिल्ली- 110053